अध्याय III
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय III
अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके क्षेत्रीय घटकों के लेनदेनों की एवं स्वायत्तशाषी निकायों की लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में चूक तथा विनियमन, औचित्यता एवं मितव्ययिता के मापकों के अनुपालन में विफलता के कई दृष्टांत ध्यान में आये हैं, जिन्हें वृहद् विषयक शीर्षो के अन्तर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

3.1 नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

3.1.1 पाईपों की आपूर्ति पर परिहार्य व्यय

संवेदकों द्वारा अनुचित उच्च दरों पर पाईपों की आपूर्ति किये जाने से ₹ 1.06 करोड़ का परिहार्य व्यय।

मुख्य अभियन्ता, सामग्री व्यवस्था प्रकोष्ठ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को केन्द्रीयकृत मदों के लिए, सूचना व्यवस्था प्रणाली के भाग के रूप में सामग्री व्यवस्था मोडयूल का उपयोग, उनकी आवश्यकतायें प्रेषित करने एवं ऐसी मदों, जिनके लिए दर संविदाऐं विगत हाल में फाइनल की जा चुकी हैं या जल्दी ही फाइनल की जानी हैं, की मांग प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया (मई 2009)। मुख्य अभियन्ता ने दिसम्बर 2010 और दिसम्बर 2011 के दौरान विभिन्न फर्मो के साथ डक्ट आईरन (डीआई) के-7 पाईपों[1] की आपूर्ति के लिए दर संविदाएँ निष्पादित की।

अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सवाई माधोपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2012) एवं तदुपरान्त संग्रहित (जुलाई 2013) सूचनाओं में पाया गया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की नीति निर्धारण समिति के दिशा-निर्देशों (मई 2006) के अनुसार परियोजना का लाभ जनता को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु "नलकूप, हैण्डपम्प, उच्च/भूतल जलाशयों का निर्माण, पाईप लाईन की आपूर्ति, जोड़ने एवं बिछाने" के ग्यारह कार्य, एकल दायित्व के आधार कर आवंटित किये गये। इससे यह स्पष्ट था कि संवेदक, पाईपों सहित सभी सामग्रियों की आपूर्ति के साथ, सम्पूर्ण परियोजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार था।

1 80 एमएम: ₹ 638; 100 एमएम: ₹ 649 से ₹ 725; 125 एमएम: ₹ 890 एवं 150 एमएम: ₹ 905 प्रति मीटर।

अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सवाई माधोपुर ने विभागीय दर विश्लेषण के आधार पर, विचार-विमर्श के बाद, ग्यारह कार्यो की निविदाऐं अनुमोदित (जून से नवम्बर 2011) की। इन कार्यो में विभिन्न निविदा दरों[2] पर डीआई के-7 पाईपों की आपूर्ति सम्मिलित थी। तद्नुसार, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सवाई माधोपुर द्वारा इन 11 कार्यो के लिए कार्य आदेश, जून 2011 एवं जनवरी 2012 में जारी किये गये **(परिशिष्ट 3.1)**। इन कार्य आदेशों के अनुसार, कार्यो को अक्टूबर 2011 एवं सितम्बर 2012 के दौरान पूर्ण किया जाना था।

डीआई के-7 पाईपों की अनुमोदित दरों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि दर संविदा के माध्यम से पाईपों के लिए मांग, जैसा कि मुख्य अभियन्ता के निर्देशों में प्रावधित था, सामग्री व्यवस्था प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करने के बजाय अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सवाई माधोपुर ने दर संविदा की दरों से उच्च दरें अनुमोदित की **(परिशिष्ट 3.1)**। दरों में ₹ 465 तथा ₹ 945 प्रति मीटर के बीच का अंतर था। विभाग द्वारा की गई दर विश्लेषण के परीक्षण में पाया गया कि इसमें कर, परिवहन, जोड़ना एवं बिछाना, ठेकेदार का लाभ, विशिष्ट सामग्री आदि के प्रभारों को शामिल किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ठेकेदारों द्वारा पाईपों की आपूर्ति के लिए उच्च दरों का अनुमोदन हुआ। यह भी ध्यान में आया कि 11 कार्यो में से 2 कार्य 4 से 8 माह के विलम्ब से पूर्ण हुये तथा 8 कार्य माह मार्च 2014 तक प्रगति पर थे।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि विभागीय आपूर्ति के लिए की गयी दर संविदाओं में बिछाना, जोड़ना और विशिष्ट सामग्री (वाल्व, फायर हाईड्रेन्ट आदि) के प्रभारों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए दर संविदा के तहत मात्र पाईपों की आपूर्ति की दरें परियोजना, जिसमें पाईपों की आपूर्ति, बिछाना एवं जोड़ना शामिल होता है, के अंतर्गत पाईपों की आपूर्ति दरों से कम होती हैं। कार्यो की विभिन्न मदों जैसे उच्च/भूतल जलाशयों, पुनर्भरण संरचनाओं एवं संचालन तथा संधारण को ध्यान में रखने के बाद ही दरों का अनुमोदन किया गया था। पाईपों के लिए दर विश्लेषण प्रचलित बाजार दरों, मूल खरीद लागत, परिवहन प्रभार, टूट-फूट, कर, रॉयल्टी, ठेकेदारों का लाभ, पाँच वर्षो के लिए संचालन तथा संधारण आदि को देखते हुए किया गया था।

सरकार का प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निविदा में पाईपों की आपूर्ति के लिए अलग मद रखी गयी थी एवं यह एक गैर मूल दर अनुसूची[3] (बीएसआर) मद थी। अत: विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता के निर्देशों के अनुसार पाईपों की आपूर्ति ली जानी थी क्योंकि इस अवधि के दौरान दर संविदा विद्यमान थी। निविदा में बिछाना, जोड़ना एवं विशिष्ट सामग्री की लागत अलग से इंगित की गई थी। आगे, प्रभारों को पहले से ही संविदा में एक पृथक मद के रूप में शामिल

2 ₹ 1105 (80 एमएम); ₹ 1190 से ₹ 1356 (100 एमएम); ₹ 1450 (125 एमएम) एवं ₹ 1849 से ₹ 1850 (150 एमएम) प्रति मीटर।

3 वे मदें जो मूल दर अनुसूची के अंतर्गत आवृत्त नहीं होती हैं।

किया गया था एवं इसे पाईपों की लागत में शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, दर संविदा के अंतर्गत दरों में, राज्य में कहीं भी परेषिति (पाने वाले) के मण्डलीय भण्डार पर सुपुर्दगी एवं बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, चुंगी आदि की तरह प्रवेश कर, पैकिंग, बीमा, अग्रेषण, चढ़ाना, उतारना एवं चट्टे लगाने के प्रभार सम्मिलित थे। इसलिए, विभाग द्वारा किये गये दर विश्लेषण में इन प्रभारों को लादना त्रुटिपूर्ण था जिसके परिणामस्वरूप पाईपों की आपूर्ति के लिए उच्च दरें अनुमोदित की गई।

इस प्रकार से, संवेदकों द्वारा अनुचित उच्च दरों पर पाईपों की आपूर्ति करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए एकल दायित्व के आधार पर कार्यों के निष्पादन का उद्देश्य भी विफल रहा क्योंकि 10 कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं हुए।

3.1.2 अनियमित एवं अनधिकृत व्यय

वित्तीय शक्तियों के विपरीत अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन पर ₹ 19.38 करोड़ का अनियमित एवं अनधिकृत व्यय।

राजस्थान लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट XIII का क्रम संख्या 24, किसी कार्य विशेष के 'जी' अनुसूची या मात्रा बिल (बीओक्यू) में विद्यमान मात्रा से अतिरिक्त मात्रा की स्वीकृति, निष्पादन एवं भुगतान की शक्ति प्रतिपादित करता है।

(i) प्रशासनिक विभाग- स्वीकृत कार्य की निविदत्त राशि के 50 प्रतिशत तक अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक मद की मूल मात्रा के 50 प्रतिशत तक।

(ii) मुख्य अभियन्ता (मुअ)/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (अमुअ)/अधीक्षण अभियन्ता (अधीअ)/अधिशाषी अभियन्ता (अअ)-संबंधित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्य की निविदत्त राशि के 5 प्रतिशत तक अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक मद की मूल मात्रा के 5 प्रतिशत तक। उक्त सीमा से अधिक होने की दशा में, शक्तियों का प्रयोग, प्रचलित निविदा प्रीमियम कार्यस्थल तथा बाजार की स्थिति का निर्धारण करते हुये, अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा, मूल मात्रा के 5 प्रतिशत से अधिक एवं 25 प्रतिशत तक तथा स्वीकृत कार्य की निविदत्त राशि के भी 5 प्रतिशत से अधिक एवं 25 प्रतिशत तक का, निर्धारण किया जायेगा।

अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जालौर, भीनमाल एवं ग्रामीण-II जयपुर खण्डों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी एवं मई 2014) के दौरान यह विदित हुआ कि इन प्राधिकारियों ने अवधि 2009-14 के दौरान ₹ 0.20 करोड़ एवं ₹ 1 करोड़ के मध्य, 14 कार्यों[4] के लिए संविदा

4 वाल्व एवं अन्य विशिष्ट पुर्जों सहित एसी/यूपीवीसी पाईप लाईन की आपूर्ति, बिछाना, जोड़ना, परीक्षण करना एवं चालू करना (सारणी के क्रम संख्या 1 से 8) तथा 125/200 एमएम व्यास के नलकूप के साथ पुनर्भरण संरचना का निर्माण एवं चालू करना (सारणी के क्रम संख्या 9 से 14)।

निष्पादित की। दरें एक वर्ष के लिए वैध थी। छः ठेकेदारों[5] को कार्य आदेश इस शर्त के साथ आवंटित किये गये थे कि वे कार्य आदेश में अंकित वित्तीय सीमा उपयोग करने के पश्चात् कार्य नहीं करेंगें।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जॉच में पाया कि कार्यकारी प्राधिकारियों ने इन्हीं 14 कार्यो में अतिरिक्त कार्यो की स्वीकृति के लिए निवेदन किया। इन कार्यो का निष्पादन नयी निविदा आमन्त्रित किये बिना किया गया। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी ने निविदा राशि के 50 से 1250 प्रतिशत के मध्य उच्च व्यय स्वीकृत किया। नियमों के अंतर्गत इन प्राधिकारियों को प्रदत्त निर्धारित अधिकतम वित्तीय सीमा (25 प्रतिशत) से ये काफी बाहर थे, जैसा कि निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क.सं.	कार्य स्वीकृति प्राधिकारी	कार्य आदेश सं. एवं दिनांक	निविदा/ कार्य आदेश राशि	अतिरिक्त कार्य अनुमोदन प्राधिकारी	अतिरिक्त कार्यो की अधिकतम सीमा (कार्य आदेश राशि के 25 प्रतिशतता)	अनुमोदित संशोधित राशि (कार्य आदेश राशि की प्रतिशतता)	किया गया व्यय	सीमा से अधिक व्यय	
								राशि	प्रतिशतता
1	अधीअ, वृत जालौर	6331/6.1.14, 6334/6.1.14	0.20	मुअ (मु), जयपुर	0.050	2.70 (1250)	1.91	1.71	855
2	उपरोक्त	3224/5.8.11	0.30	अमुअ, जोधपुर	0.075	2.50 (733)	2.50	2.20	733
3	उपरोक्त	3230/5.8.11	0.30	उपरोक्त	0.075	2.50 (733)	2.50	2.20	733
4	उपरोक्त	3237/5.8.11	0.30	उपरोक्त	0.075	2.50 (733)	2.01	1.71	570
5	उपरोक्त	3244/5.8.11	0.30	उपरोक्त	0.075	2.50 (733)	2.50	2.20	733
6	अमुअ, जोधपुर	6112/ 16.9.09	0.30	अधीअ वृत जालौर	0.075	1.00 (233)	1.00	0.70	233
7	उपरोक्त	6109/ 16.9.09	0.30	उपरोक्त	0.075	1.50 (400)	1.50	1.20	400
8	उपरोक्त	6106/ 16.9.09	0.30	उपरोक्त	0.075	1.50 (400)	1.43	1.13	377
9	अधीअ, वृत जयपुर	3953-58/ 27.6.13	1.00	मुअ (मु), जयपुर	0.250	1.50 (50)	1.97	0.97	97
10	उपरोक्त	3934-40/ 27.6.13	1.00	उपरोक्त	0.250	1.50 (50)	1.65	0.65	65
11	उपरोक्त	3947-52/ 27.6.13	1.00	उपरोक्त	0.250	1.50 (50)	1.88	0.88	88
12	अमुअ, जयपुर	4194-99/ 2.7.13	1.00	उपरोक्त	0.250	1.50 (50)	1.92	0.92	92
13	उपरोक्त	4243-50/ 2.7.13	1.00	उपरोक्त	0.250	1.50 (50)	2.01	1.01	101
14	उपरोक्त	4151-59/ 1.7.13	1.00	उपरोक्त	0.250	1.50 (50)	2.90	1.90	190
			8.30		**2.075**	**25.70 (210)**	**27.68**	**19.38**	

उपर्युक्त सारणी स्पष्ट दर्शाती है कि कुल मूल्य ₹ 8.30 करोड़ निविदा/कार्य आदेश के समक्ष वास्तव में ₹ 27.68 करोड़ की लागत पर कार्यो का निष्पादन किया गया। कार्य मदों का अतिरिक्त मूल्य, मूल निविदा मूल्य से 65 से 855

5 (i) मै. एम.एम. कन्स्ट्रक्शन कं., जालौर (ii) मै. गनी खान खुदा बक्स खान, भीनमाल (iii) मै. कृष्णा कन्स्ट्रक्शन कं. तिलोड़ा, जालौर (iv) मै. लक्ष्मण सिंह सूर सिंह, भीनमाल (v) मै. श्री श्याम ट्यूबवैल कं. शाहपुरा एवं (vi) मै. श्याम एन्टरप्राईजेज ।

प्रतिशत के बीच था और लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों (25 प्रतिशत) के काफी बाहर था। इस प्रकार, कार्यकारी प्राधिकारी न केवल उनके खण्डों में कार्य की आवश्यकताओं के आंकलन में विफल हुए बल्कि विभाग, निविदाओं के ₹ 0.20 करोड़ से ₹ 1.00 करोड़ के कम मूल्य रखने की वजह से, उच्च श्रेणी के ठेकेदारों से प्रतियोगितात्मक दरें प्राप्त करने से भी वंचित रहा। अनुमोदनकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अपनी वित्तीय सीमाओं का उल्लंघन किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.38 करोड़ का अनियमित एवं अनधिकृत व्यय हुआ।

कार्य आदेश संख्या 6331 और 6334 के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, वृत जालौर ने लेखापरीक्षा का तर्क स्वीकार करते हुये स्पष्ट किया (अगस्त 2014) कि संबंधित अधिशाषी अभियन्ता ने कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ही ₹ 2.70 करोड़ के अतिरिक्त कार्यों के लिए सीधे ही मुख्य अभियन्ता (मु) से, बिना निर्धारित विभागीय प्रक्रिया अपनाऐ तथा बिना अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता की टिप्पणी के, अनुमति प्राप्त की। यह उनकी वित्तीय सीमा से 1250 प्रतिशत अधिक था। मुख्य अभियन्ता (मु) ने अधिशाषी अभियन्ता के निवेदन पर अपनी सेवा निवृत्ति के दिन, यथा 31.12.2013 को, 'प्रस्तावों के अनुसार अनुमत्य' लिखते हुए अनुमोदित किया था। अनुमोदन वैध नहीं था क्योंकि यह मुख्य अभियन्ता (मु) की वित्तीय शक्तियों से बाहर था। साथ ही इस अनुमोदन की जाँच निचले स्तर के प्राधिकारियों द्वारा, उनकी टिप्पणी के लिये नहीं की गई थी। संबंधित अधिशाषी अभियन्ता ने अनुबंध के तहत ₹ 1.88 करोड़ का कार्य अनुबंध की स्वीकृति से पूर्व निष्पादित किया। अधीक्षण अभियन्ता ने यह भी स्वीकार किया कि यदि ₹ 1.88 करोड़ के कार्यों के लिए निविदाऐं आमन्त्रित की जाती तो विभाग को प्रतियोगितात्मक दरें प्राप्त होती तथा विभाग पाईपों की आपूर्ति पर उत्पाद शुल्क के लिए छूट का हकदार भी होता जिसे विभाग के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।

अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड भीनमाल एवं ग्रामीण-II, जयपुर ने अवगत कराया (अप्रैल एवं मई 2014) कि निविदाऐं मुख्य अभियन्ता (मु) द्वारा अनुमोदित की गई थी एवं तदनुसार कार्य आदेश जारी किये गये और कार्य निष्पादित करवाया गया। प्रत्युत्तर उक्त नियमों के विपरीत था क्योंकि मुख्य अभियन्ता (मु) को प्रत्येक प्रकरण में कार्य आदेश/निविदा राशि से 25 प्रतिशत से अधिक के अतिरिक्त कार्य स्वीकृत करने की शक्तियां प्रदत्त नहीं की गई थी।

इस प्रकार, मूल स्वीकृति के 50 से 1250 प्रतिशत तक अतिरिक्त स्वीकृतियाँ जारी की गई और परिणामत: मूल कार्य आदेशों से 65 से 855 प्रतिशत तक व्यय अधिक किया गया था जो अनियमित एवं अनधिकृत था। निविदा प्राधिकारियों द्वारा जान बूझकर कार्य के क्षेत्र को कम करते हुए प्रतियोगितात्मक बोली के प्रवेश को प्रतिबंधित करने तथा विशेष ठेकेदारों को वित्तीय फायदा पहुँचाने की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित (मई एवं जुलाई 2014) किया गया, जिसका प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2014) था।

3.2 औचित्यता के विरूद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले

श्रम विभाग

3.2.1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन नहीं किया जाना

योजना के कमजोर क्रियान्वयन के कारण ऋण राशि ₹ 32.94 करोड़ का अनुपयोजित रहना एवं 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कर्ष केन्द्रो में उन्नयन नहीं किया जाना ।

भारत सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को विशिष्ट व्यवसाय एवं कौशल के उत्कर्ष केन्द्रों में उन्नयन करने के उद्देश्य से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) के लिए 'निजी जन सहभागिता के माध्यम से 1396 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन' करने की योजना का अनुमोदन (अक्टूबर 2007) किया। योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना तथा उनके कौशल को उन्नत करना था ताकि वे स्थिर रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्रक्रिया की मार्गदर्शक/अगुवाई करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा एक औद्योगिक सहभागी की पहचान की जानी थी। केन्द्र सरकार (श्रम एवं नियोजन मंत्रालय), राज्य सरकार एवं औद्योगिक सहभागी द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया जाना था। योजना की विभिन्न गतिविधियों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा योजना की प्रगति का अनुश्रवण किये जाने हेतु प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु, औद्योगिक सहभागी की अध्यक्षता में एवं उसके द्वारा स्थानीय उद्योग से मनोनीत चार सदस्यों के साथ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पाँच सदस्यों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को पदेन सदस्य सचिव के रूप, संस्था प्रबन्ध समिति की स्थापना की जानी थी।

योजना के अंतर्गत भारत सरकार, श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को ₹ 2.50 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण सीधे ही संस्था प्रबन्ध समिति को उपलब्ध करवाया जाना था। इस ऋण राशि का उपयोग, अतिरिक्त सिविल कार्यो के लिए (25 प्रतिशत से अधिक नहीं), सीड मनी (50 प्रतिशत से अधिक नहीं) संचालन अवधि के दौरान आवृत्ति व्ययों की पूर्ति के लिए कोरपस निधि में रखे जाने तथा मशीनरी एवं उपकरण का क्रय और प्रशिक्षण के बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन से सीधे जुड़ी अन्य गतिविधियों पर उपयोग हेतु किया जाना था। सभी बुनियादी सुविधाओं का विकास, योजना के प्रथम दो वर्षो में किया जाना था। प्रत्येक चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संस्था प्रबन्ध समिति

द्वारा, दीर्घ अवधि लक्ष्यों, कार्य संबंधी सुधार के लक्ष्यों, आधारभूत निष्पादन सूचकों एवं बुनियादी सुविधाओं वित्तीय आवश्यकताओं के विवरण को समाविष्ट करते हुए पाँच वर्ष की अवधि का 'संस्था विकास योजना' तैयार कर इसे राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को, प्रस्तुत करना था।

राजस्थान में उन्नयन के लिए 105 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चयनित किए गए थे एवं समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के उपरान्त, 2007-12 की अवधि के दौरान ऋण स्वीकृत किया गया। इनमें से 32 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिनकी पांच वर्ष की अवधि 31 मार्च 2014 को पूर्ण हो चुकी थी, लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चयनित किया गया। निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर के अभिलेखों की नमूना जांच एवं संग्रहित सूचनाओं (जून 2011 से अगस्त 2014) में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(अ) 2007-09 के दौरान स्वीकृत राशि की स्थिति एवं उपयोग (अक्टूबर 2014 तक) निम्नलिखित तालिका में दिखायी गयी है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षा विश्लेषण के लिए चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय	सीडमनी	कुल उपयोग	अव्ययित शेष
2007-08	17[6]	42.50	17.76	6.91	24.67	17.83
2008-09	15[7]	37.50	17.36	5.03	22.39	15.11
योग	**32**	**80.00**	**35.12**	**11.94**	**47.06**	**32.94**

32 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्वीकृत ऋण ₹ 80 करोड़ के विरूद्ध बुनियादी सुविधाओं के विकास पर केवल ₹ 35.12 करोड़ (44 प्रतिशत) व्यय किये गये। राशि ₹ 11.94 करोड़ (30 प्रतिशत) मियादी जमाओं में सीडमनी के रूप में रखी गई जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ₹ 40 करोड़ (50 प्रतिशत) तक की अनुमत्य राशि से बहुत कम थी। किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने इस निधि से व्यय नहीं किया था। राशि ₹ 32.94 करोड़ का अव्ययित ऋण संबंधित संस्था प्रबन्ध समिति के बैंक खातों में पड़ा था जिससे 30 जून 2014 तक ₹ 17.17 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया।

6 आबू रोड, अजमेर (महिला), अलवर (महिला), बालोतरा, बांसवाडा, ब्यावर, भीलवाडा, भिवाडी, बून्दी, डूंगरपुर, जयपुर (महिला), झालावाड, खेतडी, लाखेरी, नागौर, प्रतापगढ़ एवं सीकर में स्थित ।

7 अन्ता, भवानीमण्डी, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैतारण, जालौर, जोधपुर (महिला), करौली, किशनगढ़, रावतभाटा, सागवाडा, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर (महिला) में स्थित।

(ब) राज्य सरकार ने इन 32 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 138 नई व्यवसायिक इकाइयों[8] के साथ 36 व्यवसायों[9] को स्वीकृत (अक्टूबर 2009) किया। तदुपरान्त महानिदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार द्वारा दिए गए सुझाव (सितम्बर 2010) पर व्यावसायिक ईकाइयों को बढ़ाकर 250 कर दिया गया। कोष जारी करते समय भारत सरकार ने जोर दिया कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) से सम्बद्धता प्राप्त कर बुनियादी संरचनाओं (कार्यशाला, कक्षाशाला, उपकरण, फर्नीचर आदि) के विकास में एनसीवीटी के मानकों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा के अनुसार इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक ईकाई की स्थिति तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास की स्थिति (जून 2014) का वर्णन नीचे किया गया है:

(₹ करोड़ में)

कार्य की स्थिति (अतिरिक्त सिविल कार्य)	नमूना जाँच की गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संख्या	किया गया व्यय						कुल व्यय	व्यावसायिक ईकाइयों की स्थिति		
		सिविल कार्य		मशीनरी उपकरण[10]		मानव शक्ति प्रशिक्षण			स्वीकृत	संबंद्धीकरण	प्रारम्भ की गई
		परियोजना लागत	वास्तविक व्यय	परियोजना लागत	वास्तविक व्यय	परियोजना लागत	वास्तविक व्यय				
पूर्ण	15[11]	9.53	9.41	14.88	12.24	7.57	3.20	24.85	122	74	74
अपूर्ण	8[12]	4.91	2.46	8.85	4.14	4.05	0.73	7.33	56	12	12
अप्रारम्भ	9[13]	5.47	0.17	9.32	2.32	4.51	0.45	2.91	72	10	10
योग	**32**	**19.91**	**12.04**	**33.05**	**18.70**	**16.13**	**4.38**	**35.12**	**250**	**96**	**96**

उपर्युक्त तालिका से निम्नलिखित दृष्टिगत हुआ:

(i) पन्द्रह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने स्वीकृत 122 व्यावसायिक यूनिटों के साथ अतिरिक्त सिविल कार्य (₹ 9.41 करोड़) एवं मशीनरी/उपकरण की खरीद (₹ 12.24 करोड़) कर कार्य पूर्ण किया। यद्यपि, एनसीवीटी के साथ केवल 74 व्यावसायिक यूनिटों की सम्बद्धता प्राप्त की गई। इन 15 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से केवल 5 ने (ब्यावर, बांसवाडा, हनुमानगढ, जैतारण एवं उदयपुर) उनको स्वीकृत सभी 42 व्यावसायिक ईकाइयाँ चालू कीं, 5 ने केवल 32

8 "व्यवसाय ईकाई" स्वीकृत व्यवसाय के अंतर्गत विद्यार्थियों का समूह/कक्षा है।

9 "व्यवसाय" एक कुशल प्लम्बर, विद्युतकर्मी, फिटर, वैल्डर, टर्नर, बढ़ई आदि का एक शाखा या पाठयक्रम है।

10 योजना में प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु आवश्यक मशीनों एवं उपकरणों की खरीद की विशिष्टिता नहीं की गई थी। संस्था विकास योजना के तहत व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार इन्हे खरीदा जाना था।

11 अन्ता, बांसवाडा, ब्यावर, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर (महिला), जैतारण, जोधपुर (महिला), खेतडी, सीकर, उदयपुर (महिला), लाखेरी, सिरोही एवं टोंक में स्थित।

12 अजमेर (महिला), भिवाडी, दौसा, जालौर, करौली, किशनगढ, नागौर एवं प्रतापगढ में स्थित।

13 आबू रोड़, अलवर (महिला), बालोतरा, भवानीमण्डी, भीलवाडा, बून्दी, झालावाड़, रावतभाटा एवं सागवाडा में स्थित।

व्यावसायिक ईकाइयां (52 के विरूद्ध) आरम्भ की जबकि 5 ने स्वीकृत 28 व्यावसायिक ईकाइयों में से कोई भी चालू नहीं की ।

(ii) आठ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने सिविल कार्य पर केवल ₹ 2.46 करोड़ (₹ 4.91 करोड़ के विरूद्ध) तथा मशीनरी/उपकरण खरीद पर केवल ₹ 4.14 करोड़ (₹ 8.85 करोड़ के विरूद्ध) व्यय किये और इस प्रकार से, बुनियादी कार्य पूर्ण नहीं किया। इन 8 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 56 व्यावसायिक ईकाइयाँ स्वीकृत थी जिसमें से केवल 12 व्यावसायिक ईकाइयों के लिए एनसीवीटी से संम्बद्धता प्राप्त की गई। ये 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (भिवाडी एवं किशनगढ़) उनके मौजूदा बुनियादी संरचनाओं के साथ चालू की जा चुकी है, एवं बाकी 4 व्यवसायिक ईकाइयां अभी चालू की जानी थी। शेष 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने स्वीकृत 40 व्यावसायिक ईकाइयों में कोई भी चालू नहीं की।

(iii) नौ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने कोई भी ढांचागत कार्य आरम्भ नहीं किया और सिविल कार्य पर ₹ 0.17 करोड़ (₹ 5.47 करोड़ के विरूद्ध) तथा मशीनरी/उपकरण की खरीद पर ₹ 2.32 करोड़ (₹ 9.32 करोड़ के विरूद्ध) अल्प व्यय किया। इन नौ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 72 व्यावसायिक ईकाइयां स्वीकृत की गई थी, इन में से 10 व्यावसायिक ईकाइयों के लिए एनसीवीटी से सम्बद्धता प्राप्त की गई, जिन्हें दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (अलवर एवं भवानीमण्डी) (20 के विरूद्ध) द्वारा इनके मौजूदा संरचनाओं में चालू किया गया। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा शेष 62 व्यावसायिक ईकाइयों को चालू नहीं किया गया था।

(स) राज्य सरकार ने प्रारम्भ में 138 नयी ईकाइयों को चलाने के लिए 138 कनिष्ठ अनुदेशकों के पद सृजित (अक्टूबर 2009) किये, जिनमें नियमित आधार पर केवल 5 तथा संविदा आधार पर 45 अनुदेशक ही पदस्थापित किए गए। तदनन्तर व्यावसायिक ईकाइयों की संख्या 250 बढाने पर इन पदों में बढोतरी नहीं की गई। इस प्रकार 50 अनुदेशकों द्वारा 96 व्यावसायिक ईकाइयां चलाई जा रही थी।

(द) अधिकतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने उनके बुनियादी संरचनाओं का विकास नहीं किया, यह स्पष्ट है कि योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन एवं इसकी प्रगति के अनुश्रवण को सुनिश्चित करने में संस्था प्रबन्ध समिति विफल रही, परिणामस्वरूप सिविल कार्य, मशीनरी की खरीद तथा अनुदेशकों की नियुक्ति आदि कार्य अपूर्ण रहे। केवल पाँच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ही सभी प्रकार से पूर्ण पाये गये।

(य) उन्नयन की प्रक्रिया की अगुवाई में प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक औद्योगिक सहभागी को शामिल किया गया था, जिसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन में वित्तीय अंशदान देना था यद्यपि इसकी कोई पूर्व शर्त नहीं

थी। वे मशीनरी एवं उपकरणों का योगदान भी कर सकते थे जिससे उपकरणीय सामर्थ्यता से योजना के उद्देश्य को आगे बढाया जा सकता था। तथापि, चार औद्योगिक सहभागियों, जिन्होने एक नलकूप (भीलवाडा), एक मोटर कार (भिवाडी), एक छात्रावास भवन (धौलपुर) और तीन कम्प्यूटर (हनुमानगढ़) दिये, के योगदान को छोड़कर योजना को किसी भी औद्योगिक सहभागी ने कोई वित्तीय सहयोग, मशीनरी या उपकरणों का योगदान नहीं दिया। इससे यह इंगित होता है कि विभाग, अधिकतर औद्योगिक सहभागियों को उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए राजी नहीं कर पाया। दक्षता उन्नयन की प्रक्रिया में भी उनके मार्गदर्शक की भूमिका बहुत कमजोर रही क्योंकि ईकाईयों को चलाने में उन्होने कोई रूचि नहीं दिखाई।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुऐ अवगत कराया (अक्टूबर 2014) कि सिविल कार्यो को पूर्ण करवाने एवं शेष राशि के उपयोग के प्रयास किये जा रहे हैं। शेष व्यवसायों के उपयोग के लिए संसाधनों का विकास किया जा रहा है। आगे, यह भी अवगत करवाया कि अनुदान के उपयोग नहीं किये जाने की दशा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, उनके बाद के औद्योगिक विकास आयोजना के प्रस्तावों को प्रस्तुत कर उसका उपयोग आगामी पाँच वर्षो में लिया जा सकेगा।

तथ्य यह रहा कि योजना की धीमी गति से क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पाँच वर्ष व्यतीत होने एवं ₹ 25.61 करोड़[14] व्यय होने के बावजूद भी 154 ईकाइयां (74 प्रतिशत) प्रारम्भ नहीं की जा सकी एवं ₹ 32.94 करोड़ की ऋण राशि भी अनुपयोजित रही।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.2.2 तीन वर्ष से अधिक समय तक निधियों का अवरोधन

बिना कार्मिकों के परिनियोजन सुनिश्चित किये कार्डियो थोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी इकाई के निर्माण व उपकरणों के क्रय करने से ₹ चार करोड़ की निधियों का तीन वर्षो से भी अधिक समय तक अवरूद्ध रहना।

राजस्थान सरकार ने दिसम्बर 2004 में शहरी विकास हेतु जनसाधारण से योगदान आमंत्रित करने के लिए एक शहरी जन सहभागी योजना (शजयो) प्रारम्भ की जिसमें सामान्य जागरूकता एवं विकास कार्य दो मुख्य घटक थे। योजना के तहत विकास परियोजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत राज्य सरकार, 30 प्रतिशत जनसामान्य के योगदान तथा 20 प्रतिशत सम्बन्धित नगर परिषदों/नगर सुधार न्यासों के योगदान द्वारा वहन की जानी थी।

14 ₹ 35.12 करोड़- ₹ 9.51 करोड़ (पांच आईटीआई में सभी व्यवसाय चल रहे थे)

मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा (अप्रैल 2007) की अनुपालना में चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार ने शहरी जन सहभागी योजना के अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल, अजमेर में भवन निर्माण व उपकरण क्रय कर एक कार्डियो थोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी इकाई (सीटीवीएसयू) के विकास का अनुमोदन (जून 2007) किया एवं तदनुसार अधीक्षक, जेएलएन अस्पताल को योगदान के लिए निजी दानदाताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करने तथा कलेक्टर, अजमेर को शहरी जन सहभागी योजना के अन्तर्गत निर्माण प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी करने को कहा (जून 2007) गया।

अधीक्षक, जेएलएन अस्पताल, अजमेर के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर-दिसम्बर 2013) में प्रकट हुआ कि ₹ 4.02 करोड़[15] की उपलब्ध निधि के समक्ष भवन निर्माण पर ₹ 0.88 करोड़ व उपकरण क्रय पर ₹ 2.22 करोड़ व्यय किये गये। ₹ 0.92 करोड़[16] की शेष राशि विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों के पास पड़ी थी।

- राशि ₹ 0.88 करोड़ की लागत से निर्मित भवन जो कि जुलाई 2012 में पूर्ण हो चुका था, अनुपयोगी पड़ा रहा (मई 2014)।

- सीटीवीएसयू के संचालन के लिए ₹ एक करोड़ की लागत के उपकरण जनवरी से मार्च 2009 के मध्य तथा ₹ 1.22 करोड़ के उपकरण सितम्बर 2012 से मार्च 2013 के मध्य क्रय किये गए। ये सभी उपकरण क्रय करने के बाद से ही अनुपयोगी पड़े थे। बिना उपयोग के लम्बे समय तक महंगे उपकरणों का भंडारण करना, उन्हें अप्रभावी व अनुपयोज्य बना सकता है।

- अस्पताल, योजनानुसार निजी दानदाताओं से कोई भी योगदान प्राप्त करने में असफल रहा जैसाकि योजना में परिकल्पित था।

- यह भी पाया गया कि सीटीवीएसयू के संचालन के लिए आवश्यक 86 कार्मिकों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा केवल 32 पद ही स्वीकृत (नवम्बर 2012) किये और ये भी खाली पड़े थे (मई 2014)।

राज्य सरकार ने बताया (मई व सितम्बर 2014) कि एक डॉक्टर को कार्डियो थोरेसिक सर्जन के रूप में जून 2008 में पदस्थापित किया गया था, जिसने सितम्बर 2012 तक रोगियों[17] को चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध करवाई तथा ₹ 2.22 करोड़ की लागत के उपकरण उनके क्रय करने के बाद से ही उपयोग में लिए गए, अत: सीटीवीएसयू पर व्यय राशि को निष्फल नहीं कहा जा सकता।

15 नगर सुधार न्यास, अजमेर से ₹ 3.00 करोड़ तथा राज्य सरकार से ₹ 1.02 करोड़।

16 उपकरण के पेटे राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के पास ₹ 0.78 करोड; भवन निर्माण के पेटे सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास ₹ 0.12 करोड़ तथा राजकोष में समर्पित राशि ₹ 0.02 करोड़।

17 ओपीडी: 2302; आईपीडी: 1012; क्लोज हार्ट सर्जरी: 154; थोरेसिक सर्जरी: 54; वैस्कुलर सर्जरी: 97; ट्रौमा: 90; मेजर ऑपरेशन: 4 एवं ओपन हार्ट सर्जरी: 1

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, सीटीवीएसयू भवन का निर्माण व अस्पताल प्रशासन को इसका सुपुर्दगी ही जुलाई 2012 में किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा दल द्वारा उप अधीक्षक, जेएलएन अस्पताल के साथ किए गए संयुक्त निरीक्षण (दिसम्बर 2013) में यह प्रकट हुआ कि इकाई भवन एवं उपकरणों का उपयोग हुआ ही नहीं था। अत: सरकार का तर्क कि उपकरण उपयोग में लाए जा रहे थे सही नहीं था।

इस प्रकार, विभाग द्वारा सीटीवीएसयू भवन व इससे सम्बन्धित उपकरणों के उपयोग में असफल होने से न केवल ₹ चार करोड़[18] की निधियाँ तीन वर्षों से भी अधिक समय तक अवरूद्ध रहीं बल्कि रोगी भी तत्काल राहत मिलने से वंचित रहे। साथ ही निजी दान के सृजन में निष्ठापूर्वक प्रयासों की कमी के कारण सारी लागत राज्य सरकार/नगर सुधार न्यास को वहन करनी पड़ी।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

3.2.3 परियोजना के निष्पादन में विलम्ब

33 केवी फीडर लाईन के कार्य का निष्पादन नहीं करने के कारण ₹ 4.12 करोड़ की निधियाँ सात वर्ष से अधिक के लिए अवरूद्ध रही एवं 138 गांवों की जनता पेयजल योजना की आपूर्ति से वंचित रही।

अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजीव गांधी लिफ्ट नहर वृत-II, जोधपुर ने मुख्य अभियन्ता, परियोजना आयोजना एवं प्रबन्धन (पीपीएम) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को नर्मदा नहर से पेयजल आपूर्ति परियोजना के लिए, अविरल विद्युत आपूर्ति हेतु डेडीकेटेड फीडर लाईन की व्यवस्था करने का निवेदन (फरवरी एवं अगस्त 2006) किया। तद्नुसार जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने एक अन्तरिम अनुमान (₹ 22.75 करोड़)[19] प्रस्तुत (अक्टूबर 2006) किया जिसमें 95 किलोमीटर (किमी)[20] की डेडीकेटेड फीडर लाईन के लिए

18 किया गया व्यय: ₹ 3.10 करोड़, सानिवि के पास: ₹ 0.12 करोड़ और आरएमआरएस के पास अनुपयोगी पड़ा: ₹ 0.78 करोड़ ।

19 95 किमी 33 केवी लाईन हेतु: ₹ 10.45 करोड़; 33/3.3 केवी एवं 33/0.4 केवी 3 उपकेन्द्र हेतु: ₹ 4.80 करोड़; 33/0.4 केवी 6 उपकेन्द्र हेतु: ₹ 7.50 करोड़ = योग: ₹ 22.75 करोड़।

20 एफआर; परियोजना: 33 केवी फीडर लाईन सांचौर से तेतरोल = 25 किमी; दसपा से बागोड़ा हेडवर्क = 24 किमी; सायला से उम्मेदाबाद = 10 किमी; पहाड़पुर से सिल्लू = 10 किमी ।

डीआर परियोजना: 33 केवी फीडर लाईन सांचौर से अगार = 6 किमी; अगार से पहाडपुर = 3 किमी; साकड से सरनाऊ: 6 किमी; साकड से कुढा: 9 किमी और रानीवाड़ा से देवपुरा: 2 किमी।

33 केवी लाईन हेतु ₹ 10.45 करोड़ (मार्च 2007 में 102 किमी हेतु ₹ 11.22 करोड़ संशोधित) शामिल थे। इसकी अनुपालना में, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नर्मदा नहर परियोजना (ननप) खण्ड, सांचौर ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 10.72 करोड़ (नवम्बर 2006: ₹ 7.20 करोड़ एवं मार्च 2007: ₹ 3.52 करोड़) अग्रिम जमा करवाये। इस राशि में एफआर परियोजना के लिए राशि ₹ 6.60 करोड़ एवं डीआर परियोजना के लिए ₹ 4.12 करोड़, दोनों की फीडर लाईन कार्य के लिए, शामिल थे। 76 किमी के लिए एफआर परियोजना का कार्य अप्रैल 2014 में पूर्ण कर लिया गया था।

दो परियोजनाओं, यथा एफआर-आरडी- 44.22 ट्रांसमीशन मेन-I, तेतरोल-बागड़ा -जालौर-अहोर (एफआर परियोजना) एवं डीआर-आरडी-16.00 ट्रांसमीशन मेन-I सांचौर-रानीवाडा-जसवंतपुरा (डीआर परियोजना), को सम्मिलित कर 102 किमी की डेडीकेटेड फीडर लाईन के लिए 33 केवी लाईन, का कार्य जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सौंपा गया। अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ननप वृत, सांचौर के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसम्बर 2012) एवं अतिरिक्त संग्रहित सूचनाओं (अगस्त 2013 एवं अप्रैल 2014) में प्रकट हुआ कि:

- डीआर परियोजना में ₹ 4.12 करोड़ की अनुमानित लागत की 26 किमी फीडर लाईन के कार्य से, जालौर जिले के सांचौर कस्बे के साथ-साथ 138 गांवो को, लाभ पहुँचाने का उद्देश्य था। डीआर परियोजना (सिविल कार्य) के निष्पादन के लिए एकल बिन्दु दायित्व[21] (एसपीआर) पर निविदा अप्रैल 2007 एवं पुन: अक्टूबर 2007 में आमन्त्रित की गई थी।

- तथापि, वित्त समिति ने निविदा प्रक्रिया को बंद करने तथा परियोजना को वार्षिक भुगतान आधार पर कराऐ जाने का निर्णय (अक्टूबर 2007) लिया। राज्य सरकार ने इस परियोजना को बनाना-संचालन-स्थानान्तरण (बीओटी) आधार पर किए जाने वाली परियोजनाओं की सूची में शामिल किया (जून 2008)।

- इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए अधीक्षण अभियन्ता ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 33 केवी लाईन के निर्माण का कार्य आगामी सूचना तक प्रारम्भ नहीं करने के निर्देश जारी (मार्च 2009) किये ।

- राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता नहीं दी गयी और इसके लिए तीन वर्ष छ: माह तक निधियां भी आवंटित नहीं की। सिविल कार्य के लिए एकल बिन्दु दायित्व आधार पर नवम्बर 2012 में निविदा आमन्त्रित की गई तथा

21 एकल बिन्दु दायित्व का उपयोग टर्नकी परियोजना के लिए किया जाता है जिसके अन्तर्गत सभी कार्य की मदों को ठेकेदार द्वारा एकल बिन्दु दायित्व जैसे निष्पादित किया जाता है।

कार्य पूर्ण करने की सम्भावित तिथि फरवरी 2015 के साथ यह कार्य आवंटित (फरवरी 2013) किया गया।

परियोजना का निष्पादन बीओटी अथवा अन्य आधार पर करवाने में सरकार के अनिर्णय की स्थिति के कारण पाँच से अधिक वर्षों (अप्रैल 2007 से फरवरी 2013) का असामान्य विलम्ब हुआ और 138 गांवो की जनसंख्या, नलों से पेयजल प्राप्त करने से वंचित रही। इसके अतिरिक्त, जैसे ही वित्त समिति ने परियोजना को बीओटी आधार पर लिये जाने का निर्णय (अक्टूबर 2007) लिया था, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को दिये गये अग्रिम (₹ 4.12 करोड़) की वसूली की जानी चाहिए थी। इस राशि की वसूली नहीं करने के परिणामस्वरूप सरकारी धन का अवरोधन हुआ। इसके अलावा, सरकार के अनिर्णय की स्थिति के कारण परियोजना की लागत भी ₹ 64.99 करोड़ से (₹ 194.62 करोड़ - ₹ 129.63 करोड़) बढ़ गयी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवम्बर 2014) कि क्योंकि परियोजना के लिए नई स्वीकृति जारी नहीं की गई थी अपितु मूल स्वीकृति की संशोधित स्वीकृति 28 अगस्त 2012 को जारी की गई थी, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पास जमा राशि वापिस नहीं ली गई। प्रत्युत्तर पुष्टि करता है कि सरकारी धन सात वर्षों से अधिक के लिए अवरूद्ध रहा।

3.2.4 परिहार्य अतिरिक्त दायित्व का सृजन

द्वितीय निम्न बोली दाता की समझौता दरें, जो अनुमानित लागत से कम थी, को निरस्त करने एवं निविदा प्रकिया के अन्तिमीकरण में असामान्य देरी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप, कार्य का आवंटन ₹ 8.02 करोड़ की अतिरिक्त परिहार्य लागत/दायित्व पर किया जाना।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल की नीति निर्धारण समिति ने बारां जिले की अन्ता, बारां एवं मंगलोर तहसीलों के 42 गांवों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'नागदा अन्ता बलदेवपुरा जल आपूर्ति परियोजना' हेतु ₹ 71.68 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी (दिसम्बर 2010) की। तदनुसार अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कोटा ने कार्य के लिए निविदा आमन्त्रित (अप्रैल 2011) की।

मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विशेष परियोजना (विप), जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 2014) में यह ध्यान में आया कि उक्त कार्य के लिए पाँच निविदाऐं प्राप्त हुई (15 अप्रैल 2011), मैं. श्रीराम ईपीसी लिमिटेड, चेन्नई (ठेकेदार 'अ'), ₹ 49.10 करोड़ के प्रस्ताव के साथ निम्नतम

बोलीदाता पाया गया, जो अनुमानित लागत (₹ 51.85 करोड[22]) से 5.30 प्रतिशत कम थी एवं इसलिए उसकी निविदा की सिफारिश, सचिव, राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल, जयपुर द्वारा अनुमोदन के लिए प्रेषित की गई। (13 मई 2011)। ठेकेदार 'अ' के विरूद्ध निविदा पूर्व योग्यता के मापदण्ड पूर्ण करने हेतु अनुभव प्रमाण-पत्रों में जालसाजी करने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुयी (17 मई 2011) शिकायत के आधार पर, राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल की वित्त समिति ने प्रकरण की जाँच की और इसे सही पाये जाने पर, निविदा आमन्त्रण सूचना के वाक्यांश 28 को लागू करते हुये, ठेकेदार 'अ' की निविदा निरस्त करने का निर्णय लिया (24 मई 2011)। ठेकेदार 'अ' को एक वर्ष के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से बहिष्कृत किया गया तथा द्वितीय निम्न बोलीदाता मै. एसपीएमएल इन्फ्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली (ठेकेदार 'ब') से उसके प्रस्ताव कम करने के लिए समझौता वार्ता की गई।

ठेकेदार 'ब' ने समझौता वार्ता के दौरान उसके मूल प्रस्ताव को ₹ 49.08 करोड़ संशोधित (मई 2011) मूल्य के साथ ₹ 34.98 लाख तक कम किया जो अनुमानित लागत (₹ 51.85 करोड़) से 5.34 प्रतिशत एवं प्रथम निम्नतम दर से ₹ 0.02 करोड़ कम था। तथापि, ठेकेदार 'ब' के प्रस्ताव को विचार करते समय वित्त समिति ने पाया (जून 2011) कि द्वितीय न्यूनतम निविदादाता की दरें हाल के अतीत में अनुमोदित दरों से उच्च (20.19 प्रतिशत से 28.58 प्रतिशत) थी, अत: नये सिरे से निविदा आमन्त्रित करने का निर्णय किया गया।

वित्त समिति द्वारा ठेकेदार 'अ' को बहिष्कृत करने सम्बन्धी लिए गये निर्णय को बाद में वित्त समिति द्वारा इस आधार पर निरस्त (जुलाई 2011) कर दिया गया। लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के परिशिष्ट -16 के नियम VIII.5 के प्रावधानों के अन्तर्गत उसको सूची से बहिष्कृत किया जाना आवृत्त नहीं होता।

तदनुसार, दरों की मूल अनुसूची (बीएसआर) 2011 पर आधारित संशोधित अनुमानित लागत (₹ 62.55 करोड़) पर 27 सितम्बर 2011 को पुन: निविदा आमन्त्रित की गई तथा छ: वैध प्रस्ताव प्राप्त किये जिनमें निम्नतम प्रस्ताव ₹ 57.10 करोड़ ठेकेदार 'अ' का था। इस तथ्य के बाबजूद कि पहले उसका प्रस्ताव (₹ 49.10 करोड़) जाली दस्तावेजों के आधार पर निरस्त कर दिया गया था एवं द्वितीय न्यूनतम निविदादाता का, ₹ 49.08 करोड़ का समझौता वार्ता का प्रस्ताव उच्च समझा गया था, ठेकेदार 'अ' का नया ₹ 57.10 करोड़ का प्रस्ताव, प्रथम बोली के द्वितीय निविदादाता की समझौता वार्ता प्रस्ताव से 16.34 प्रतिशत उच्च होने के

22 इसमें एनिकट निर्माण: ₹ 8.55 करोड़; आकस्मिकताऐं: ₹ 3.12 करोड़; निष्पादन अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि: ₹ 0.16 करोड़; संस्थापन एवं पर्यवेक्षण प्रभार: ₹ 2.81 करोड; शहरी घटको पर अनुपात: ₹ 3.16 करोड़; बिजली संबंध: ₹ 0.90 करोड़ एवं विविध कार्य: ₹ 1.13 करोड़ शामिल नहीं हैं।

बावजूद, 2 जुलाई 2012 को अनुमोदित कर दिया गया। ठेकेदार 'अ' को कार्य का आवंटन 14 सितम्बर 2012 को (अनुमोदन के दो माह बाद) किया गया।

इस प्रकार, मई 2011 में द्वितीय निम्नतम निविदादाता के समझौता वार्ता प्रस्ताव ₹ 49.08 करोड़ को निरस्त करने एवं सितम्बर 2012 में पुन: निविदा पर संवेदक 'अ' को ₹ 57.10 करोड़ पर कार्य आवंटन किये जाने के अविवेकी निर्णय से ₹ 8.02 करोड़[23] की अतिरिक्त परिहार्य लागत परिणामित हुई। इसके अतिरिक्त 42 गांवों की जनता एक वर्ष से अधिक अवधि तक सुरक्षित पेयजल से वंचित रही।

प्रकरण राज्य सरकार को फरवरी 2014 में प्रेषित किया गया, प्रत्युत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2014)।

3.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताऐं

वित्त विभाग

3.3.1 पेंशन का सतत् अधिक भुगतान

कोषाधिकारियों द्वारा निर्धारित जांच करने में असफल रहने के कारण पेंशन/ पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 153.75 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान हुआ।

राजस्थान सिविल सेवाऐं (पेंशन) नियम, 1996 का परिशिष्ट-VI (क्र.सं.9) अनुबन्धित करता है कि कोषाधिकारी (टीओ), बैंकों द्वारा किये गये भुगतानों की शुद्धता जांच, उसके द्वारा संधारित अभिलेखों से करेगा और इसके बाद ही व्यवहार को अपने लेखों में सम्मिलित करेगा।

जन लेखा समिति ने, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए प्रतिवेदन (सिविल) राजस्थान सरकार के अनुच्छेद 3.3.1 का परीक्षण करते समय, सिफारिश की (फरवरी 2013) कि विभाग भविष्य में ऐसे अधिक भुगतानों की पुनरावृत्ति को रोकने के कदम उठाये और इस बारे में प्रधान महालेखाकार व जन लेखा समिति को सूचित करे।

विभाग ने बैंकों को (दिसम्बर 2012 और अप्रैल 2013) और कोषाधिकारियों को (मार्च 2013) आवश्यक निर्देश जारी किये कि ऐसे अधिक भुगतान की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए वे बैंकों का दौरा करें।

23 ₹ 57.10 करोड़ (-) ₹ 49.08 करोड़।

116 बैंकों एवं 195 कोषालयों/उप कोषालयों द्वारा किये गये पेंशन भुगतानों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2013 से मार्च 2014) में प्रकट हुआ कि 308 पेंशनरों को अधिवार्षिकी/पारिवारिक पेंशन का मई 1995 से जनवरी 2014 की अवधि में निम्न विवरणानुसार राशि ₹ 153.75 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान हुआ:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	किया गया अधिक भुगतान	
		प्रकरणों की संख्या	राशि
1	निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् पारिवारिक पेंशन का कम नहीं किया जाना (राजस्थान सिविल सेवाऐं (पेंशन) नियम 1996 का नियम-62)	79	57.93
2	आश्रितों द्वारा 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने/विवाह करने/नियोजन के पश्चात् भी पारिवारिक पेंशन बंद नहीं किया जाना (नियम-67)	03	3.63
3	लघुकरण के पश्चात् भी पेंशन, कम नहीं किया जाना (नियम-28)	114	25.39
4	पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात् भी पेंशन का भुगतान	08	1.39
5	पेंशनरों को उनके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान मंहगाई राहत का भुगतान (नियम-164)	03	1.61
6	मंहगाई राहत का गलत भुगतान	06	3.97
7	पेंशन एवं मंहगाई राहत का अनुमत्य से अधिक दर पर भुगतान	44	40.07
8	उपादान भुगतानों से देयताओं की वसूली नहीं किया जाना (नियम-92)	40	14.72
9	विविध	11	5.04
	योग	**308**	**153.75**

विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं।

- इन्टीग्रेटेड फाईनेन्शियल मेनजमेन्ट सिस्टम के 'सिविल पेंशन मोडयूल' के अंतर्गत संधारित किये जा रहे 'आन लाइन पेंशन जाँच रजिस्टर' सत्यापन के पश्चात् मासिक लेखे प्रत्येक माह प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

- कोषाधिकारियों को सिविल पेंशन के अद्यतन आँकडों को तैयार करने एवं पेंशन भुगतानों की 100 प्रतिशत् शुद्धता की जाँच के बाद ही मासिक लेखों में पेंशन भुगतानों को शामिल करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

- बैंकों द्वारा प्रत्येक महीने सिविल पेंशन की वेबसाइट पर पेंशन भुगतान के ई-स्क्रोल दर्ज किये जा रहे हैं।

तथापि, विभाग द्वारा लिए गए इन कदमों के बावजूद भी अनियमितताएं सतत् रूप से जारी थी। इसलिए विभाग द्वारा ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आन्तरिक नियत्रंण की प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

सरकार ने सूचित किया (सितम्बर 2014) कि ₹ 113.11 लाख की वसूली की जा चुकी है (लेखापरीक्षा के आग्रह पर) एवं शेष राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.4 कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन में विफलता

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

3.4.1 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना का क्रियान्वयन

कक्षा 6 से 12 तक के जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु राजस्थान में 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना' वर्ष 2002-03 में प्रारम्भ की गयी। योजना के अनुसार, ये आवासीय विद्यालय थे और इनके द्वारा विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा एवं आधारभूत सुविधाऐं यथा भोजन, पोशाक, स्वेटर, जूते, जूराबें इत्यादि उपलब्ध कराया जाना था। योजना के अन्तर्गत, निधियाँ 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनजाति जनसंख्या 92.39 लाख थी जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या (685.48 लाख) का 13.48 प्रतिशत थी। अब तक, आठ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय इस योजनान्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, छ:[24] एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन हैं।

जनजाति मामलात् मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना हेतु मार्गदर्शिका जारी करता है, उसमें संशोधन, क्रियान्वयन की समीक्षा एवं अनुश्रवण करता है। राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, योजना का संपूर्ण प्रभारी है। आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर योजना के संपूर्ण अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर पर, परियोजना अधिकारी जनजातीय अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

[24] अलवर में मलाना, करौली में रानोली, सवाई माधोपुर में बरनाला, जयपुर में बिहारीपुरा, बॉसवाड़ा में पाडोला, और डूँगरपुर में गढ़ अरण्डिया।

लेखापरीक्षा द्वारा राज्य में योजना के क्रियान्वयन के आंकलन की समीक्षा, चार संचालित आवासीय विद्यालयों[25] (दो लड़कियों एवं दो लड़कों) में की गयी एवं सभी छः निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयों की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया। कक्षा 6 से 12 तक के 350 विद्यार्थी क्षमता वाले तीन आवासीय विद्यालय (हनोतिया, कोटड़ा एवं निवाई), शैक्षणिक सत्र 2002-03 से प्रारम्भ किए गए थे, जबकि कक्षा 6 से 8 तक का 210 विद्यार्थी क्षमता वाला एक आवासीय विद्यालय (टिमरवा) शैक्षणिक सत्र 2012-13 से प्रारम्भ किया गया था।

योजना का क्रियान्वयन

3.4.1.1 विद्यार्थियों का नामांकन

नमूना जाँच किए गए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2011-14 के दौरान विद्यार्थियों की नामांकन क्षमता एवं उनके समक्ष वास्तविक नामांकन की स्थिति निम्नानुसार थी:

	विद्यालय का नाम	जिले का नाम	स्वीकृत संख्या	2011-12		2012-13		2013-14	
				वास्तविक नामांकन	कमी का प्रतिशत	वास्तविक नामांकन	कमी का प्रतिशत	वास्तविक नामांकन	कमी का प्रतिशत
1	हनोतिया	बारॉं	350	308	12	314	10	312	11
2	कोटड़ा	उदयपुर	350	293	16	272	22	250	29
3	निवाई	टोंक	350	342	2	344	2	339	3
4	टिमरवा	प्रतापगढ़	210	शैक्षणिक सत्र 2012-13 से प्रारम्भ		60	71	90	57

स्रोत : एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना ।

उपरोक्त तालिका में यह देखा गया कि:

(i) आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) के लिए, नामांकन में 16 से 29 प्रतिशत की कमी हुयी। नामांकन में यह कमी अध्यापन स्टॉफ की अनुपलब्धता एवं निकटवर्ती क्षेत्र में अन्य विद्यालयों की उपलब्धता के कारण थी।

(ii) आवासीय विद्यालय हनोतिया (बारॉं) में नामांकन की कमी में लगभग स्थिरता रही।

लेखापरीक्षा आक्षेप का प्रत्युत्तर देते हुए राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि नामांकन की कमी में सुधार हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे।

[25] एआआवि हनोतिया (बारॉं), कोटड़ा (उदयपुर), निवाई (टोंक) एवं टिमरवा (प्रतापगढ़) में स्थित है।

3.4.1.2 अध्यापन स्टॉफ की कमी

मार्गनिर्देशिका के अनुच्छेद संख्या IV(viii) के अनुसार, अध्यापकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चुनी गई सोसायटी द्वारा उस पद्धति से, जो सर्वोत्तम उपयुक्त हो, की जावेगी।

लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना के अन्तर्गत विद्यालयों के लिए नियमित अध्यापकों की भर्ती हेतु कोई तंत्र मौजूद नहीं था। नमूना जांच किए गए विद्यालयों में सभी नियुक्त अध्यापक, शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर अथवा आकस्मिक स्टॉफ के रूप में नियुक्त थे, जैसाकि स्वीकृत एवं कार्यरत अध्यापन स्टॉफ की नीचे दिखाई गयी स्थिति से स्पष्ट है :

क्रम संख्या	एआवि का नाम	स्वीकृत पद	31 मार्च 2014 को कार्यरत पद			कमी (प्रतिशतता)
			प्रतिनियुक्ति पर	संविदा आधार पर	योग	
1	हनोतिया (बारॉं)	18	6	7	13	5 (28)
2	कोटड़ा (उदयपुर)	26	3	3	6	20 (77)
3	निवाई (टोंक)	25	18	–	18	7 (28)
4	टिमरवा (प्रतापगढ़)	6	4	–	4	2 (33)
	योग	**75**	**31**	**10**	**41**	**34** (45)

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

नमूना जाँच किए गए चार आवासीय विद्यालयों में, 31 मार्च 2014 को 75 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 41 अध्यापक प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर कार्यरत थे। इस प्रकार, वहाँ 34 (45 प्रतिशत) अध्यापकों की कमी थी। अध्यापकों की अधिकतम कमी (77 प्रतिशत) आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) में थी, जिसका कि एक मुख्य कारण, नामांकन की कम प्रतिशतता एवं विद्यालय छोड़ना था।

इन विद्यालयों में प्रारम्भ से ही 31 अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर थे तथा शेष 10 अध्यापक, विद्यार्थी मित्र के रूप में संविदा आधार पर नियुक्त थे, यद्यपि इसे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय (अप्रेल 2014) के अनुसार अवैधानिक तथा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। आवासीय विद्यालय हनोतिया (बारॉं) में नियुक्त संविदा अध्यापकों में से तीन के पास आवश्यक शिक्षण योग्यता[26] नहीं थी। इस प्रकार, अध्यापकों की भर्ती हेतु नियमित आधार पर कोई तंत्र मौजूद नहीं था।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि आवासीय विद्यालय कोटड़ा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में है, इसलिए, अध्यापक प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन नहीं करते। तथापि, कमी को पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर अध्यापकों के चयन तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय (अप्रेल 2014) की अनुपालना में विद्यार्थी मित्रों को प्रतिस्थापित करने हेतु प्रवेश साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे है।

[26] एसटीसी /बी.एड./एम.एड.।

तथ्य यह रहा कि अध्यापकों की कमी ने योजना के मुख्य उद्देश्य, अर्थात् जनजातीय बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, को विफल कर दिया। इसने आवासीय विद्यालयों में छात्रों की उत्तीर्ण प्रतिशतता एवं नामांकन को भी प्रभावित किया।

3.4.1.3 बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रतिशतता का कम होना

मार्गनिर्देशिका के अनुच्छेद (IV) (IX) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक एवं पाठ्येत्तर उत्कृष्टता हेतु अध्यापकों एवं स्टॉफ के चयन में उच्चतम गुणवत्ता बनाए रखना आवश्यक था।

अवधि 2011-14 के दौरान, कक्षा 10 स्तर की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम नीचे तालिकाबद्ध किये गये हैं:

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय* का नाम	मार्च 2012		मार्च 2013		मार्च 2014	
	विद्यार्थियों की संख्या		विद्यार्थियों की संख्या		विद्यार्थियों की संख्या	
	उपस्थित	उत्तीर्ण (प्रतिशतता)	उपस्थित	उत्तीर्ण (प्रतिशतता)	उपस्थित	उत्तीर्ण (प्रतिशतता)
हनोतिया (बालक)	43	21 (49)	48	9 (19)	38	13 (34)
कोटड़ा (बालक)	40	4 (10)	47	13 (28)	34	4 (12)
निवाई (बालिका)	50	28 (56)	50	43 (86)	50	43 (86)

*टीमरवा, प्रतापगढ़ (बालिका) शैक्षणिक वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ किया गया, अत: इसमें बोर्ड परीक्षा नहीं थी।
स्रोत: एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना ।

आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) की उत्तीर्ण प्रतिशतता (86 प्रतिशत तक) संतोषप्रद थी । तथापि, अन्य आवासीय विद्यालयों में उत्तीर्ण प्रतिशतता 10 एवं 49 के मध्य काफी कम थी। कोटड़ा के प्रकरण में यह प्रतिशतता बहुत कम थी।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि ये आवासीय विद्यालय दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं एवं इनमें उच्चतर परिणामों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थापित अध्यापकों की अरूचि, कम योग्यता वाले संविदा अध्यापकों का होना इत्यादि कुछ कारक, न्यून उत्तीर्ण प्रतिशतता के लिये, उत्तरदायी हो सकते हैं।

3.4.1.4 विद्यालय छोड़ने की दर

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान विद्यालय छोड़ने की प्रतिशतता, नमूना जाँच किए गए चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में से तीन में 1.7 (निवाई) से 7.2 (कोटड़ा) के मध्य रही जबकि टिमरवा (प्रतापगढ़) में किसी ने विद्यालय नहीं छोड़ा।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान, बालिकाओं में विद्यालय छोड़ने की दर आवासीय विद्यालय निवाई में 1.7 से 4.4 प्रतिशत एवं टिमरवा में शून्य थी जबकि बालकों में विद्यालय छोड़ने की दर आवासीय विद्यालय हनोतिया एवं कोटड़ा में 2.9 से 7.2 प्रतिशत के मध्य रही।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.4.1.5 आधारभूत सुविधाओं की कमी

आवासीय विद्यालयों द्वारा सुविधायें, जैसे रैम्प, वर्षा जल संरक्षण तंत्र, विज्ञान प्रयोगशाला, चारदीवारी, विश्वसनीय जल आपूर्ति व्यवस्था, शौचालय, वार्डन, सुरक्षा कर्मियों एवं स्टॉफ के लिए आवास इत्यादि उपलब्ध करवाये जाने चाहिए।

(अ) विज्ञान प्रयोगशालाओं के बिना विज्ञान कक्षाओं का संचालन

- राज्य सरकार ने बजट सत्र 2010-11 में घोषणा की कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2011-12 से विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जायेंगें। लेखापरीक्षा के दौरान दर्शित हुआ कि आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) में कक्षा 11 एवं 12 को शैक्षणिक वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 से विज्ञान संकाय अर्थात् भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, बिना किसी विज्ञान प्रयोगशाला के पढ़ायी जा रहीं थी ।

जानकारी में लाए जाने पर राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इसका तात्पर्य है कि 2012-13 एवं 2013-14 के बैच, विज्ञान प्रयोगशालाओं का लाभ लिए बिना ही 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण हुए थे।

आवासीय विद्यालय हनोतिया (बारां) एवं कोटड़ा (उदयपुर) में, विज्ञान का अध्यापक पदस्थापित नहीं किया गया था और इसलिए किसी भी विद्यार्थी ने विज्ञान संकाय का विकल्प नहीं लिया। जानकारी में लाए जाने पर आवासीय विद्यालय हनोतिया (बारां) एवं कोटड़ा (उदयपुर) के प्राचार्यों ने यह तथ्य स्वीकारा (जून 2014) कि विज्ञान के अध्यापक की अनुपस्थिति में विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन नहीं किया और विज्ञान संकाय प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

- आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान प्रयोगशालाऐं, शैक्षणिक सत्र 2011-12 से खोलने के लिए, राज्य सरकार ने ₹ 6 लाख स्वीकृत किये (फरवरी 2011) और इसे प्रयोगशलाओं की सामग्री क्रय करने हेतु परियोजना अधिकारी जनजातीय, उदयपुर को स्थानान्तरित (मार्च 2011) किया। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए ₹ 4.49 लाख की क्रय की गई सामग्री आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) को अगस्त 2011 में निर्गमित की गयी, जो विज्ञान अध्यापक की अनुपस्थिति में विज्ञान संकाय नहीं खोलने के कारण तीन सत्रों (2011-12 से 2013-14) तक अनुपयोजित पड़ी रही। किसी भी विद्यार्थी ने विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं लिया। तत्पश्चात्, परियोजना अधिकारी, जनजातीय, उदयपुर ने इस सामग्री को मॉडल पब्लिक रेजीडेन्सियल स्कूल (एमपीआरएस), ढीकली (उदयपुर) को स्थानान्तरित करने के आदेश (दिसम्बर 2013) जारी किये और इन्हें अप्रेल 2014 में स्थानान्तरित कर

दिया गया। तथापि, प्रधानाध्यापक, एमपीआरएस ने सूचित किया (जून 2014) कि इस सामग्री की न तो उन्होंने मांग की थी और न ही उनके द्वारा इसे उपयोग में लिया गया है।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकारते हुए बताया (अक्टूबर 2014) कि बेहतर उपयोग के लिए यह सामग्री एमपीआरएस, ढीकली (उदयपुर) को स्थानान्तरित की गई थी। यहाँ विज्ञान संकाय संचालित था।

(ब) कम्प्यूटर सहाय्य शिक्षण का अभाव

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना की मार्गदर्शिका के परिशिष्ट के अनुसार, कम्प्यूटर प्रयोगशालाऐं आवासीय विद्यालय के ले आउट प्लान में सम्मिलित की जानी चाहिए। आवासीय विद्यालय टिमरवा (प्रतापगढ़) एवं हनोतिया (बाराँ) की नमूना जाँच के दौरान, यह दृष्टिगत हुआ कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय टिमरवा (प्रतापगढ़) में न तो कोई कम्प्यूटर और न ही कम्प्यूटर प्रयोगशाला थी, जबकि आवासीय विद्यालय हनोतिया (बाराँ) में दस कम्प्यूटर थे परन्तु कम्प्यूटर अध्यापक पदस्थापित नहीं था। परिणामत: इन उपकरणों का अनुपयोजन हुआ और विद्यार्थी कम्प्यूटर सहाय्य शिक्षण से वंचित रहे।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि समस्त आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को आवश्यक उपकरणों के प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा जा चुका है। आवासीय विद्यालय टिमरवा को कम्प्यूटर शीघ्र ही उपलब्ध करवा दिए जायेंगे और जहाँ कहीं इंटरनेट ढाँचा उपलब्ध होगा, इंटरनेट संबद्धता भी उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(स) छात्रावासों में सुविधाओं का अभाव

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने की परिकल्पना करती है। अत: प्रत्येक आवासीय विद्यालय के साथ पर्याप्त क्षमता वाले छात्रावास उपलब्ध करवाये जाने थे। नमूना जाँच किए गए आवासीय विद्यालय में छात्रों के लिए उपलब्ध आवास और बिस्तर सुविधा निम्न प्रकार थी:

क्रम संख्या	आवासीय विद्यालय का नाम	निर्धारित प्रवेश क्षमता	विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध आवास	बिस्तरों की उपलब्धता	नामांकित विद्यार्थी		
					2011-12	2012-13	2013-14
1	हनोतिया (बाराँ)	350	313	298	308	314	312
2	कोटड़ा (उदयपुर)	350	192	303	293	272	250
3	निवाई (टोंक)	350	350	350	342	344	339
4	टिमरवा (प्रतापगढ़)	210	60	60	–	60	90

उपरोक्त तालिका से यह दर्शित होता है कि:

(i) आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) के छात्रावास में, 2011-12 से 2013-14 के दौरान, 192 विद्यार्थियों की क्षमता के विरूद्ध 250 से 293 विद्यार्थी

रह रहे थे। इसी प्रकार, आवासीय विद्यालय टीमरवा के छात्रावास में, 2013-14 के दौरान, 60 विद्यार्थियों की क्षमता के विरूद्ध 90 विद्यार्थी रह रहे थे । इस प्रकार, इन आवासीय विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार की आवश्यकता है।

आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) ने अवगत कराया (जून 2014) कि छात्रावास मरम्मत में था और इसमें आधारभूत सुविधाऐं नहीं थी इसलिए यह 2008 से ही निवास योग्य नहीं था।

(ii) इसी प्रकार, आवासीय विद्यालय हनोतिया में, 2011-12 से 2013-14 के दौरान, 308 से 314 नामांकित विद्यार्थियों के विरूद्ध मात्र 298 बिस्तर थे और आवासीय विद्यालय टिमरवा में, 2013-14 के दौरान, 90 नामांकित विद्यार्थियों के विरूद्ध मात्र 60 बिस्तर उपलब्ध थे। जानकारी में लाए जाने पर (जून 2014), प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय हनोतिया (बारॉं), ने बताया कि एक बिस्तर कक्षा छः के दो विद्यार्थियों के मध्य साझा किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने प्रत्युत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि अतिरिक्त निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा बिस्तर एवं अन्य सामग्री क्रय करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह इंगित करता है कि विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी जाने वाली आवासीय सुविधाओं से समझौता किया गया, जो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं आराम में प्रभाव डाल सकता है।

(iii) प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) ने विद्यालय भवन एवं छात्रावास की मरम्मत व रखरखाव हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक को निवेदन (जनवरी 2012) किया। इस तथ्य के बावजूद कि इस उद्देश्य हेतु ₹ तीन लाख पूर्व में ही (फरवरी 2010) जिला परिषद को प्राप्त हो चुके थे, यह राशि आवासीय विद्यालय पर व्ययित नहीं की गयी। यह दर्शित हुआ कि जिला परिषद ने कार्य के आंकलन के लिए फरवरी 2012 में कहा था, परन्तु इसे आवासीय विद्यालय द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किया गया (जून 2014)।

(iv) आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) और हनोतिया (बारॉं) में निःशक्त विद्यार्थियों की सुविधा के लिए रैम्प सुविधा, जैसाकि योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार आवश्यक थी, उपलब्ध नहीं थी। राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि संबंधित जिला अधिकारियों को इन आवासीय विद्यालयों में रैम्प निर्माण हेतु कहा गया है (सितम्बर 2014)। तथ्य यह रहा कि कार्यवाही अभी की जानी बाकी है।

(v) प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) ने, अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को (दिसम्बर 2006) छात्राओं की सुरक्षा

के लिए चारदीवारी अपर्याप्त होने और निवासिनी बालिकाओं की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ऊँचाई दो फुट बढ़ाने का, निवेदन किया। राज्य सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि चारदीवारी की ऊँचाई बढ़ाने की स्वीकृति जारी की जा रही है।

(vi) मार्गदर्शिका के अनुसार, विद्यालय/छात्रावास भवनों के साथ अध्यापकों, सुरक्षा कर्मियों तथा सहायक स्टॉफ के लिए आवासीय गृह निर्मित किए जाने चाहिए थे। आवासीय विद्यालय टिमरवा, प्रतापगढ़ (बालिका विद्यालय) में स्टॉफ एवं वार्डन के आवास निर्मित नहीं किए गए यद्यपि जिलाधीश, प्रतापगढ़ ने इस हेतु आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को निवेदन किया था (जून 2012)। राज्य सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि उक्त कार्य के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(vii) योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार, आवासीय विद्यालय भवनों में वर्षा जल संरक्षण संरचना होनी चाहिए। तथापि जानकारी में आया कि आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक), कोटड़ा (उदयपुर) और हनोतिया (बारॉं) के विद्यालय भवनों में वर्षा जल संरक्षण तंत्र विद्यमान नहीं थे। परिणामतः वर्षा जल का संरक्षण नहीं हुआ। राज्य सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि संबंधित कार्य योजना में वर्षा जल संरक्षण संरचना का निर्माण सम्मिलित नहीं था तथापि छात्रावास/विद्यालय में सुविधाओं के विस्तार के समय यह सुविधा उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(viii) टोंक जिले के भूजल में अधिक फ्लोराईड की समस्या है। आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) ने जिलाधीश टोंक को फ्लोराईड मुक्त जल आपूर्ति के लिए निवेदन किया (जुलाई 2012)। राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि पेयजल सुविधा के लिए ₹ 13 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी (जून 2014) की गयी है। तथापि, आरओ संयंत्र अभी तक (अक्टूबर 2014) स्थापित नहीं किया गया है।

(ix) आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) में विद्युत उपलब्ध होने पर ही नलकूप से जल आपूर्ति की जाती है लेकिन पानी की पाइप लाईन एवं टैंक के क्षतिग्रस्त होने एवं रिसाव के कारण, आपूर्ति किये जाते समय जल का भण्डारण नहीं हो पाता है। इससे विद्यालय/छात्रावास में जल की कमी रहती है। राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि ऑवरहैड टैंक निर्माण का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है (फरवरी 2014)। तथापि, निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है (अक्टूबर 2014)।

(x) लेखापरीक्षा में निरीक्षण के दौरान, पाया गया कि आवासीय विद्यालय कोटड़ा (उदयपुर) के विद्यालय और छात्रावास का स्नान घर एवं शौचालय, 2004 से

अवरूद्ध पड़े हुए थे। राज्य सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2014) कि अब इनकी मरम्मत की जा चुकी है।

(द) स्वास्थ्य परीक्षण

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने के निर्देश (अगस्त 2011) जारी किये। नमूना जांच किए गए समस्त आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की लंबाई एवं भार का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा था। यह दर्शित हुआ कि नर्स द्वारा आवासीय विद्यालय टिमरवा (प्रतापगढ़) में वर्ष 2012-13 में 60 में से 10 विद्यार्थी एवं वर्ष 2013-14 में 90 में से 15 विद्यार्थी कम वजन के पाए गए। तथापि, आवासीय विद्यालय का स्वास्थ्य परीक्षण करने अथवा कम वजन के विद्यार्थियों को उपचार बताने हेतु किसी भी चिकित्सक ने दौरा नहीं किया जैसाकि आवासीय विद्यालय द्वारा अवगत कराया गया (जून 2014)। इससे जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी निर्देशों के उद्देश्य विफल हुए।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार करते हुए सुनिश्चित किया (अक्टूबर 2014) कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के अभिलेखन हेतु स्वास्थ्य पंजिका संधारित की जावेगी ।

3.4.1.6 नये आवासीय विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण कार्य

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर) के नियम 298 के अनुसार किसी कार्य की आयोजना एवं अभिकल्पना के लिए भूमि की उपलब्धता पूर्वाकांक्षित शर्त है और इस लिए कोई भी सरकारी विभाग, कार्यकारी एजेन्सी को आयोजना प्रारम्भ करने के लिए तब तक नहीं कहेगा जब तक कि भूमि भौतिक रूप से उसके कब्जे में न हो। आगे, भारत सरकार ने भी राज्य सरकार को आदेश दिया (दिसम्बर 2009) कि आवासीय विद्यालय के प्रस्ताव भेजते समय, विभाग विशिष्ट रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि उपलब्ध भूमि सभी बाधाओं से मुक्त हो।

जनजाति मामलात् मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान के छः गाँवों[27] में आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु ₹ 72 करोड़ (₹ 12 करोड़ प्रति विद्यालय) स्वीकृत किए (सितम्बर 2010) और सितम्बर 2010 से फरवरी 2013 तक ₹ 66 करोड़ जारी किये। छः विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य आरएसआरडीसी, जयपुर को सौंपा गया (अक्टूबर 2010)। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने आरएसआरडीसी को ₹ 51.42 करोड़ की निधियाँ जारी की। आरएसआरडीसी ने इसमें से ₹ 49.56 करोड़ का व्यय किया। ज्ञातव्य हुआ कि मात्र ₹ 43.02 करोड़ के उपयोगिता

[27] अलवर में मलाना, करोली में रानोली, सवाई माधोपुर में बरनाला, जयपुर में बिहारीपुरा, बाँसवाडा में पाडोला और डूगरपुर में गढ़ अरण्डिया।

प्रमाणपत्र जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को भेजे गए, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	एआआवि का नाम	भारत सरकार से प्राप्त निधियाँ	आरएसआरडीसी को जारी निधियाँ	किया गया व्यय	आरएसआरडीसी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र	कार्य की स्थिति (31 मार्च 2014 को)	पूर्ण नहीं होने के कारण
1	बरनाला, सवाई माधोपुर	12.00	9.82	7.42	7.41	छात्रावास के ब्लॉक अ एवं ब छत के स्तर तक पूर्ण हो चुके थे। क्वार्टर्स फिनिशिंग की स्थिति में थे।	वर्षा ऋतु के दौरान कार्य स्थल तक पहुँच उपलब्ध नहीं होने से कार्य विलंबित हुआ। आरएसआरडीसी द्वारा कंक्रीट मार्ग निर्मित किया गया।
2	बिहारीपुरा, बस्सी, जयपुर	12.00	6.00	12.14	10.87	एक छात्रावास प्रारम्भ नहीं किया गया। अन्य कार्य पूर्ण हो गए थे।	कार्यकारी एजेन्सी को निधियाँ स्थानान्तरित नहीं की गयी थी।
3	मलाना, राजगढ़, अलवर	6.00	6.00	3.12	3.12	विद्यालय भवन, लड़कों एवं लड़कियों के छात्रावास प्लिन्थ स्तर तक पूर्ण हो गए थे।	प्रस्तावित स्थल पर अतिक्रमण के कारण भूमि हस्तांतरण में विलम्ब।
4	रानोली, करौली	12.00	8.00	9.62	9.62	छात्रावास के ब्लॉक अ एवं ब एवं अतिथि कक्ष छत स्तर तक पूर्ण हो गए थे तथा फिनिशिंग कार्य प्रगति पर था ।	कार्यकारी एजेन्सी को निधियाँ स्थानान्तरित नहीं की गयी थी।
5	पाडोला, बागीडोरा, बाँसवाड़ा	12.00	10.80	9.65	6.00	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर था।	भूमि आवंटन में विलम्ब किया गया।
6	अरण्डिया, आसपुर, डूँगरपुर	12.00	10.80	7.61	6.00	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर था।	भूमि आवंटन में विलम्ब किया गया।
	योग	**66.00**	**51.42**	**49.56**	**43.02**		

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ (जून 2014) कि समस्त छ: विद्यालयों के निर्माण कार्य भूमि आवंटन में विलम्ब, अतिक्रमण के कारण भूमि हस्तांतरण में विलम्ब एवं बची हुई निधियों (₹ 14.58 करोड़) के स्थानान्तरित नहीं होने के कारण पूर्ण नहीं हो सके (जून 2014)। अत: अतिक्रमणों से मुक्त भूमि और आरएसआरडीसी को पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध कराने में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप विद्यालय भवन, कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि (जून से सितम्बर 2012) से लगभग दो वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी पूर्ण नहीं हुए। राज्य सरकार ने अवगत कराया (अक्टूबर 2014) कि सभी कार्य प्रगति पर हैं।

मार्गदर्शिका के अनुच्छेद संख्या V(ii) के अन्तर्गत राज्यों को, विद्यालय भवनों में ईंधन की बचत एवं अक्षय उर्जा प्रौद्योगिकी का सदुपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया

गया था, किंतु आवासीय विद्यालय भवनों में ऐसी किसी प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त नहीं किया गया। विभाग ने इन तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2014)।

3.4.1.7 लड़को की तुलना में लड़कियों के लिए कम विद्यालय

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मार्गनिर्देशिका के पैराग्राफ III (स) के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के लिए सीटों की संख्या समान होनी चाहिए। जाँच में पाया गया कि 2660 सीटों वाले आठ संचालित आवासीय विद्यालयों में से 2100 सीटों वाले छः[28] आवासीय विद्यालय, लड़कों के लिए थे जबकि 560 सीटों वाले (21 प्रतिशत) दो[29] आवासीय विद्यालय (25 प्रतिशत) लड़कियों के लिए थे। यह योजना की मार्गनिर्देशिका का उल्लंघन था। इस प्रकार, लड़कों एवं लड़कियों को शिक्षा में समान अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे थे।

जानकारी में लाए जाने पर (जून-जुलाई 2014), राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि छः नव निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयों में समान संख्या में लड़कों एवं लड़कियों को प्रवेश दिया जायेगा।

3.4.1.8 वित्तीय स्थिति

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (पूँजी एवं राजस्व), परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, अर्थात् आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, को 30 दिनों के अन्दर स्थान्तरित किए जाने थे। ये निधियाँ आगे संबंधित परियोजना अधिकारी (जनजातीय) अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद), को उनके क्षेत्राधीन आवासीय विद्यालय पर व्यय करने हेतु स्थानान्तरित की जानी थी।

नए आवासीय विद्यालय भवनों के निर्माण पर व्यय के सन्दर्भ में 2011-14 के दौरान प्राप्त पूँजी अनुदान ₹ 66 करोड़ के उपयोजन की स्थिति पर अनुच्छेद 3.4.1.6 में टिप्पणी की गयी है।

(अ) 2011-14 के दौरान प्राप्त संपूर्ण राजस्व अनुदान और आवासीय विद्यालय पर किए गए व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व अनुदान		
	प्राप्ति	व्यय किया	अनुपयोगी
2011-12	5.47	5.36	0.11
2012-13	7.79	6.61	1.18
2013-14	8.21	8.32	-0.11
योग	**21.47**	**20.29**	**1.18**

स्रोत : सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी ।

[28] लड़कों के: खेरवाड़ा (उदयपुर), कोटड़ा (उदयपुर), कुशलगढ़ (बाँसवाड़ा), सिमलवाड़ा (डूँगरपुर), आबू रोड़ (सिरोही), हनोतिया (बारॉ)।

[29] लड़कियों के: निवाई (टोंक) एवं टीमरवा (प्रतापगढ़)।

लेखापरीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि भारत सरकार से, वर्ष 2011-12 के लिए 30 जून 2011 को प्राप्त राजस्व अनुदान ₹ 5.47 करोड, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को 8 सितम्बर 2011, अर्थात् 40 दिवस के विलम्ब से स्थानान्तरित किया गया। इसी प्रकार, भारत सरकार से वर्ष 2013-14 के लिए 26 सितम्बर 2013 को प्राप्त राजस्व अनुदान ₹ 8.21 करोड़, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को 15 जनवरी 2014, अर्थात् 81 दिवस के विलम्ब से स्थानान्तरित किया गया। इस प्रकार, अनुदान को 30 दिवस के अन्दर स्थानान्तरित करने की शर्त की पालना नहीं की गयी ।

(ब) राजस्व अनुदान (स्टॉफ के वेतन एवं भत्ते और छात्रावास संचालन का व्यय इत्यादि) परियोजना अधिकारी (जनजातीय/जिला परिषद) को विभिन्न आवासीय विद्यालय पर व्यय हेतु स्थानान्तरित किए गए। नमूना जाँच किए गए आवासीय विद्यालय को प्राप्त अनुदान तथा उनके विरूद्ध किये गये व्यय की स्थिति निम्नानुसार थी:

(₹ लाख में)

एआआवि का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
	आवंटन	अनुदान उपयोग (प्रतिशत)	आवंटन	अनुदान उपयोग (प्रतिशत)	आवंटन	अनुदान उपयोग (प्रतिशत)
हनोतिया (बारॉं)	74.86	55.63 (74)	94.16	58.17 (62)	125.00	73.57 (59)
निवाई (टोंक)	115.59	102.73 (89)	139.27	118.24 (85)	145.73	143.57 (99)
टीमरवा (प्रतापगढ़)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 से प्रारम्भ		25.00	5.29 (21)	50.00	38.59 (77)

कोटड़ा (उदयपुर) के लिए आवासीय विद्यालय-वार विवरण उपलब्ध नहीं था (दो आवासीय विद्यालय के लिए संधारित)

स्रोत: सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई ।

उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित दर्शित होता है:

(i) नमूना जॉच किए गए आवासीय विद्यालयों में अनुदान उपयोग 21 एवं 99 प्रतिशत के मध्य रहा ।

(ii) आवासीय विद्यालय हनोतिया (बारॉं) में अध्यापन स्टॉफ की कमी एवं क्षमता के विरूद्ध विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश में कमी के कारण अनुदान के उपयोग में 74 प्रतिशत से 59 प्रतिशत की गिरावट हुई ।

(iii) 2012-13 के दौरान आवासीय विद्यालय टिमरवा (प्रतापगढ़) में अनुदान का न्यूनतम उपयोग हुआ। शैक्षणिक सत्र 2012-13 से विद्यालय प्रारम्भ होने से, इसकी अनुदान उपयोगिता में 2013-14 तक 77 प्रतिशत का सुधार हुआ।

3.4.1.9 योजना का अनुश्रवण

(अ) सोसायटी का गठन

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की योजना में राज्य स्तर पर एक सोसायटी स्थापित करने का उपबंध किया गया था जिसे विद्यालय प्रवेश, कर्मचारियों की

नियुक्ति, व्यक्तिगत मामले और विद्यालयों का संपूर्ण प्रबंधन, व्यक्तियों तथा संस्थानों से चंदा/अंशदान एवं अनुदान स्वीकार करना इत्यादि को संभालना था। आवासीय विद्यालयों के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों के अनुश्रवण एवं प्रबंधन हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिए एक प्रबंधन समिति स्थापित किए जाने को भी आवश्यक किया गया।

यह ज्ञात हुआ कि राज्य स्तरीय सोसायटी गठित नहीं की गयी। नमूना जॉच किए गए चार आवासीय विद्यालय में से तीन[30] में प्रबंधन समिति भी गठित नहीं की गई। राज्य सरकार ने प्रत्युत्तर में बताया (अक्टूबर 2014) कि 'राजस्थान आवासीय शैक्षणिक संस्थागत सोसायटी' नाम की एक राज्य स्तरीय सोसायटी गठित कर ली गई है और इस सोसायटी के द्वारा आवासीय विद्यालय चलाए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। तथ्य यह रहा कि उक्त सोसायटी कार्यशील नहीं थी (अक्टूबर 2014)।

(ब) विद्यालयों का निरीक्षण

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) और परियोजना अधिकारी जनजातीय को, उनके क्षेत्राधीन आवासीय विद्यालयों का प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण करने एवं उपनिदेशक (शिक्षा) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये (अप्रेल 2007) थे।

आवासीय विद्यालय टिमरवा (प्रतापगढ़) और हनोतिया (बारॉ) में यद्यपि अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था परन्तु निरीक्षण एवं निरीक्षण उपरान्त की गई सुधारात्मक कार्यवाही के अभिलेख संधारित नहीं थे। 2011-12 से 2013-14 के दौरान आवासीय विद्यालय निवाई (टोंक) एवं कोटड़ा (उदयपुर) में क्रमशः केवल 6 एवं 11 निरीक्षण किए गए थे, लेकिन इन निरीक्षणों के निष्कर्षो पर की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे थे। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन निरीक्षणों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, निरीक्षणों की कमी/अपर्याप्तता एवं अभिलेखों का संधारण नहीं होना, अनुश्रवण में चूकों को प्रकट करता है। ऑनलाईन अनुश्रवण तंत्र भी विकसित नहीं किया गया जैसाकि मार्गदर्शिका के अन्तर्गत आवश्यक था।

3.4.1.10 निष्कर्ष

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जनजाति विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किए गए थे। यह दर्शित हुआ कि राज्य स्तरीय

[30] कोटड़ा (उदयपुर), निवाई (टोंक) एवं टीमरवा (प्रतापगढ़)।

सोसायटी और विद्यालय स्तर पर प्रबंधन समिति, जिसका गठन आवासीय विद्यालयों के कामकाज का प्रबंध करने के लिए अपेक्षित था, कार्यशील नहीं थी। विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन उनकी क्षमता से कम था और विद्यार्थियों का प्रतिधारण भी कम था। अध्यापकों की कमी थी और विज्ञान संकाय बिना प्रयोगशालाओं के काम कर रहे थे। छात्रावासों में सुविधाऐं अपर्याप्त थीं जोकि योजना के संपूर्ण निष्पादन को प्रभावित कर रही थी।

नए आवासीय विद्यालयों के निर्माण की प्रगति धीमी थी और इनको पूर्ण किये जाने के निर्धारित दिनांक से दो वर्ष से अधिक बीत जाने के उपरान्त भी ये अपूर्ण थे, जिससे विद्यार्थियों को योजना के लाभों से वंचित रहना पड़ा।

महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह विभाग

3.4.2 बालिकाओं के साथ भेदभाव को रोकने की योजनाओं का क्रियान्वयन

बालिकायें भारतीय समाज की सबसे कमजोर सदस्य हैं। बालिका के जीवन में भेदभाव के तत्व जीवन के हर कदम पर परिलक्षित होते हैं। राजस्थान के सामाजिक परिवेश में बालिकाओं एवं महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव उनके जीवन के हर स्तर पर होता है। बालिकाओं के साथ घर, विद्यालय, समुदाय तथा समाज में, हर कदम पर बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाता हैं। सामाजिक-आर्थिक परिवेश, अक्षमता एवं निवास का स्थान (ग्रामीण-शहरी) उसकी असुरक्षा को और भी बढ़ा देती है एवं उसे अधिक हानि पहुँचाती है।

तकनीकी विकास का सहयोग, पुत्रियों के प्रति घृणा एवं पुत्रों को वरीयता प्रदान करने की गहरी मानसिकता की वजह से भारत में एवं विशेषकर राजस्थान में बाल लिगांनुपात में भारी गिरावट आयी है, जो एक वीभत्स परिदृश्य प्रस्तुत करता है। 2011 की जनगणना में राजस्थान में बाल लिगांनुपात (0-6 वर्ष), 21 अंको की गिरावट के साथ 909 बालिकाओं (2001) से घटकर 888 प्रति 1000 बालक (2011) की नकारात्मक वृद्धि के साथ उजागर हुयी। यह अखिल भारतीय सर्वलिंगानुपात 943:1000 की तुलना में, जो कि राजस्थान में 928:1000 है, भी गिरावट परिलक्षित करता है। राजस्थान में 2011 की जन गणना के अनुसार महिला साक्षरता दर भी 52.1 प्रतिशत थी, जो सर्व साक्षरता दर 66.1 प्रतिशत से कम एवं समग्र महिला साक्षरता दर की सूची में सबसे नीचे थी। बाल लिंगानुपात में गिरावट एवं महिला साक्षरता की निम्न दर, राजस्थान में अन्तर्निहित सामाजिक-आर्थिक स्थिति एवं बालिकाओं के प्रति सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों की गहरी जड़ों को परिलक्षित करता हैं।

यह परिदृश्य, सर्वलिगांनुपात, विशेषकर बाल लिंगानुपात में भारी गिरावट के कारणों से निपटने के लिये ठोस कार्यवाही करने का आह्वान करता है। बालिकाओं से जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद, भेदभाव को रोकने के लिये स्वास्थ्य एवं पोषाहार

तथा शिक्षा के क्षेत्र सहित, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किये हैं। बालिकाओं के विरूद्ध भेदभाव को खत्म करने, उनके स्वास्थ्य में सुधार करने तथा बाल लिंगानुपात को बढ़ाने के लिये कई योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं एवं कानून पारित किये गये हैं, जिनका विवरण नीचे है:

- भारत सरकार द्वारा ऐसी तकनीकों, जिससे बालिका भ्रूण हत्या होती है, के भ्रूण लिंग निर्धारण में दुरूपयोग के विरूद्ध निवारक रूप से कार्य करने हेतु 'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (पीसी एण्ड पीएनडीटी) अधिनियम 1994', बनाया गया। राजस्थान में इस अधिनियम का क्रियान्वयन 1 अप्रेल 1996 से किया गया। आगे, पीसी एण्ड पीएनडीटी अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिये 'मुखबिर योजना' नामक एक स्कीम भी राज्य सरकार द्वारा 27 दिसम्बर 2011 से प्रारम्भ की गयी।

- बालिकाओं के समय पूर्व विवाह एवं समय पूर्व मातृत्व के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु, भारत सरकार द्वारा अधिनियमित बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, दिनांक 1 नवम्बर 2007 से प्रभावी हुआ।

- भारत सरकार द्वारा 'किशोरी शक्ति योजना', केन्द्र प्रायोजित योजना, वर्ष 2000-01 में प्रारम्भ की गयी। इस योजना का उद्देश्य, बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार, उन्हें घरेलू व्यावसायिक कौशल में सक्षम बनाने, उसमें उन्नयन एवं सुधार और आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा बाल विकास परियोजना कार्यालयों की गतिविधियों के माध्यम से उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना, था।

- किशोरी बालिकाओं के बहु-आयामी समस्याओं के समाधान हेतु किशोरी शक्ति योजना एवं किशोरी बालिका पोषाहार कार्यक्रम को समाहित करते हुये एक व्यापक योजना, 'राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना' अथवा 'सबला' दिसम्बर 2010 से राजस्थान के 10 जिलों[31] में प्रारम्भ की गयी थी। शेष जिलों में किशोरी शक्ति योजना पहले की तरह जारी रही।

- एक अथवा दो बालिकाओं के जन्म के पश्चात नसबन्दी को प्रोत्साहित करने के लिये 1 अप्रेल 2007 से राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री बालिका सम्बल योजना' प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत एक अथवा दो बालिकाओं के पश्चात नसबन्दी करवाने वाले दम्पति की प्रत्येक बालिका को भारतीय यूनिट ट्रस्ट के ₹ 10,000 के बॉण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे। योजना का उद्देश्य गिरते बाल लिंगानुपात को रोकना था।

ऊपर उल्लिखित योजनाओं एवं अधिनियमों के अतिरिक्त बालिकाओं पर केन्द्रित महत्वपूर्ण घटकों युक्त कुछ अन्य मुख्य योजनायें, 'समेकित बाल विकास सेवायें'[32]

31 बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपूर, जयपुर, जोधपुर, झालावाड़ श्री गंगानगर एवं उदयपुर।

32 बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को बेहतर करने एवं बाल मृत्युदर, बीमारी एवं कुपोषण कम करने के लिए समेकित बाल विकास सेवाये है।

एवं 'सर्व शिक्षा अभियान'[33] हैं। 'समेकित बाल विकास सेवायें' पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ सरकार (सिविल) के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रतिवेदन (2012-13 का प्रतिवेदन संख्या-22) में सम्मिलित की जा चुकी हैं।

सर्व शिक्षा अभियान पर भी एक निष्पादन लेखा-परीक्षा इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ संख्या 2.1 में सम्मिलित की गई है। क्योंकि इन योजनाओं की समीक्षा हाल ही में की जा चुकी है/वर्तमान प्रतिवेदन में सम्मिलित की गई है अतः इन्हें विनिर्दिष्ट रूप से यहाँ सम्मिलित नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा में बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न अधिनियम एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि उनको समुचित रूप से वित्त पोषित एवं प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित किया गया है। बालिकाओं के विरूद्ध भेदभाव के निराकरण से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये 9 जिलों[34] का चयन यादृच्छिक आधार पर किया गया था।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष दो खण्डों, अर्थात 'क' एवं 'ख' में विभाजित किया गया हैं। भारत सरकार द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा के लिये 2 अधिनियम, 'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम 1994' एवं 'बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006' पारित किये गये हैं। इन अधिनियमों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा खण्ड 'क' में की गई है। जबकि खण्ड 'ख' में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दे सम्मिलित किये गये हैं।

खण्ड-'क' वैधानिक ढांचा

3.4.2.1 'गर्भाधानपूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम (पीसी एण्ड पीएनडीटी)1994' का क्रियान्वयन

पीसी एण्ड पीएनडीटी अधिनियम 1994, यथा संशोधित 2003, बाल लिंगानुपात में गिरावट रोकने के लिये एक महत्वपूर्ण विधायी कदम है। यह गर्भाधान से पहले अथवा बाद में लिंग चयन का निषेध एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के लिंग चयन हेतु दुरूपयोग से होने वाली कन्याभ्रूण हत्याओं को अधिनियमित करता है। इस अधिनियम के अनुसार अनुवांशिक परामर्श केन्द्रों, अनुवांशिक प्रयोगशालाओं एवं अनुवांशिक जांच केन्द्रों का पंजीकरण आवश्यक है तथा अपंजीकृत व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं इत्यादि को अल्ट्रासाउन्ड मशीनों का विक्रय निषेध है। प्रत्येक अनुवांशिक जांच केन्द्र, अल्ट्रासाउन्ड जांच केन्द्र, छाया केन्द्र द्वारा प्रपत्र 'एफ' में अल्ट्रासोनोग्राफी की जाने वाली गर्भवती महिलाओं का अभिलेख संधारण किया जाना आवश्यक है।

[33] प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वलोकीकरण के उद्देश्य हेतु भारत सरकार की मुख्य योजना सर्व शिक्षा अभियान है।

[34] बांरा, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झून्झूनू, नागौर, सीकर एवं सिरोही।

अधिनियम की धारा 17 (2) के अनुसार राज्य सरकार, प्रसवपूर्व गर्भ निर्धारण के कारण होने वाली कन्याभ्रूण हत्या की समस्या की गम्भीरता के अनुसार पूरे अथवा राज्य के किसी भाग के लिये एक अथवा अधिक समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार द्वारा, अनुवांशिक परामर्श केन्दों, अनुवांशिक प्रयोगशालाओं एवं अनुवांशिक जांच केन्द्रों के निलम्बन/निस्तारण, एवं उनके अनुवांशिक परामर्श केन्दों, अनुवांशिक प्रयोगशालाओं एवं अनुवांशिक जांच केन्द्रों के लिये निर्धारित मानदण्डों को लागू करने, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों का अनुसंधान करने, किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थान पर लिंग चयन तकनीक के उपयोग के विरूद्ध उपयुक्त विधिक कार्यवाही करने इत्यादि के लिये, राज्य समुचित प्राधिकारी, जिला स्तरीय समुचित प्राधिकारी तथा उपखण्ड स्तरीय समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति (जून/जुलाई-2001) की गयी। पंजीकरण की शिकायत, निलम्बन एवं निरस्तीकरण के आवेदनों पर विचार करने तथा उन पर परामर्श देने के लिये जुलाई 2001 में राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया।

पीसी एण्ड पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, जुलाई 2003 में, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया गया। अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रबोधन, राज्य में गर्भपूर्व लिंग चयन तथा प्रसव पूर्व भ्रूण के लिंग निर्धारण के कारण होने वाली कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध जन जागरूकता पैदा करना तथा राज्य में कार्यरत समुचित प्राधिकारियों की गतिविधियों की समीक्षा तथा उपयुक्त कार्यवाही की अनुशंषा इत्यादि बोर्ड के कार्य हैं।

(क) सलाहकार समितियों की रचना

सरकार द्वारा नामित जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, विधि विशेषज्ञ, वरिष्ठतम स्त्रीरोग विशेषज्ञ, वरिष्ठतम शिशुरोग विशेषज्ञ, अनुवांशिकी चिकित्सक, तीन प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करते हुये, राज्य सरकार ने जिला एवं उप खण्ड स्तर पर सलाहकार समितियों के गठन की अधिसूचना (जून 2001) जारी की।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि नमूना जांच जिलों में राज्य सरकार ने अनुवांशिक चिकित्सक, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता एवं विधि विशेषज्ञ को नामित नहीं किया जिससे जिला एवं उपखण्ड स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन अपूर्ण (अगस्त 2014) रहा। इस प्रकार समुचित प्राधिकारियों (जिला स्तरीय समुचित प्राधिकारी एवं उपखण्ड स्तरीय समुचित प्राधिकारी) को अनुवांशिक सामाजिक एवं विधिक विशेषज्ञों का परामर्श उपलब्ध नहीं हुआ।

(ख) गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अनुसंधान ब्यूरो का गठन

राज्य एवं जिला स्तर पर 'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अनुसंधान ब्यूरो' का गठन करने के लिये चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय

द्वारा राज्य स्तर पर 18 पद[35] एवं जिला स्तर पर 3 पद[36] स्वीकृत (दिसम्बर 2012) किये गये। इनमें से राज्य स्तर पर छः[37] कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 2013 में की गयी तथा इनमें से भी केवल तीन[38] ही अगस्त 2014 को कार्यरत थे। नमूना जांच जिलों में यह दर्शित हुआ कि सभी स्वीकृत तीन पद रिक्त पड़े थे। गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के 1996 से अस्तित्व में होते हुये भी मुख्य पदों के रिक्त रहने से, अनुसंधान ब्यूरो प्रभावी रूप से क्रियाशील नहीं थी। यदि मुख्य पदों पर नियुक्ति कर, जिला स्तरीय अनुसंधान ब्यूरो को क्रियाशील कर दिया गया होता, तो यह 'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम' के सख्ती से पालन होने से अधिक प्रभावी होता तथा अधिक सफल कार्यवाही (छापामारी) प्रतिपादित कर सकता था। जैसे कि मुखबिर योजना से संबंधित उप अनुच्छेद में वर्णित किया गया है।

(ग) सोनोग्राफी केन्द्रों का निरीक्षण

'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक नियम 1996' के नियम 11 एवं 12 के अनुसार समुचित प्राधिकारी अथवा इस निमित्त अधिकृत अधिकारी, प्रत्येक सोनोग्राफी केन्द्र में किसी भी उचित समय पर प्रवेश एवं तलाशी कर सकेगा एवं सोनोग्राफी केन्द्र समुचित प्राधिकारी को इसके लिये स्थान, उपकरण एवं अभिलेखों के निरीक्षण के लिये सभी उचित सुविधायें प्रदान करेगा।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय ने जिला समुचित प्राधिकारियों एवं उपखंड समुचित प्राधिकारियों के सोनोग्राफी केन्द्रों के निरीक्षण के लिये लक्ष्य निर्धारित (फरवरी 2012) किये हैं।

चयनित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2012 से 2014 की अवधि में सोनोग्राफी केन्द्रों के निर्धारित निरीक्षण नहीं किये गये थे। निरीक्षणों में कमी निम्न प्रकार रही:

जिलों का नाम	2012-13		2013-14		योग		कमी	कमी का प्रतिशत
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि		
बीकानेर	408	20	408	07	816	27	789	97
झुन्झुनू	408	273	108	92	816	365	451	55
नागौर	504	52	504	17	1008	69	939	93
सीकर	360	40	360	19	720	59	661	92
बांरा	264	36	264	02	528	38	490	93
सिरोही	264	37	264	11	528	48	480	91
डूंगरपूर	120	38	120	18	240	56	184	77
चित्तौड़गढ़	360	29	360	07	720	36	684	95
भीलवाड़ा	408	42	408	16	816	58	758	93

स्त्रोत: जिला समन्वयक गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाऐं।

35 परियोजना निदेशक: 1, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक: 1, जन सम्पर्क अधिकारी: 1, चिकित्सा अधिकारी: 1, पुलिस निरीक्षक: 5, सहायक निदेशक अभियोजन: 1, विधि सहायक: 1, मुख्य कॉन्सटेबल: 1, कॉन्सटेबल: 4, सूचना तकनीकी सहायक: 1, कनिष्ठ लिपिक: 1

36 पुलिस निरीक्षक: 1, विधि परामर्शी: 1 और कनिष्ठ लिपिक:1

37 कनिष्ठ लिपिक: 1, कॉन्सटेबल: 3, सूचना तकनीकी सहायक: 1, और पुलिस निरीक्षक: 1

38 कनिष्ठ लिपिक: 1, कॉन्सटेबल: 1, और सूचना तकनीकी सहायक: 1

इस प्रकार सभी नमूना जांच जिलों में निरीक्षण की बहुत कमी थी जो 55 प्रतिशत एवं 97 प्रतिशत के बीच रही जो अधिनियम के असन्तोषजनक क्रियान्वयन को प्रतिदर्शित करती हैं।

चयनित 9 जिलों में, वर्ष 2006 से 110 प्रकरण दर्ज हुये तथा केवल एक प्रकरण में सजा हुयी (जिसमें अपील लम्बित है)। 18 प्रकरणों में दोष मुक्ति आदेश जारी किये गये तथा 91 प्रकरण न्यायालय में लंबित थे।

लड़कियों से भेदभाव उनके जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाता है। राजस्थान में 2001 से 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात में 21 अंको की उल्लेखनीय गिरावट आयी। यह गिरावट बाल लिंगानुपात में सुधार और सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को बदलने के लिये पूर्वापेक्षी कदम उठाये जाने के लिये अधिनियम के क्रियान्वयन की महत्ता को दर्शाती है जिससे लड़कियों के प्रति भेदभाव कम हो सके।

(घ) मुखबिर योजना

मुखबिर, आस-पास के क्षेत्र में सोनोग्राफी मशीनों के अवैधानिक इस्तेमाल की सूचना देते हैं और ऐसे मुखबिरों को उचित ईनाम दिया जाता है। ये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय को गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के संदिग्ध उल्लंघनकर्ता सोनोग्राफी केन्द्रों पर 'छापेमारी' की कार्यवाही करने में सहायता करते हैं।

मुखबिर योजना (दिसम्बर 2011 से प्रारम्भ) के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना देने वाले (मुखबिर) को सफल छापामारी कार्यवाही के बाद सूचना सही पाये जाने पर ₹ 50,000 दिये जायेगें। सूचना देने वाले को अगले ₹ 25000, न्यायालय में अधिनियम के उल्लंघनकर्ता व्यक्ति के विरूद्ध आरोप तय होने के बाद दिये जायेंगे। अन्तिम ₹ 25000, आरोपी के विरूद्ध लिंगचयन का अपराध सिद्ध होने पर दिये जायेंगे।

यह दर्शित हुआ कि दिसम्बर 2011 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान जयपुर में केवल सात सफल छापामारी[39] सम्पादित की गई और प्रथम किश्त के ₹ 3.25 लाख का भुगतान किया गया। इनमें से दो प्रकरण अनुसंधान अभिकरण द्वारा न्यायालय में दर्ज करवा दिये गये थे और शेष 5, एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर भी अभी तक अनुसंधानाधीन थे। नमूना जांच के 9 जिलों में उक्त अवधि के दौरान कोई छापे की कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई थी। जिसकी आंशिक जिम्मेदारी अनुसंधान ब्यूरो के सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाने को जाती है।

[39] 21 मार्च 2012 को (एक), 9 नवम्बर 2012 (एक), 21 जनवरी 2013 (दो) 2 मई 2013 (दो) और 18 दिसम्बर 2013 (एक)।

इस प्रकार अधिनियम को लागू करने के लिए समुचित अधिकारियों को जून 2001 तक अधिसूचित नहीं किया गया था और 18 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी सदस्यों का नामांकन कर जिला स्तरीय सलाहकार समिति का गठन पूरा नहीं किया गया था। अधिनियम के अन्तर्गत गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अनुसंधान ब्यूरो भी प्रभाव में नहीं आया था, जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

राज्य में बाल लिंगानुपात में चिन्हित गिरावट के बावजूद गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम मात्र लागू ही किया गया था। सोनोग्राफी केन्द्रों का निरीक्षण सामान्यत: नहीं किया गया और मुखबिर योजना भी अजन्मे बच्चों का लिंग ज्ञात करने के अवैधानिक कार्य को रोकने में बहुत प्रभावी नहीं रही।

3.4.2.2 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006

'बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006', भारत सरकार द्वारा जनवरी 2007 में अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य, बाल विवाह को रोकना, बाल विवाह पीड़ितों को संरक्षण एवं राहत देना तथा ऐसे विवाह को उकसाने, बढ़ावा देने अथवा आयोजित करवाने वालों को सजा देने का प्रावधान करना है। बाल विवाह, जो बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण पर अत्यन्त हानिकारक प्रभाव डालता है, को अब बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है।

'सेव द चिल्ड्रन' संगठन द्वारा 'भारत की लड़कियों का संसार' पर प्रकाशित 'स्थिति प्रतिवेदन-विंग्स-2014' के अनुसार राजस्थान में 40 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले होना पाया गया। यह बाल विवाह की व्यापक मौजूदगी एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाये जाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

(क) बाल विवाह से सम्बन्धित शिकायतों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राजस्थान बाल विवाह निषेध नियम 2007 के नियम 5 के अनुसार, बाल विवाह निषेध अधिकारी, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में होने वाली शादी के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा जानकारी प्राप्त होने पर, अधिनियम की धारा 4, 5 एवं 13 के अन्तर्गत, समुचित कार्यवाही करेगा। बाल विवाह निषेध अधिकारी बाल विवाह की बुराईयों से सम्बन्धित जागृति पैदा करने एवं बाल विवाह के मुद्दे पर समाज को संवेदनशील बनाने के लिए किसी सम्माननीय स्थानीय सदस्य, सरकार के अधिकारी अथवा गैर सरकारी संगठन के पदाधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकता है।

नमूना जांच जिलों में, जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, सूचित किये गये 651 शिकायती प्रकरणों में से 196 प्रकरण या तो झूठे पाये गये या उनमें बच्चे बालिग पाये गये। 454 प्रकरणों में संबंधित बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा शादियाँ रूकवा दी गई और केवल एक प्रकरण न्यायालय में दायर किया गया। नौ नमूना जांच जिलों के जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित बाल

विवाह निषेध अधिकारी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि यद्यपि रोकथाम की कार्यवाही हेतु शिकायतें संबंधित पुलिस थाना, तहसीलदार और महिला अधिकारिता विभाग के कार्यक्रम अधिकारियों को अग्रेषित की गई थी, तथापि अभिलेखों में, बाल विवाह की सामाजिक बुराई के संबंध में सामुदायिक जागृति हेतु कुछ भी करना नहीं पाया गया।

(ख) अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना

अधिनियम की धारा 16 (1) के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने (नवम्बर 2007) सभी उप-खण्ड अधिकारियों को उनके उप-खण्डों के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी अधिसूचित किये। राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के नियम 4 के अनुसार, बाल विवाह निषेध अधिकारी समय-समय पर अपने क्षेत्राधिकार में विवाह पंजीकरण अधिकारियों के अभिलेखों का निरीक्षण करेगा और आंकलन करेगा कि कोई बाल विवाह नहीं हुआ है। यदि कोई बाल विवाह होना पाया जाता है तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा। सभी नौ नमूना जांच जिलों के जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित बाल विवाह निषेध अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा मे दर्शित हुआ कि बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा विवाह पंजीकरण कार्यालयों के अभिलेखों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि विवाह पंजीकरण कार्यालयों के अभिलेखों के निरीक्षण हेतु सभी जिला मजिस्ट्रेटों को इस संबंध में पत्र जारी किये जा चुके हैं एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

खण्ड 'ख'-बालिकाओं का कल्याण

इस खण्ड में, लेखा परीक्षा में सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए पोषण आधारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं सशर्त नकद हस्तान्तरण योजनाओं की क्रियान्विति की जांच की गई।

3.4.2.3 किशोरी शक्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य, दो उप योजनाओं के अन्तर्गत बालिकाओं के पोषण स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, उनके गृह आधारित व्यावसायिक कौशल में उन्नयन एवं सुधार, और उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। योजना-I गरीब परिवार की 11 से 15 वर्ष की बालिकाओं, जिनकी वार्षिक आय ₹ 6400 प्रतिवर्ष से कम है, के लिए तैयार की गई है। योजना- II का लक्ष्य परिवार की आय स्तर पर विचार किये बगैर, 11 से 18 वर्ष आयु समूह की सभी बालिकाओं तक पहुँचना था। योजना- II में गरीब परिवार की 11 से 15 वर्ष की आयु समूह में भी अपेक्षाकृत छोटी आयु की बालिकाओं को पहचान प्रक्रिया में स्पष्ट प्राथमिकता प्राप्त थी।

इस योजना में 20 से 25 किशोरी बालिकाओं वाले प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र पर चिन्हित की गई कुपोषित बालिकाओं की वास्तविक संख्या से इतर, केवल दो बालिकाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाना है। पूरक पोषाहार, समेकित बाल विकास सेवाऐं परियोजना के अन्तर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं

को दिये जाने वाले मानक (₹ 5 प्रति दिन प्रति लाभार्थी) के समान दिया जाना है।

किशोरी शक्ति योजना, राज्य के सभी 33 जिलो में लागू की गई थी। वर्ष 2011-12 से, 10 जिलों[31] में इसे 'सबला' में बदल दिया गया और शेष 23 जिलों के 35,646 आँगनबाड़ी केन्द्रों (190 परियोजनाओं) में यह निरन्तर जारी रखी गयी, जिनमें से, 10629 आँगनबाड़ी केन्द्रों (59 परियोजनाओं) के साथ 6 जिलों[40] का लेखा परीक्षा में समीक्षा के लिए चयन किया गया।

(क) किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार

योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र की 11 से 15 वर्ष आयु समूह की दो कुपोषित बालिकाओं को सप्ताह में छः दिन, 500 कैलोरी उर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन (पूरक पोषाहार) का भोजन प्रदान किये जाने के लिए चिन्हित किया जाना था। पोषाहार घटक समेकित बाल विकास सेवाऐं परियोजना से दिया जाना था।

यह दर्शित हुआ कि नमूना जांच किये गये बारां, सिरोही एवं नागौर जिलों में, वर्ष 2011-14 में दो चिन्हित बालिकाओं को पूरक पोषाहार (पूर्व मिश्रित उपमा और हलवा), 4 से 36 महिनों के मध्य की अवधि तक प्रदान नहीं किया गया था ***(परिशिष्ट 3.2)***।

इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले पोषाहार घटक ₹ 5 प्रति व्यक्ति प्रति दिन की तुलना, 'मध्यान्ह भोजन योजना' में प्रदान किये जाने वाले घटक से करने पर यह पाया गया कि मध्यान्ह भोजन योजना में 150 ग्राम अनाज (700 कैलोरी) ₹ 5.38, प्रतिदिन प्रति लाभार्थी, भोजन पकाने की लागत के साथ दिया जाता है जो केन्द्रीकृत रसोई के आधारभूत ढ़ाँचे में लगी लागत के अतिरिक्त है।

राज्य सरकार ने (दिसम्बर 2014) स्वीकार किया कि बारां जिले में पूरक पोषाहार का वितरण नहीं किया गया था जबकि नागौर जिले में यह नवम्बर 2011 के बाद वितरित किया गया। तथापि सभी जिलों को पूरक पोषाहार के नियमित वितरण के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(ख) व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं परिचयात्मक यात्राओं का अभाव

योजना के दिशा निर्देशों (अनुच्छेद 10.4) के अनुसार, प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र की दो चयनित बालिकाओं को 60 दिनों का व्यावसायिक प्रशिक्षण[41] दिया जाकर उन्हें, आँगनबाड़ी केन्द्र की अन्य बालिकाओं में गृह आधारित एवं व्यावसायिक कौशल में सुधार हेतु प्रशिक्षण दन के लिए, सक्षम बनाना था। दिशा निर्देश, प्रत्येक बालिका

40 बारां, चित्तौड़गढ़, झुन्झूनू, नागौर, सीकर और सिरोही।

41 जीवन शिक्षा पाठ्यक्रम, व्यावसायिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (सिलाई, आभूषण निर्माण, वस्त्र सिलाई और सौन्दर्यकरण इत्यादि) अनौपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा पाठ्यक्रम एवं विधिक शिक्षा इत्यादि।

को उनके क्षेत्र में उपलब्ध महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे डाक घर, बैंक, पंचायत, अस्पताल इत्यादि स्थानो की परिचयात्मक यात्रायें करा कर जानकारी अर्जित कराना भी प्राविधित करते हैं।

(i) अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि विभाग द्वारा नागौर एवं सिरोही जिलों में अवधि 2011-14 तथा चित्तौड़गढ़ जिले में अवधि 2011-12 एवं 2013-14 में आँगनबाड़ी केन्द्रों में, नामांकित किशोरी बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

राज्य सरकार ने (दिसम्बर 2014) तथ्यों को स्वीकार करते हुये कहा कि सिरोही जिले में, क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पदों के रिक्त होने के कारण व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका जबकि चित्तौड़गढ़ जिले में 2013-14 की अवधि में, भारत सरकार द्वारा निधियों का आवंटन नहीं करने से व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका।

(ii) बारां जिले के सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं (अगस्त 2014) एवं अभिलेखों की संवीक्षा में यह देखा गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान आठ 'समेकित बाल विकास सेवायें' परियोजनाओं के 133 आँगनबाड़ी केन्द्रों की 318 बालिकाओं को कृषि विज्ञान केन्द्र, अन्ता द्वारा योजना के अन्तर्गत आवश्यक 60 दिनों के विरूद्ध केवल दो से तीन दिनों का ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आगे, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये दो चयनित किशोरी बालिकाऐं, आँगनबाड़ी केन्द्रों की शेष किशोरी बालिकाओं को प्रशिक्षण देने में असमर्थ रही। तथ्य रहा कि छः नमूना जांच जिलों में आमतौर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा जारी (मई 2011) दिशा निर्देशों में धन की उपलब्धि के अनुसार विकल्प चुनने और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्पादित करने का कार्य, जिलों के विवेक पर छोड़ दिया गया था। उत्तर, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

चित्तौड़गढ़ जिले में 2012-14 और सिरोही जिले में 2013-14 की अवधि में परिचयात्मक यात्रायें नहीं कराई गई। राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि सिरोही जिले में क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण परिचयात्मक यात्रायें नहीं कराई जा सकी, जबकि चित्तौड़गढ़ जिले मे वर्ष 2013-14 की अवधि में भारत सरकार द्वारा धन आवंटन नहीं करने के कारण परिचायत्मक यात्रायें नहीं कराई जा सकी।

(ग) बजट आवंटन का कम उपयोग

दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 12 एवं 13 के अनुसार योजना के अन्तर्गत क्रिया कलापों पर स्वीकृत राशि ₹ 1.10 लाख प्रति ब्लॉक/समेकित बाल विकास सेवायें

परियोजना प्रतिवर्ष तक सीमित रखते हुये. राज्य सरकार एक कार्य योजना तैयार कर सकेगी।

राजस्थान में किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत 190 परियोजनाऐं कार्यरत हैं। अत: आवंटन किये जाने हेतु अपेक्षित धन राशि ₹ 2.09 करोड़ होती हैं। इसके विरूद्ध वर्ष 2011-12 में ₹ 3.53 करोड़[42] उपलब्ध थे। इसमें से अव्ययीत अवशेष ₹ 2.21 करोड़ के साथ वर्ष के दौरान केवल ₹ 1.32 करोड़ का व्यय किया गया।

राशि उपलब्ध होने के बावजूद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवधि 2012-14 के लिए कार्य योजनाऐं तैयार नहीं की गई और इस कारण भारत सरकार द्वारा इस अवधि में कोई राशि आवंटित नही की गयी। इस प्रकार 2012-14 के दौरान किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत कोई क्रिया कलाप नहीं किये गये।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2014) कहा कि रिक्त पदों और कर्मचारी वर्ग की कमी के कारण कार्य योजना के कुछ क्रिया कलापों को परिलक्षित नहीं किया जा सका। आगे, कहा कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्षो 2012-14 के दौरान किशोरी शक्ति योजना के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया, इसलिये उक्त उल्लेखित वर्षो के लिए कार्य योजना तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर दिशा निर्देशों के पैराग्राफ 12 के अनुरूप नहीं था जो किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत कार्य योजना तैयार करने और इसे भारत सरकार के साथ साझा करने को कहता है।

इस प्रकार किशोरी शक्ति योजना में 2012-13 से 2013-14 के दौरान बजट आवंटन नहीं किये जाने के कारण व्यावसायिक प्रशिक्षण, परिचयात्मक यात्रायें एवं जीवन यापन प्रशिक्षण के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके। किशोरी बालिकाओं में कुपोषण एवं एनिमिया को देखते हुए केवल दो गरीब कुपोषित बालिकाओं को पोषाहार का लाभ पहुँचाना, योजना के दायरे को गम्भीर रूप से सीमित करता है। अत: पोषाहार घटक में संशोधन की आवश्यकता हैं इसके अतिरिक्त ₹ 5 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानदण्ड दिसम्बर 2008 में निश्चित किया गया था एवं इसकी समीक्षा की भी आवश्यकता है।

3.4.2.4 किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना (सबला)

योजना के उद्देश्य, किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण और स्वविकास में सक्षम बनाना; उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना; किशोरी प्रजनन एवं लैंगिक स्वास्थ्य तथा परिवार एवं शिशु देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाना; उनके गृह

[42] प्रारभिक शेष ₹ 2.48 करोड़ एवं जारी की गई निधि ₹ 1.05 करोड़ का योग।

आधारित कौशल, जीवन कौशल एवं व्यावसायिक कौशल का उन्नयन करना; विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना, तथा उन्हें उपलब्ध लोक सेवाओं के बारे में सूचित एवं पथप्रदर्शित करना था। सबला राज्य के 10 जिलों में प्रारम्भ की गयी, इन जिलों में किशोरी शक्ति योजना को सबला से प्रतिस्थापित किया गया।

किशोरी शक्ति योजना एवं सबला में मुख्य अन्तर है कि किशोरी शक्ति योजना में पोषाहार केवल दो निर्धन कुपोषित बालिकाओं को उपलब्ध करवाया जाता है जबकि सबला में यह सभी बालिकाओं के लिये है।

(क) धन का कम जारी किया जाना

सबला के बजट प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार को प्रति समेकित बाल विकास सेवायें परियोजना के लिये गैर पोषणीय भाग[43] की लागत के लिये ₹ 3.80 लाख आवंटित करना था। इसके अतिरिक्त पूरक पोषाहार ₹ 5 प्रति किशोरी प्रतिदिन की दर से वर्ष में 300 दिवस हेतु, वास्तविक आधार पर उपलब्ध करवाया जाना था। इस प्रकार भारत सरकार को, 10 जिलों की 114 समेकित बाल विकास सेवायें परियोजनाओं हेतु गैर पोषणीय भाग के लिये ₹ 4.33 करोड़ और पोषणीय भाग के लिये वास्तविक आवश्यकतानुसार जारी करना था। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 4.33 करोड़ की आवश्यकता के विरूद्ध गैर पोषणीय भाग के लिए भारत सरकार ने ₹ 3.10 करोड़ स्वीकृत कर जारी किये। इसी प्रकार वर्ष 2013-14 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 4.36 करोड़ स्वीकृत कर केवल ₹ 2.18 करोड़ ही जारी किये। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा गतिविधियों को चलाने के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक धन उपलब्ध नहीं करवाया गया।

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2014) कि विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 की द्वितीय किश्त (₹ 2.18 करोड़) 6 मई 2014 को प्राप्त की गई। अतः इसे भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु पुनः नवीनीकरण करवा लिया गया था।

(ख) पोषण कार्यक्रम

दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 6.1.1 के अनुसार, पूरक पोषाहार ₹ 5 प्रति लाभार्थी प्रतिदिन के हिसाब से, वर्ष में 300 दिवस के लिये, घर ले जाने का राशन अथवा गर्म पका हुआ भोजन, जैसा किशोरी बालिका के लिये उपयुक्त हो, उपलब्ध करवाया जाना चाहिये।

[43] पूरक पोषाहार के अतिरिक्त किशोरी बालिकाओं (कि.बा.) के लिए स्वयं के विकास एवं सशक्तिकरण की सभी गतिविधियों को गैर पोषणीय भाग कहा जाता है।

नमूना जांच जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2011-14 की अवधि के दौरान, भीलवाड़ा, बीकानेर तथा डूंगरपुर जिलों में नीचे सारणी में वर्णित अनुसार 9 से 45 प्रतिशत नामांकित बालिकाओं को पोषाहार उपलब्ध नहीं करवाया गया:

वर्ष	सर्वे के अनुसार कि.बा. की संख्या	नामांकित कि.बा. की संख्या (प्रतिशत)	पोषाहार उपलब्ध कराये गये कि. बा.की संख्या	पोषाहार उपलब्ध नहीं कराये गये कि.बा. की संख्या	पोषाहार उपलब्ध नहीं करायी गयी कि.बा. का प्रतिशत
भीलवाड़ा					
2011-12	107904	56980 (53)	49647	7333	13
2012-13	117843	65067 (55)	55460	9607	15
2013-14	111018	64671 (58)	54616	10055	16
बीकानेर					
2011-12	134884	61342 (45)	38497	22845	37
2012-13	119174	62456 (52)	36862	25594	41
2013-14	135130	62454 (46)	49949	12505	20
डूंगरपुर					
2011-12	101453	69360 (68)	37929	31431	45
2012-13	111605	69340 (62)	49757	19583	28
2013-14	111008	76153 (69)	69899	6254	9

दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 6.2.1 के अनुसार सभी किशोरी बालिकाओं को, जब भी वे आँगनबाड़ी केन्द्र पर आती हैं, दो आयरन फोलिक एसिड गोलियां दी जानी हैं। बीकानेर में पाया गया कि अवधि 2011-14 के दौरान आठ परियोजनाओं में आयरन फोलिक एसिड गोलियां नियमित रूप से वितरित नहीं की गयी।

राज्य सरकार ने पोषाहार कम वितरण का कारण बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को बताया (दिसम्बर 2014)। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पूरक पोषाहार आँगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से वितरित किया जाता है।

(ग) व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव

(i) दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 6.8 के अनुसार, विद्यालय छोड़ने वाली अथवा मौजूदा कार्मिकों इत्यादि किशोरी बालिकाओं (16 वर्ष एवं उससे अधिक) को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से, प्रदान किया जायेगा। नमूना जांच जिलों, भीलवाड़ा एवं बीकानेर के परियोजना अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा में यह दर्शित हुआ कि 3.30 लाख चिन्हित बालिकाओं को अवधि 2011-13 के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। राज्य सरकार ने (दिसम्बर 2014) इन तथ्यों को स्वीकार किया।

(ii) दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 5.2 के अनुसार प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक वर्ष किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों को समझने में सहायक एक प्रशिक्षण किट उपलब्ध करवाया जायेगा। अवधि 2012-13 के दौरान इस तरह के कोई भी किट उपलब्ध नहीं करवाये गये।

राज्य सरकार ने (दिसम्बर 2014) तथ्यों को स्वीकारते हुये कहा कि किट की सामग्री में बदलाव के कारण आदेशों को लागू करने में समय लगा।

इस प्रकार, सबला का लाभ 31 से 55 प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन नहीं होने के कारण सभी पात्र बालिकाओं तक नहीं पहुँचाया गया। नामांकित बालिकाओं में से 9 से 45 प्रतिशत को पोषाहार का लाभ नहीं पहुँचाया गया। इनमें से भी, दो नमूना जांच जिलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। आगे, अवधि 2012-13 के दौरान किसी भी जिले में प्रशिक्षण किटों का वितरण नहीं किये जाने से योजना के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये गये।

(घ) किशोरी कार्डों का संधारण

सबला योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक किशोरी बालिका के लिए 'किशोरी कार्ड' संधारित किया जावेगा। इस कार्ड में वजन, ऊँचाई, बॉडी मास इंडेक्स, आयरन फोलिक एसिड अनुपूरक, तथा सबला के अन्तर्गत प्राप्त सन्दर्भ (रेफरल्स) एवं सेवायें जैसी सूचनायें सम्मिलित होंगी। इस कार्ड में बालिका के जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि स्कूल जाने, छोड़ने और विवाह इत्यादि भी सम्मिलित होंगे।

नमूना जांच के तीन जिलों में यह दर्शित हुआ कि किसी भी किशोरी बालिका के लिये किशोरी कार्ड संधारित नहीं किया गया था। किशोरी कार्डों की अनुपलब्धता में सबला योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान किये गये लाभों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) कि 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि के दौरान भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं होने के कारण कार्डों का मुद्रण एवं वितरण नहीं किया जा सका।

3.4.2.5 किशोरी शक्ति योजना एवं सबला योजना की बुनियादी सुविधायें एवं निगरानी

किशोरी शक्ति योजना एवं सबला दोनों योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए 'समेकित बाल विकास सेवाऐं' योजना के बुनियादी ढांचे, अर्थात आंगनबाड़ी केन्द्रों का उपयोग किया जाना था। लेखापरीक्षा ने इस बुनियादी ढांचे की उपलब्धि की समीक्षा की तथा परिणाम नीचे दिये गये हैं:

(क) आधारभूत सुविधाओं का अभाव

दिशा निर्देशों के अनुसार सबला एवं किशोरी शक्ति योजना दोनों योजनाओं को समेकित बाल विकास सेवाऐं योजनाओं द्वारा प्रदान किये गये बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुये आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से लागू की जानी थी। सबला योजना के दिशा निर्देशों के पैरा 5.6 के अनुसार जहाँ आंगनबाड़ी केन्द्र पर

आधारभूत सुविधायें, जैसे कि समुचित स्थान, शौचालय, पेयजल (परिसर में नल एवं हैण्डपम्प) इत्यादि आदि प्रचुर नहीं हों तो योजना वैकल्पिक व्यवस्था कर, जैसे विद्यालय भवनों, पंचायत भवनों, सामुदायिक भवनों इत्यादि में, इस हेतु स्थान चिन्हित किया जाकर चलाई जा सकती हैं।

विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार (9 नमूना जांच जिलों के लिए) कुल 15,972 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 3,943 (25 प्रतिशत) निजी भवनों में चल रही थी। मार्च 2014 को शौचालय एवं पेयजल सुविधाओं के अभाव की स्थिति निम्न प्रकार थी:

जिले का नाम	कुल आ.बा.के.	शौचालय सुविधा का अभाव	पेयजल सुविधा का अभाव (परिसर में नल अथवा हैण्डपम्प)
बारां	1,574	867	495
भीलवाड़ा	2,189	1,878	474
बीकानेर	1,477	215	0
चित्तौड़गढ़	1,756	1,209	729
डूंगरपुर	1,625	1,062	102
झुन्झुनू	1,567	0	0
नागौर	2,824	2,351	2,020
सीकर	2,124	403	0
सिरोही	836	537	149
योग	**15,972**	**8,522 (53 *प्रतिशत*)**	**3,969 (25 *प्रतिशत*)**

स्त्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनायें

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 25 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल और 53 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तथापि सुविधाओं के अभाव के बावजूद योजनाओं को चलाने के लिए योजनाओं में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई।

राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार (दिसम्बर 2014) करते हुये कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्र बिना लागत के किराये, निजी अथवा सामुदायिक भवनों में, चल रहे हैं, जिस वजह से विभाग, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधायें प्रदान करने में समस्याओं का सामना कर रहा है। निदेशकों को सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को विद्यालय भवनों में स्थानान्तरित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ख) निगरानी का अभाव

दिशा निर्देशों के अनुसार सबला एवं किशोरी शक्ति योजना को लागू, क्रियान्वयन एवं निगरानी 'समेकित बाल विकास सेवाऐं' द्वारा की जानी थी। 9 नमूना जांच जिलों के समेकित बाल विकास सेवा में पद स्थापित, बाल विकास परियोजना अधिकारी/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा महिला पर्यवेक्षक (समेकित बाल विकास सेवाऐं कार्मिक) प्रचेता एवं साथिन (महिला सशक्तिकरण कार्मिक) की स्वीकृत एवं वास्तविक संख्या, मार्च 2014 के अनुसार नीचे तालिका में दी गई है:

जिले का नाम	बा.वि.प.अ./स. बा.वि.प.अ.		महिला पर्यवेक्षक		प्रचेता		साथिन		योग		रिक्त (प्रतिशत)
	स्वीकृत	कार्यरत संख्या	स्वीकृत	कार्यरत संख्या	स्वीकृत	कार्यरत संख्या	स्वीकृत	कार्यरत संख्या	स्वीकृत	कार्यरत संख्या	
बारां	8	6	51	34	4	1	214	165	277	206	71 (26)
बीकानेर	14	4	58	41	6	1	219	177	297	223	74 (25)
भीलवाड़ा	12	5	74	52	11	1	383	345	480	403	77 (16)
चित्तौड़गढ़	12	5	53	36	11	10	288	258	364	309	55 (18)
डूंगरपुर	15	4	76	49	5	1	237	221	333	275	58 (17)
झुन्झुनू	13	5	58	53	8	2	288	271	367	331	36 (10)
नागौर	13	7	102	57	11	1	461	409	587	474	113 (19)
सीकर	19	6	75	52	8	2	329	310	431	370	61 (14)
सिरोही	6	3	29	22	4	0	151	61	190	86	104 (54)
योग/रिक्त पदों का प्रतिशत	112	45 (60)	576	396 (31)	68	19 (72)	2570	2217 (14)	3326	2677	649 (19)

स्त्रोत: उपनिदेशक/परियोजना अधिकारियों/ बाल विकास परियोजना कार्यालयों द्वारा प्रदत्त सूचनायें

वांछित पर्यवेक्षकों, कार्मिकों के अभाव में योजनाओं की समुचित निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। यद्यपि विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2014) कि राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निगरानी की जा रही है। आंगनवाड़ी केन्द्रों, बाल विकास परियोजना कार्यालयों से मासिक प्रगति प्रतिवेदन एकत्र किये जा रहे हैं एवं इस संबंध में संबंधितों को निर्देश जारी किये जा रहे हैं। निर्देशों पर क्या कार्यवाही हुई, सूचित नहीं किया गया।

राज्य सरकार द्वारा तथ्य स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2014) कहा गया कि प्रचेताओं की प्रतिनियुक्त हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित की गयी समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है। अन्य विभागों मे कर्मचारियों की कमी के कारण प्रचेताओं की प्रतिनियुक्ति को कार्यान्वित नहीं किया जा सका अत: विभाग में प्रचेताओं के पद रिक्त हैं। तथापि सीधी भर्ती हेतु राजस्थान महिला विकास सेवा नियमों में संशोधन प्रक्रियाधीन है। साथिनों के संबंध में बताया गया कि इनका चयन ग्राम सभाओं द्वारा किया जा रहा है तथा इन पदों को भरने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया जायेगा।

3.4.2.6 मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना

वर्ष 2007 से लागू योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, उन दम्पत्तियों, जिन्होनें केवल एक या दो बालिका शिशु के जन्म के बाद नसबन्दी करवा दी है, की प्रत्येक पाँच वर्ष तक की बालिका के नाम ₹ 10,000 की राशि के यूटीआई बॉण्ड 'बच्चों के कैरियर योजना' के तहत जमा करायेगा।

यूटीआई बॉण्ड की परिपक्वता राशि का भुगतान बालिका को केवल इस शर्त पर किया जायेगा कि उसकी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले शादी नहीं हुई हो। बॉण्ड हेतु प्रार्थना पत्र जिलों के अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) को प्रस्तुत किये जायेंगे, जो कि प्रार्थना पत्र को माह

की 5 व 20 तारीख को अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण) जयपुर को अग्रेषित करेगें। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर यूटीआई बॉण्डों को बालिका शिशु के पक्ष में जारी किया जायेगा एवं लाभार्थियों को वितरण करने हेतु अति./उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण को अग्रेषित किया जायेगा।

नमूना जांच किये जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि:

- इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की संख्या की पहचान के लिये कोई अभिलेख संधारित नहीं था जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सका कि सभी पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है।
- अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यालयों में आवेदन प्राप्तियों का कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था।
- नमूना जांच जिलों में पाया गया कि वर्ष 2011-14 में अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 444 आवेदन, अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण) को अग्रेषित किये गये। इनमें से 283[44] आवेदन, नसबन्दी की तिथि के 6 माह से 74 माह से अधिक की देरी से अग्रेषित किये गये, जिससे बॉण्ड के जारी होने एवं प्राप्त होने में भी देरी हुई, जिससे दर्शित होता है कि प्राधिकारी इस योजना को लागू करने के प्रति गंभीर नहीं थे।
- वर्ष 2007-14 के दौरान, 2916 लाभार्थियों के प्राप्त आवेदनों के लिये निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को ₹ 10,000 प्रति बालिका की दर से राशि ₹ 2.92 करोड़ बॉण्ड जारी करने के लिये यूटीआई को जमा करवाने थे। अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने यूटीआई को जमा करवाने के लिये वांछित राशि आवंटित नहीं की। परिणामस्वरूप बॉण्ड जारी करने में विलम्ब हुआ। मार्च 2014 के अंत तक वांछित बजट एवं इसके आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार थी:

(₹ लाख में)

विवरण	2007-08 व 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
नसबंदी करवाये गये लाभार्थी परिवारों से प्राप्त आवेदनों की संख्या	548	378	394	471	525	600
बॉण्ड हेतु वांछित निधि (बकाया को शामिल करते हुय) ₹ 10,000 की दर से	54.80	42.60 (37.80+4.80)	52.00 (39.40+12.60)	69.10 (47.10+22.00)	81.60 (52.50+29.10)	91.60 (60.00+31.60)
बजट आवंटन	50.00	30.00	30.00	40.00	50.00	90.00
यू.टी.आई. को जमा	50.00	30.00	30.00	40.00	50.00	85.60
कमी	**4.80**	**12.60**	**22.00**	**29.10**	**31.60**	**6.00**

स्त्रोत: अतिरिक्त निदेशक द्वारा प्रदत्त सूचनाऐं।

[44] 127 आवेदन 7-12 माह की देरी से, 97 आवेदन 13-24 माह की देरी से, 27 आवेदन 25-36 माह की देरी से, 18 आवेदन 37-48 माह की देरी से तथा 14 आवेदन चार वर्ष से अधिक देरी से अग्रेषित किये गये।

इस प्रकार 60 आवेदनों के विरूद्ध ₹ 6 लाख अभी भी जमा कराये जाने शेष थे (मार्च 2014) परिणामस्वरूप इन प्रकरणों में बॉण्ड जारी करने में देरी हुई।

- नमूना जांच नौ जिलों में यूटीआई द्वारा लाभार्थियों को वितरण हेतु बॉण्ड, अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) को अग्रेषित नहीं किये गये। अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सूचित किया (अगस्त 2014) कि यूटीआई द्वारा बॉण्ड सीधे ही लाभार्थियों को भेजे जा रहे थे। तथापि, अभिलेखों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या सभी बाण्ड जारी कर दिये गये थे।

3.4.2.7 निष्कर्ष और अनुशंसा

भारत सरकार और राज्य सरकार ने बालिकाओं के साथ हो रहे भेदभाव को मिटाने के लिए कई उपाय किये हैं। तद्नुसार बालिकाओं के प्रति जन्म से ही भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करने और बाल विवाहों के समाप्ति के लिए कुछेक अधिनियम पारित किये गये हैं। देखा गया कि 'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम' का क्रियान्वयन अप्रभावी रहा जैसा कि बाल लिंगानुपात में तीव्र गिरावट से दर्शित होता हैं। सोनोग्राफी केन्द्रों के निरीक्षण में भी कमी रही। आगे, मुख्य पदों के रिक्त रहने के कारण 'गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अन्वेषण ब्यूरो' का कार्यान्वयन नहीं हो सका। बाल विवाह निषेध अधिनियम भी विवाह की उम्र बढ़ाने में अधिक प्रभाव नहीं डाल पाया। इन दोनों अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार से उस सांस्कृतिक वातावरण, जिसमें बच्चे विशेष तौर पर बालिकायें पलती हैं, में बदलाव लाने के लिये सटीक और सकारात्मक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम की ठोस क्रियान्वति, विशेष तौर पर सोनोग्राफी केन्द्रों के निरीक्षण और गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अन्वेषण ब्यूरों के कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

किशोरी शक्ति योजना और सबला दोनों योजनाओं के अन्तर्गत पोषाहार का लाभ ₹ 5 प्रति दिन प्रति लाभार्थी की दर से प्रदान किया गया, जो कि अपर्याप्त है। जबकि मध्यान्ह भोजन योजना में 150 ग्राम खाद्यान्न (700 कैलोरी) भोजन पकाने की लागत के साथ ₹ 5.38 प्रतिदिन प्रति लाभार्थी, प्रदान किया जाता हैं। साथ ही किशोरी शक्ति योजना में किशोरी बालिकाओं के एक बड़े भाग को पोषाहार का लाभ नहीं दिया गया।

राज्य सरकार द्वारा किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले लाभार्थियों के व्याप्ति की समीक्षा की आवश्यकता हैं। किशोरी शक्ति योजना एवं सबला के विलय पर भी विचार किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि दोनों ही योजनायें, एक जैसे मुद्दो को संबोधित करती हैं। राज्य में किशोरी बालिकाओं में व्याप्त कुपोषण एवं एनिमिया के कारण बालिकाओं को प्रदान किये जाने वाले पोषण की निर्धारित लागत सीमा की समीक्षा किये जाने की भी आवश्यकता हैं।

युवा मामले एवं खेल विभाग

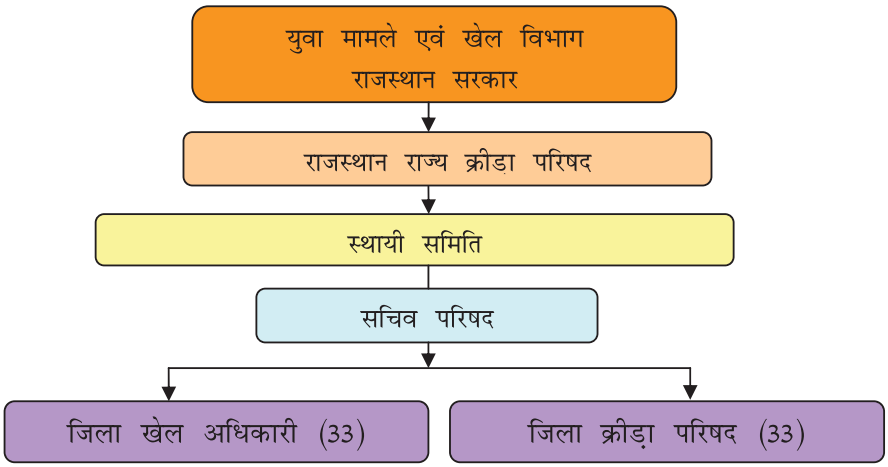
3.4.3 खेल अवसंरचना/स्टेडियम का निर्माण

खेल-कूद अच्छे स्वास्थ्य और सौहार्दपूर्ण प्रतिस्पर्धा की भावना को बढावा देते हैं जो युवाओं और समाज के समग्र व्यक्तित्व विकास पर सकारात्मक प्रभाव सृजित करता है। खेल-कूद, उत्पादक एवं अर्थपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, युवा उर्जा संचरण का भी एक प्रभावी माध्यम हैं। खेल, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के द्वितीय सूची (राज्यसूची) में प्रगणित (प्रविष्टि-33), राज्य का विषय हैं और इसी लिये राज्य सरकार को (भारत सरकार के समर्थन के साथ) खेलों के सम्बन्ध मे कानून बनाने के लिये अनन्य प्राधिकार प्राप्त हैं।

'राष्ट्रीय खेल नीति 2001' के अनुसार केन्द्र सरकार राज्य सरकारों, ओलंपिक संघ, एवं राष्ट्रीय खेल संघ के साथ संयोजन कर, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के व्यापक आधार तैयार करने एवं उत्कृष्टता प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्यों को सम्मिलित रूप से प्राप्त करने का प्रयास करेगी। 'राज्य खेल नीति' अप्रेल 2013 में आरम्भ की गई जिसमें खेलों के प्रति बच्चों में अधिकतम आकर्षण हेतु उपयुक्त खेल वातावरण, बुनियादी ढांचे के विकास तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की भागीदारी को बढ़ावा देने एवं श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु सुविधाऐं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गयी।

यद्यपि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर राजस्थान, देश में आठवें स्थान पर है, परन्तु 34 वें राष्ट्रीय खेल 2011 में राज्य का स्थान 20 वें पायदान पर था। इससे इंगित होता हैं कि राज्य में खेल गतिविधियों में सुधार की व्यापक गुजांइश हैं।

युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, द्वारा राज्य खेल नीति (अप्रेल 2013) बनाई गई, जिसका क्रियान्वयन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद (परिषद) द्वारा किया जाता है जिसमें सभी खेल गतिविधियों जैसे खेल की आधारभूत संरचना का निर्माण एवं बढ़ावा देना, खिलाडियों को प्रोत्साहित करना एवं खेल वातावरण को बढ़ावा देना है। राज्य एवं जिलों में खेलों के प्रबंधन एवं निष्पादन हेतु विभिन्न प्रभारी प्राधिकारियों के संगठन का चित्रण निम्न प्रकार हैं:



खेलों के लिये निधियां तीन योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित की जाती हैं। दो योजनाऐं 'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान' और 'शहरी क्रीड़ा अवसंरचना योजना' केन्द्र द्वारा प्रवर्तित है, एक योजना 'समन्वित स्टेडियम (खेल अवसंरचना) विकास कार्यक्रम 2007 (सस्टेविका)' राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। शहरी क्रीड़ा अवसंरचना योजना और सस्टेविका, जिलों में जिला क्रीड़ा परिषद/जिला खेल अधिकारी द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं जबकि पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान जिला परिषद, ब्लाक/ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

लेखा परीक्षा द्वारा भौगोलिक विविधता को शामिल करते हुऐ 12 जिलों[45] में (7 सम्भागों के 33 जिलों में से) उपरोक्त तीन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी। इन योजनाओं की 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के क्रियान्वयन की नमूना जाँच की गयी।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और जिला क्रीड़ा परिषद के अभिलेखों के साथ चयनित जिलों के कार्यकारी एजेन्सियों सार्वजनिक निर्माण विभाग (सानिवि), राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रेल से जुलाई 2014) में निम्नलिखित आक्षेप ज्ञात हुये:

3.4.3.1 खेल परिषद के गठन का अभाव

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के ज्ञापन के अनुच्छेद 2 के अनुसार, 21 सदस्यीय खेल परिषद का गठन किया जाना चाहिये, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 6 सरकारी पदेन सदस्य तथा अन्य अधिकतम 12 सदस्य हों जिनमें से कम से कम एक महिला प्रतिनिधि होनी चाहिये। खेल-कूद के सर्वांगीण विकास हेतु योजना बनाना एवं बढ़ावा देना, खेल-कूद के प्रशिक्षण, कोचिंग एवं शिक्षा हेतु आयोजन करना, स्टेडियमों, खेल मैदानों आदि के निर्माण कार्यों के अनुश्रवण एवं निष्पादन द्वारा बुनियादी सुविधाऐं स्थापित करना एवं बनाये रखना, परिषद के लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जिसका गठन मई 2001 में किया गया था, राज्य सरकार के जनवरी 2004 के आदेश से भंग कर दी गयी। नई परिषद के गठन तक तीन सरकारी अधिकारियों[46] को परिषद का कार्य करने के लिये मनोनीत किया गया। यह भी ध्यान में आया कि परिषद के ज्ञापन में परिषद के सदस्य के रूप में विभिन्न खेलों का प्रतिनिधित्व निर्धारित नहीं किया गया था। यह भी देखा गया

[45] अजमेर, अलवर, बांरा, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, उदयपुर।

[46] युमा एवं खेवि का सचिव: अध्यक्ष, युमा एवं खेवि का उप सचिव: उपाध्यक्ष, युमा एवं खेवि का सहायक लेखाधिकारी: विभाग का कोषाध्यक्ष।

कि दस वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के बाद भी, खेल निकायों के प्रतिनिधियों का समावेश करते हुये, विधिवत खेल परिषद का गठन नहीं किया गया और परिषद केवल राज्य सरकार द्वारा नामित सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रबन्धित की जा रही थी।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2014) कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाना था एवं उन्होने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के गठन हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया था (सितम्बर 2014)। राज्य सरकार की तरफ से कार्यवाही अपेक्षित (नवम्बर 2014) थी।

इसी तरह, प्रत्येक जिले में अधिकतम 30[47] मनोनीत सदस्यों के साथ एक जिला क्रीड़ा परिषद होनी चाहिये। सभी जिला क्रीड़ा परिषदों को फरवरी 2004 में भंग कर दिया गया था और इनका पुनर्गठन अभी तक लम्बित है। जिला क्रीड़ा परिषदों में जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों, खिलाड़ियों, महिला इत्यादि के प्रतिनिधित्व के अभाव में आयोजना एवं खेलों के संपूर्ण विकास के प्रोत्साहन में खिलाड़ियों सहित, विभिन्न हित धारकों का दृष्टिकोण प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

यह अनुशंसा की जाती है कि समिति को खेलों में प्रतिनिधि स्वरूप लाने एवं व्यावसायिक रुप से खेल परिषद को चलाने के लिये, विभिन्न खेल संस्थाओं से प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिये खेल परिषद की सदस्यता हेतु ज्ञापन में विधिवत संशोधन किया जाना चाहिये।

3.4.3.2 समन्वित स्टेडियम (खेल अवसंरचना) विकास कार्यक्रम (सस्टेविका), 2007

संभाग, जिला और तहसील स्तर पर आधारभूत खेल सुविधाओं का सृजन करने, मौजूदा खेल मैदानों के संरक्षण और उपयुक्त खेल मैदानों, स्टेडियमों का विकास इत्यादि के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 'सस्टेविका 2007' शुरू की गयी। सस्टेविका, राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा जुटाये गये संसाधनों, स्थानीय निकायों, कॉर्पोरेट घरानों, खेल संघों आदि द्वारा वित्त पोषित है। स्वीकृति के 10 प्रतिशत के बराबर अनुपातिक राशि, लोकसभा सदस्यों/विधानसभा सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एवं अन्य स्त्रोतों से वांछनीय है।

कुछ प्रमुख खेल परियोजनाओं को प्रक्रियात्मक और अन्य देरी के कारण नहीं लिये जाने से खिलाड़ी आधुनिक ट्रेक/मैदानों पर अभ्यास करने से वंचित रहे जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

[47] 30 नामित सदस्यो में जिला प्रमुख, एमएलए, प्रधान, पुलिस अधीक्षक, अध्यक्ष (नगर पालिका, परिषद), जिला शिक्षा अधिकारी, सक्रिय खेल भागीदार (11), जिला खेल संघ का प्रतिनिधि (1), प्रतिभावान खेल व्यक्ति (2), महिला (2), अजा/अजजा/अपिव के प्रतिनिधि (3)।

(i) प्रदेश में खेल अवसंरचनाओं का अभाव

सस्टेविका के मानदण्डों के अनुसार, संभाग स्तर पर एक इन्डोर स्टेडियम के अतिरिक्त 10 सुविधाऐं[48] वाले एक बाह्य स्टेडियम की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये जबकि जिला स्तर पर एक इन्डोर स्टेडियम के अतिरिक्त 9 सुविधाऐं[49] वाले एक बाह्य स्टेडियम की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। सस्टेविका के दिशानिर्देशों के अनुसार यह भी परिकल्पना की गयी कि राज्य सरकार 2007 से आगामी तीन वर्षों में, समयबद्ध तरीके से स्टेडियमों का निर्माण करे।

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि 5 सम्भागीय तथा 26 जिला स्तरीय स्टेडियमों, में 6 वर्ष बाद भी पर्याप्त खेल अवसंरचना/सुविधाऐं उपलब्ध नहीं थी (जून 2014)। परिषद द्वारा धन की कमी को इसका कारण बताया गया। इस प्रकार प्रदेश में खेल की आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता में भारी कमी रही। इसके बावजूद भी पर्याप्त आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु कोई समयबद्ध कार्य योजना तैयार नहीं की गयी।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2014) कि आधारभूत संरचनाओं/सुविधाओं का निर्माण राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है। तथ्य यह है कि युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा राज्य में खेल सुविधाओं के विकास के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया।

यह भी देखा गया कि परिषद द्वारा खेल आधारभूत संरचनाओं का कोई हस्तलिखित/ कम्प्यूटराईज्ड डाटा बेस तैयार नहीं किया गया है। सूचित किया गया कि निर्मित खेल आधारभूत सुविधाओं की प्रविष्टि, सम्पत्ति पंजिका में दर्ज की जा रही है जो स्टेडियम पर्यवेक्षक द्वारा संधारित की जाती है यद्यपि यह पंजिका भी अपूर्ण पाई गयी।

(ii) सस्टेविका के तहत, वर्ष 2007-08 से 2013-14 के दौरान, स्टेडियमों के निर्माण, खेल आधारभूत सुविधाओं के सृजन और राज्य के 33 जिलों में स्थित स्टेडियमों के रखरखाव के 89 कार्यों के लिये स्वीकृत राशि ₹ 64.59 करोड़ के समक्ष परिषद द्वारा ₹ 55.41 करोड़ ही जारी किये गये। इन कार्यों की स्थिति निम्न प्रकार है:

- अनुबन्धित किये गये 89 कार्यों में से केवल 24 कार्य (27 प्रतिशत) ₹ 11.09 करोड़ की लागत से पूर्ण हुये जबकि 49 कार्य (55 प्रतिशत) ₹ 18.79 करोड़ खर्च करने के बाद भी प्रगति पर हैं और 16 कार्य (18 प्रतिशत) अपूर्ण निविदा प्रक्रिया, भूमि विवाद या कार्य आदेश में विलम्ब के कारण प्रारम्भ नहीं हो पाये।

[48] एथलेटिक्स ट्रैक (400 मीटर), फुटबॉल, हॉकी, हेन्डबॉल, बास्केटबॉल, वॉलिबॉल, टेनिस, खो-खो, कबड्डी और तरणताल।

[49] एथलेटिक्स ट्रैक (400 मीटर), फुटबॉल, हॉकी, हेन्डबॉल, बास्केटबॉल, वॉलिबॉल, टेनिस, खो-खो और कबड्डी।

- 24 पूर्ण हो चुके कार्यों में से बारां और फतेहगढ़ स्टेडियम में खेल सुविधाओं से सम्बन्धित दो निर्माण कार्य, जो राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा क्रमशः मार्च 2012 व दिसम्बर 2013 में पूर्ण किये गये, परिषद को क्रमशः 31 और 10 माह की अवधि के बाद भी हस्तान्तरित नहीं किये गये (अक्टूबर 2014)। परिणामस्वरूप खेल सुविधाओं का उपयोग नहीं हो सका और युवा अभीष्ट लाभ से वंचित रहे।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2014) कि जल संचय प्रणाली और जल भराव समस्या सहित कुछ कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण परिषद ने खेल सुविधाओं को कब्जे में नहीं लिया। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिषद को समय पर कार्य पूर्ण कराने और तकनीकी नियंत्रण का अनुश्रवण करना चाहिये था।

- नमूना जांच 12 जिलों से संबंधित कार्यों (सस्टेविका के अन्तर्गत) की स्थिति निम्न प्रकार थी:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	कार्यकारी एजेन्सी को जारी राशि	कार्यों की स्थिति					
				कार्य शुरू नहीं किये गये		कार्य प्रगति पर थे		पूर्ण किये गये कार्य	
				संख्या	व्यय	संख्या	व्यय	संख्या	व्यय
2007-08	02	3.85	4.14	–	–	02	3.54	–	–
2008-09	15	6.81	3.63	07	0.01	03	0.20	05	2.44
2009-10	01	1.72	1.40	–	–	–	–	01	1.87
2010-11	03	4.60	3.86	–	–	03	1.64	–	–
2011-12	06	1.39	1.39	–	–	01	0.21	05	0.98
2012-13	11	13.17	13.47	01	–	10	3.47	–	–
2013-14	06	7.96	8.19	02	–	04	1.40	–	–
कुल योग	**44**	**39.50**	**36.08**	**10**	**0.01**	**23**	**10.46**	**11**	**5.29**

स्रोत: परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

कार्य आदेश जारी किये गये 44 कार्यों में से केवल 11 कार्य (25 प्रतिशत) ₹ 5.29 करोड़ के व्यय के साथ पूर्ण हुए थे, जबकि 10 कार्य निविदाओं को अन्तिम रूप न देने, भूमि विवाद या कार्यादेश देरी से जारी करने के कारण प्रारम्भ नहीं हुए और 23 कार्य ₹ 10.46 करोड़ रूपये खर्च होने के बाद अभी तक प्रगति पर थे। यह कार्यों की धीमी प्रगति को दर्शाता है। इन कार्यों की संशोधित स्वीकृति या इनके अन्तिम भुगतान तक, लागत में हुयी वृद्धि को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

परिषद ने बताया (जुलाई 2014) कि विभाग द्वारा धन उपलब्ध न करवाये जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्यकारी एजेंसी द्वारा सभी 89 कार्यों हेतु जारी की गई राशि ₹ 55.41 करोड़ में से केवल ₹ 29.89 करोड़ ही खर्च किये। साथ ही, नोडल एजेंसी होने के कारण परिषद को कार्यों के पूरा कराये जाने पर निगरानी रखनी चाहिये थी।

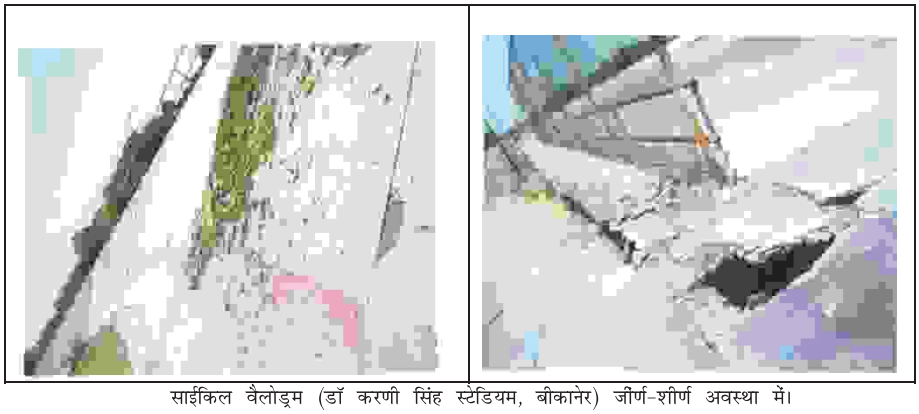
(iii) निधियों का अवरूद्ध रहना

बजट 2012-13 में जोधपुर के गौशाला खेल परिसर में ₹ पांच करोड़ की लागत के सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण की घोषणा की गई थी। इस कार्य हेतु वर्ष 2012-13 में ₹ तीन करोड़ का प्रावधान किया गया। विभाग ने परिषद को 30 जून 2013 तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये (मई 2012)। राज्य सरकार ने परिषद के निजी निक्षेप खाते में ₹ तीन करोड़ हस्तान्तरित कर दिये (दिसम्बर 2012), जिसे आगे कार्यकारी एजेन्सी जोधपुर विकास प्राधिकरण को अप्रैल 2013 में हस्तान्तरित किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 अप्रैल 2013 को निविदाऐं आमंत्रित की गई। तकनीकी बोली 17 मई 2013 को खोली गई, परन्तु निविदाओं की स्वीकृति और कार्य आदेश जारी करने के 90 दिनों की वैधता अवधि के भीतर मूल्यांकन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप बोलियां व्यपगत हो गई जिससे जोधपुर विकास प्राधिकरण को निविदा प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा। फरवरी 2014 में पुन: निविदाऐं आमंत्रित की गयी जिन्हें अक्टूबर 2014 तक भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया। इस प्रकार, निविदा को अन्तिम रूप देने में अनुचित ढील से जोधपुर विकास प्राधिकरण के पास ₹ तीन करोड़, अप्रैल 2013 से अवरूद्ध पड़े रहे जिससे सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू नही किया जा सका। इस प्रकार काम की लागत में वृद्धि की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि निविदा को अन्तिम रूप देने सम्बन्धित कार्यवाही जोधपुर विकास प्राधिकरण के पास प्रगति में हैं और देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ की जानी है। जोधपुर विकास प्राधिकरण से भी समय पर बोलियों का मूल्याकंन नहीं करने का कारण पूछा गया (सितम्बर 2014) जिसका उत्तर अपेक्षित रहा।

(iv) वैलोड्रम के निर्माण का अभाव

वर्ष 1980 में करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में एक साईकिल वैलोड्रम का निर्माण किया गया था। वैलोड्रम उचित रख-रखाव और मरम्मत के अभाव में जीर्ण-क्षीर्ण हो गया और साईकिल चालकों हेतु अनुपयोगी रहा।



साईकिल वैलोड्रम (डॉ करणी सिंह स्टेडियम, बीकानेर) जीर्ण-शीर्ण अवस्था में।

युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से एक नये वैलोड्रम के निर्माण के लिए राशि ₹ एक करोड़ के अनुदान की स्वीकृति दी गई (जुलाई 2008)। परिषद, जिसे स्थान के चयन का कार्य सौंपा गया था, ने एक नये वैलोड्रम के बजाय मौजूदा वैलोड्रम की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग (सानिवि) द्वारा कराने की सिफारिश की (अप्रैल 2009)। प्रक्रिया में विलम्ब के कारण जिला खेल परिषद, बीकानेर को राशि, 5 वर्ष से अधिक देरी से मई 2014 को जारी की गई जबकि कार्य अभी शुरू होना है। परिणामस्वरूप वैलोड्रम की मरम्मत नहीं हुई और साईकिल चालक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु अभ्यास से वंचित रहे।

तथ्यों को स्वीकार करते हुये परिषद ने बताया (जुलाई 2014) कि जिला खेल परिषद, बीकानेर को ₹ 0.50 करोड़ जारी (मई 2014) कर दिये गये हैं, और यह भी कि जयपुर स्थित वैलोड्रम पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए साईकिल चालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तथापि, जिला खेल अधिकारी, बीकानेर ने सूचित किया (जून 2014) कि साईकिल वैलोड्रम के अभाव में खिलाडियों को पिछले 7 वर्षो से राष्ट्रीय राजमार्ग बीकानेर पर अभ्यास के लिए विवश होना पड़ रहा है।

इस प्रकार ढुल-मुल निर्णय की वजह से परिषद, जिला क्रीड़ा परिषद, बीकानेर और विभाग ने ना तो मौजूदा साईकिल वैलोड्रम की मरम्मत करवायी गई और ना ही स्वीकृति के छः वर्ष बाद भी नये वैलोड्रम का कार्य आरम्भ किया (सितम्बर 2014)। वैलोड्रम खराब स्थिति में बना रहा और साईकिल चालक सुविधा का लाभ उठाने से वंचित रहे।

परिषद ने आगे बताया (सितम्बर 2014) कि अध्यक्ष, जिला क्रीड़ा परिषद, बीकानेर (जिलाधीश) ने सूचित किया (जून 2014) कि ₹ 5.88 करोड़ की लागत से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का वैलोड्रम का निर्माण किया जायेगा जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जानी है। राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है (नवम्बर 2014)।

(v) कार्य निष्पादन का अभाव

शासन उपसचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा बजट घोषणा 2011-12 की अनुपालना में लोहागढ़ स्टेडियम, भरतपुर में कुश्ती हॉल का निर्माण और चारदीवारी एवं संपर्क सड़क के नवीनीकरण के लिये राशि ₹ 1.99 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई (जून 2013)। कार्य सानिवि द्वारा किया जाना था। कार्य के सामान्य सार के अनुसार 50×20 वर्गमीटर माप के कुश्ती हॉल के साथ-साथ एक चारदीवारी (₹ 0.07 करोड़) और सम्पर्क सड़क (₹ 0.34 करोड़) का निर्माण किया जाना था। बाद में जिलाधीश, भरतपुर के निर्देश पर कुश्ती हॉल की माप बढ़ाकर 50×30 वर्गमीटर कर दी गई। इस अतिरिक्त कार्य (₹ 0.32 करोड़) के कारण चारदीवारी एवं सम्पर्क सड़क से सम्बन्धित कार्य, सानिवि द्वारा छोड़ दिया गया। अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति अभी तक अपेक्षित थी (जून 2014)।

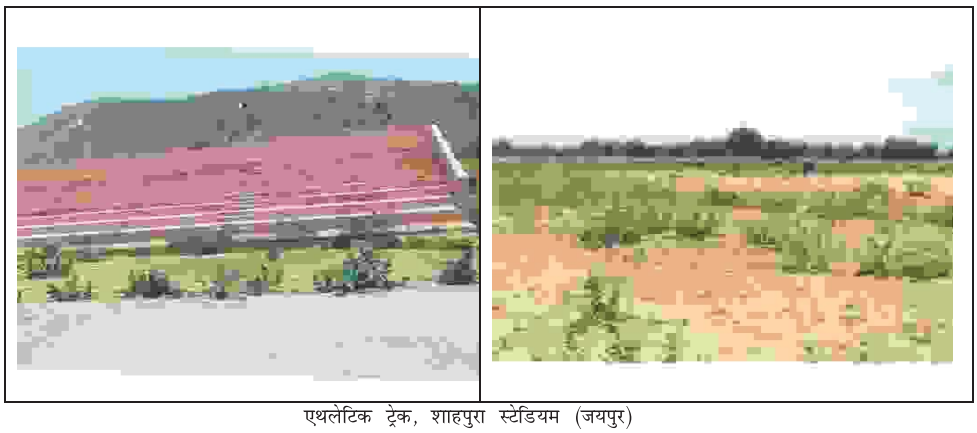
अधिशाषी अभियंता, सानिवि, भरतपुर ने बताया (जून 2014) कि अतिरिक्त कार्य के निष्पादन की वजह से कोई राशि नहीं बची। अत: चारदीवारी एवं सम्पर्क सड़क, नवीनीकरण का कार्य नहीं कराया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चारदीवारी व सम्पर्क सड़क के अभाव में, निर्मित कुश्ती हॉल के समुचित उपयोग एवं सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2014) कि विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति सीधे ही सानिवि को जारी की गई थी, इसलिए यह मामला विभाग एवं सानिवि के मध्य का है। यह परिषद, विभाग और सानिवि के बीच समन्वय और सम्पर्क की कमी को दर्शाता है। चारदीवारी और सम्पर्क सड़क के निर्माण को छोड़ने के निर्णय की समीक्षा की भी आवश्यकता है।

(vi) एथलेटिक ट्रैक और बैठक कतार के निर्माण पर निष्फल व्यय

शाहपुरा स्टेडियम में 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक और बैठक कतार के निर्माण हेतु मुख्य अभियंता, सानिवि, जयपुर के पक्ष में युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा ₹ 40 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान (नवम्बर 2011) की गयी। कार्य 31 मार्च 2012 तक पूर्ण किया जाना था, जिसे मार्च 2013 में पूर्ण किया गया। कार्य पूर्ण होने के बाद इसे कार्यकारी एजेन्सी द्वारा, जिला खेल अधिकारी को हस्तान्तरण करने में लगभग एक वर्ष लगा (फरवरी 2014)।

लेखापरीक्षा दल द्वारा स्थल निरीक्षण (20 जून 2014) में प्रकट हुआ कि स्टेडियम में कोई प्रशिक्षक नियुक्त नहीं किया गया था (अक्टूबर 2014) और ट्रैक पर झाड़ और झाड़ियां उग आयी थीं और उस पर घरेलू जानवर चर रहे थे इसलिये निर्मित सुविधा का संधारण नहीं किया जा रहा था जैसा कि नीचे चित्र में दिखायी देता है:



एथलेटिक ट्रेक, शाहपुरा स्टेडियम (जयपुर)

इस प्रकार, शाहपुरा स्टेडियम में एथलेटिक ट्रेक और बैठक कतार के निर्माण पर व्यय ₹ 40 लाख अलाभकारी रहा।

अधिशाषी अभियंता, सानिवि, शाहपुरा ने बताया (जून 2014) कि परिषद द्वारा जिलाधीश, जयपुर से लिखित अनुमति चाहने के कारण ट्रेक को सौंपने में देरी

हुई। उत्तर तर्क संगत नहीं था, क्योंकि जिलाधीश से अनुमति प्राप्त करने में 11 महीने की देरी न्यायोचित नहीं थी।

परिषद ने बताया (सितम्बर 2014) कि ट्रैक को साफ करा दिया गया है और सम्बन्धित अधिकारियों को सुविधा को उपयोग में लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किये जा चुके हैं (सितम्बर 2014)।

3.4.3.3 शहरी खेल अवसंरचना योजना (यूएसआईएस)

यूएसआईएस, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में शहरी क्रीड़ा अवसंरचना को समर्थन करने हेतु एक व्यापक योजना के रूप में, प्रारम्भ की गई थी। प्रारंभ में योजना 'खेल परिस्थितिकी प्रणाली' को समग्र रूप से संबोधित करने यथा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, कोचिंग और आधारभूत सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से प्रायोगिक आधार पर दो वर्ष के लिए (2010-12) शुरू की गई थी। योजना में सामुदायिक क्रीड़ा मैदानों का विकास, कोचिंग तथा कोच विकास कार्यक्रम एवं खिलाड़ियों हेतु अकादमियों के विकास की परिकल्पना की गई थी। इसमें अन्य बातों के साथ, प्रत्येक राज्य में, वर्ष में एक परियोजना के विकास पर अधिकतम ₹ छः करोड़ की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया। शेष लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

वर्ष 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर यूएसआईएस के अन्तर्गत जोधपुर, करौली एवं अलवर में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल के निर्माण के तीन कार्य स्वीकृत किये गये। स्वीकृत राशि ₹ 18 करोड़ के समक्ष दो कार्यों पर ₹ 5.88 करोड़ खर्च किये गये (मई 2014)। एक कार्य शुरू नहीं किया गया (जून 2014)। इन कार्यों की विस्तृत स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	वर्ष	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	किया गया व्यय	कार्यकारी एजेन्सी	कार्यों की स्थिति
1	जोधपुर में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल का निर्माण	2011-12	6.00	4.50	5.23	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम।	कार्य प्रगति पर है।
2	करौली में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल का निर्माण	2012-13	6.00	1.80	0.65	राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।	कार्य प्रगति पर है।
3	अलवर में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल का निर्माण	2012-13	6.00	1.00	–	सार्वजनिक निर्माण विभाग।	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ क्योंकि निष्पादन एजेन्सी के अन्तिमीकरण में देरी हुई फलस्वरूप ₹ एक करोड़ अवरूद्ध रहे।
योग			**18.00**	**7.30**	**5.88**		

स्रोत: परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

इन कार्यों में निम्न विसंगतियां पाई गयी:

कार्य निष्पादन की धीमी गति

यूएसआईएस के अन्तर्गत करौली जिले में बहुउद्देशीय इन्डोर हॉल के निर्माण हेतु परिषद ने भारत सरकार को ₹ 6.51 करोड़ का प्रस्ताव भेजा (सितम्बर 2011)। भारत सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना व समय सारणी तथा निष्पादन एजेंसी का पुष्टिकरण मांगा (अप्रेल 2012)। परिषद ने निष्पादन एजेंसी के रूप में राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा कार्य पूर्ण का समय दो वर्ष सूचित किया (मई 2012)। ₹ 6 करोड़ की स्वीकृत अनुदान के ऊपर उल्लेखित खर्च ₹ 0.51 करोड़ को नगर परिषद करौली ने वहन करने की सहमति दी (मई 2012)। तद्नुसार, भारत सरकार ने ₹ 6 करोड़ का अनुदान स्वीकृत कर (अक्टूबर 2012) ₹ 1.80 करोड़ की प्रथम किश्त जारी की। अगली किश्त व्यय और उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ प्रगति प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने के पश्चात जारी की जानी थी।

अभिलेखों की समीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि परिषद ने ₹ एक करोड़ (नवम्बर 2012) और ₹ 0.80 करोड़ (अप्रेल 2014) राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. को हस्तान्तरित किये। राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कार्यादेश फरवरी 2013 में जारी किया। कार्य पूर्ण होने की निर्धारित दिनांक 20 फरवरी 2014 थी तथापि, मई 2014 तक केवल ₹ 0.65 करोड़ ही खर्च किये गये। इस प्रकार कार्य की धीमी गति के परिणामस्वरूप शेष ₹ 4.20 करोड़ की राशि जारी नहीं हो पायी।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि निष्पादन एजेन्सी को कार्य पूरा करने के लिये कह दिया गया है।

3.4.3.4 पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए), लड़कों और लड़कियों में सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण आबादी में उपलब्ध तथा संभावित खेल प्रतिभाओं के दोहन पंचायत स्तर पर आधारभूत खेल अवसंरचना और उपकरण प्रदान करने के उद्देश्य से, प्रारम्भ (मई 2008) किया गया था। देश में वर्ष 2016-17 तक 9 वर्ष की अवधि में सभी ग्राम पंचायतों एवं ब्लॉक पंचायतों को कार्यक्रम में शामिल करने का उद्देश्य था। पीवाईकेकेए के अन्तर्गत 4600 (राष्ट्रीय औसत) की न्यूनतम जनसंख्या वाली ग्राम

पंचायतें अनुदान हेतु पात्र थी। बहुत छोटी पंचायतों के मामले में इसे सामूहिक दृष्टिकोण अपनाते हुये दो से तीन पंचायतों को समेकित कर अपनाना था। पीवाईकेकेए के अन्तर्गत एकमुश्त पूंजी अनुदान, भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 75:25 के अनुपात में खेल सुविधाओं के विकास के लिए ग्राम पंचायतों के लिए ₹ एक लाख और ब्लॉक पंचायतों के लिए ₹ पाँच लाख स्वीकृत किया गया।

राज्य में अप्रेल 2014 में 9177 ग्राम पंचायतें और 248 ब्लॉक पंचायतें थी।

वर्ष 2008-09 से 2013-14 के दौरान ग्राम/ब्लॉक पंचायतों के वर्ष-वार चयन और उसके समक्ष उपलब्धियाँ निम्न प्रकार थी:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शामिल की जाने वाली पंचायतों का प्रतिशत	पंचायतों की संख्या जिनका चयन किया जाना था। (10 प्रतिशत 2008-09 से 2011-12 तक तथा 12 प्रतिशत 2012-13 से 2013-14 तक)		चयनित पंचायतों की वास्तविक संख्या		कमी		भारत सरकार की ओर से देय राशि (ग्राम पंचायत: 0.75 लाख ब्लाक पंचायत: 3.75 लाख)	भारत सरकार से प्राप्त राशि	कम/ अप्राप्त अनुदान
		ग्राम पंचायत	ब्लाक पंचायत	ग्राम पंचायत	ब्लाक पंचायत	ग्राम पंचायत	ब्लाक पंचायत			
2008-09	10	869	24	869	24	–	–	7.42	7.42	–
2009-10	10	917	25	917	25	–	–	7.82	2.75	5.07
योग		**1786**	**49**	**1786**	**49**			**15.24**	**10.17**	**5.07**
2010-11	10	917	25	–	–	917	25	7.82	–	7.82
2011-12	10	917	25	–	–	917	25	7.82	–	7.82
2012-13	12	1101	30	–	–	1101	30	9.38	–	9.38
2013-14	12	1101	30	–	–	1101	30	9.38	–	9.38
योग		**4036**	**110**	–	–	**4036**	**110**	**34.40**	–	**34.40**

स्रोत: परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपरोक्त तालिका की जाँच से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

(i) उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण कम अनुदान प्राप्त होना

पीवाईकेकेए के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 10 प्रतिशत ग्राम पंचायतों और ब्लॉक पंचायतों का चयन किया जाना था। वर्ष 2009-10 के लिए, 917 ग्राम पंचायतों और 25 ब्लॉक पंचायतों के लिए ₹ 7.82 करोड़ स्वीकृत राशि के समक्ष भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में ₹ 2.75 करोड़ जारी किये गये। स्वीकृति की शर्तो के अनुसार,

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना था। तथापि, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने वर्ष 2008-09 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने वर्ष 2009-10 का शेष अनुदान ₹ 5.07 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा समतुल्य राज्यांश ₹ 1.69 करोड़[50] जारी नहीं किया।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र सितम्बर 2014 में भेज दिया गया है। तथापि, उपयोगिता प्रमाण-पत्र का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ii) पंचायतों को शामिल नहीं करने के कारण भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होना।

पीवाईकेकेए के दिशा निर्देशों के अनुसार, पंचायत स्तर पर आधारभूत क्रीड़ा अवसंरचना और उपकरण उपलब्ध कराये जाने थे। तद्नुसार, वर्ष 2008-09 से 2013-14 के दौरान, इसमें 5,822 ग्राम पंचायतें एवं 159 ब्लॉक पंचायतें शामिल की जानी थी। तथापि, वर्ष 2008-09 से 2009-10 के दौरान केवल 1,786 ग्राम पंचायतें एवं 49 ब्लॉक पंचायतें ही शामिल की गई और इसके बाद कोई शामिल नहीं की गई। इस प्रकार, 4,036 ग्राम पंचायतों (69 प्रतिशत) और 110 ब्लॉक पंचायतों (69 प्रतिशत) को शामिल करने की कमी पाई गयी। परिणामस्रूप, केन्द्रीय अनुदान ₹ 34.40 करोड़ प्राप्त नहीं हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि भारत सरकार को वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए अनुदान स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे गये थे, लेकिन उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के कारण अनुदान जारी नहीं किया गया। यद्यपि, इस तरह के प्रस्तावों का ब्यौरा नहीं दिया गया।

(iii) अवितरित/अप्रयुक्त अनुदान को वापस नहीं लौटाया जाना

पीवाईकेकेए के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुदान स्वीकृति की शर्त संख्या 4(1) के अनुसार, अनुदान राशि जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत की गई उसी पर खर्च की जानी थी और अप्रयुक्त अनुदान, यदि कोई हो तो परियोजना के पूरा होने के बाद शीघ्र लौटाई जानी थी।

[50] केन्द्र एवं राज्य द्वारा निधियाँ 75:25 के अनुपात में जारी की जानी थी। इसलिये कम प्राप्त केन्द्रीय अनुदान ₹ 5.07 करोड़ के विरूद्ध राज्य का योगदान 5.07÷75×25= ₹ 1.69 करोड़ आता है।

पीवाईकेकेए के अन्तर्गत अनुदान प्राप्ति और उपयोग की स्थिति निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ों में)

वर्ष	प्राप्त अनुदान			किया गया खर्च (जिला परिषदों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र)	जिला परिषदों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने बकाया।	परिषद द्वारा अव्ययित शेष राशि जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार को वापस नहीं लौटाई गई। (4-(5+6))
	भारत सरकार	राज्य सरकार	योग			
1	2	3	4	5	6	7
2008-09	7.42	2.47	9.89	8.62	0.06	1.21
2009-10	2.75	0.91	3.66	2.32	0.49	0.85*
योग	**10.17**	**3.38**	**13.55**	**10.94**	**0.55**	**2.06**

*जारी नहीं की राशि ₹ 0.36 करोड़ सहित

उपरोक्त तालिका में यह प्रकट होता है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने ₹ 2.06 करोड़ की शेष राशि सरकार को नहीं लौटायी। तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि अब वापसी योग्य राशि सहित, असमायोजित सम्पूर्ण राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेज दिये गये हैं (सितम्बर 2014)।

3.4.3.5 राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा वित्तीय प्रबन्धन

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, खेलों के आधारभूत ढांचे के विकास की नोडल संस्था होने के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार से सभी प्रकार की सहायता अनुदान प्राप्त करती हैं। राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते मे जमा की जाती हैं। पीवाईकेकेए एवं यूएसआईएस के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद सीधे ही अपने बचत बैंक खातों[51] में प्राप्त करती है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद अन्य विविध लेन-देन (फीस, किराया इत्यादि प्राप्तियों तथा प्रशासनिक व्यय के भुगतान) के लिए अलग से एक बैंक खाता[52] संधारित कर रही है। तथापि, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा सहायता अनुदान की वर्ष-वार प्राप्ति और प्रत्येक अनुदान के समक्ष किये गए व्यय का विवरण, अनुरोध किये जाने (अप्रैल 2014-जुलाई 2014) के बावजूद, उपलब्ध नहीं कराया गया।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 5 और 48(v) प्राधिकृत करते हैं कि सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त सभी राशियाँ बैंक खाते में प्रेषित की जायेगी।

[51] एस.बी.बी.जे. तिलक मार्ग सी.स्कीम, जयपुर बचत बैंक खाता संख्या 61065782759

[52] यूको बैंक गांधी सर्किल, जयपुर चालू खाता संख्या 13850200000027 और एस.बी.बी.जे. बापूनगर, जयपुर खाता संख्या 51015730237

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के अभिलेखों की जॉच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 दौरान निविदा शुल्क, स्टेडियम किराया, तरणताल से आय एवं विविध तथा अन्य प्राप्तियों से आय की ₹ 14.49 लाख से ₹ 46.59 लाख के बीच की राशियों को परिषद के बैंक खाते में जमा न करा कर नकदी के रूप में रखी गयी। नकद राशि का सीधे ही खरीद व्यय, अग्रिम भुगतान, यात्रा भत्ता, बैठकों, शिविरों के आयोजन इत्यादि के भुगतान में उपयोग किया गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

(₹ लाख में)

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	किया गया व्यय	अन्तिम शेष
2008-09	1.50	22.29	21.95	1.84
2009-10	1.84	41.29	39.26	3.87
2010-11	3.87	14.49	16.72	1.64
2011-12	1.64	20.51	18.90	3.25
2012-13	3.25	46.59	41.31	8.53
योग		**145.17**	**138.14**	

स्रोत: परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2014) कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, खेल मैदानों के आकस्मिक रख-रखाव और बिजली के अत्यधिक बिलों की प्रत्याशा के लिए नकद शेष राशि रखी जाती हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि इस तरह के भुगतान चैक/ऑन लाईन के माध्यम से किये जा सकते हैं।

भारी नकद शेष रखना और बिना बैंक में जमा कराये इसका उपयोग करना, उपरोक्त नियमों का उल्लंघन था। नकद का आकस्मिक भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया। रोकड़िये द्वारा फिडिलिटी गारंटी पॉलिसी के भरने से संबन्धित सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी (सितम्बर 2014)। इन जॉचों के अभाव में अनधिकृत उद्देश्यों के लिये धन का उपयोग और गलत प्रबन्धन/घटन के कारण नुकसान होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

3.4.3.6 निष्कर्ष

लेखा परीक्षा जांच में राज्य में उपलब्ध कराई गई खेल अवसंरचना में व्यापक खामियाँ पायी गयीं। राज्य क्रीड़ा परिषद और जिला क्रीड़ा परिषदों का गठन 2004 से नहीं किया गया, जिसके अभाव में खेल सुविधा की आवश्यकता के आंकलन के लिए एवं जिला और राज्य स्तर पर खेलों के समग्र विकास के लिए, जन प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, खिलाड़ियों, महिला सदस्यों इत्यादि का परामर्श प्राप्त नहीं किया जा सका।

खेलों के बुनियादी ढ़ांचे के उन्नयन/निर्माण में धीमी प्रगति रही। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद एवं युवा मामले एवं खेल विभाग कार्यकारी एजेन्सियों को कार्य आवंटन किये गये भौतिक और वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण नहीं कर रहे थे और इस तरह योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्धियाँ कुल मिलाकर नगण्य रहीं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, योजनाओं के लिये वर्ष वार बजट आवंटन और उसके समक्ष किये गये व्यय का ब्यौरा रखने में असफल रहा। इस प्रकार धन राशि की प्राप्ति और इसका व्यय के साथ मिलान करना सम्भव नहीं था। बड़ी मात्रा में नकद प्राप्तियों को बैंक खाते में जमा नहीं किया गया।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.4.4 सरकारी देयताओं की वसूली का अभाव

कम निःशुल्क जाँच प्रकरणों पर अनुज्ञप्तिधारी से ₹ 85.30 लाख की वसूली न करना एवं अदेय मौद्रिक लाभ पहुँचाना।

सदस्य सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी (आरएमआरएस) व चिकित्सा अधीक्षक, सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल, जयपुर ने एसएमएस अस्पताल में कैंसर रोगियों की जांच हेतु 'लीनियर एक्सेलरेटर मशीन' की स्थापना एवं संचालन करने के लिए मैसर्स इमेजिंग सुपर कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड (अनुज्ञप्तिधारी), जयपुर से एक अनुबंध निष्पादित किया (जुलाई 2007)। अनुबंध की अवधि, सुविधा की चालू होने/संचालन की तिथि (28 अप्रैल 2009) से 10 वर्ष थी। अनुबंध के वाक्यांश 7 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी प्रति माह एकत्रित कुल राजस्व का 21.21 प्रतिशत हिस्सा आरएमआरएस को भुगतान करेगा। साथ ही वाक्यांश 8 अनुज्ञप्तिधारी को पाबंद करता है कि वह अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट (भेजे गये) प्रकरणों में से 20 प्रतिशत प्रकरणों की निःशुल्क जाँच करेगा। यदि निःशुल्क प्रकरणों की संख्या 20 प्रतिशत से अधिक रहती है तो आरएमआरएस अधिक प्रकरणों का भुगतान करेगा और यदि यह संख्या 20 प्रतिशत से कम रहती है तो अनुज्ञप्तिधारी इस कमी के लिए प्रत्येक छह माह में आरएमआरएस को धनराशि वापस करेगा। अनुबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सरकार को देय राशि का निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने की स्थिति में ब्याज लगाने सम्बन्धी कोई वाक्यांश शामिल नहीं किया गया।

एसएमएस अस्पताल, जयपुर के अभिलेखों के नमूना जाँच (जनवरी-फरवरी 2014) में प्रकट हुआ कि अनुज्ञप्तिधारी ने 2009-10 और 2012-13 के मध्य अस्पताल

प्राधिकारियों द्वारा आठ जाँचों[53] के लिए, 5457 सन्दर्भित प्रकरणों की जाँच की, जिनमें से अनुज्ञप्तिधारी को केवल 666 नि:शुल्क प्रकरण ही निर्दिष्ट थे। यह अनिवार्य 20 प्रतिशत (1091 प्रकरणों) नि:शुल्क जाँच से 425 प्रकरण कम थे। अनुज्ञप्तिधारी ने 4791 जाँच (5457-666) से संग्रहित राजस्व ₹ 8.63 करोड़ में से आरएमआरएस को ₹ 1.83 करोड़ (21.21 प्रतिशत) की राशि का भुगतान किया, परन्तु उसने अनुबन्ध के वाक्यांश 8 के अनुसार, निम्न 425 कम किये गये नि:शुल्क जांच प्रकरणों की, निर्धारित दर के हिसाब से राशि ₹ 90.30 लाख का भुगतान आरएमआरएस को नहीं किया:

(₹ लाख में)

वर्ष	जांचें[54] जिनमें नि:शुल्क प्रकरणों की संख्या कम रही				
	की गई कुल जांचें	कॉलम 2 की अनिवार्य 20 प्रतिशत जांचें	नि:शुल्क प्रकरणों की वास्तविक संख्या	निर्धारित नि:शुल्क प्रकरणों से कम संख्या	प्रत्येक जांच हेतु निर्धारित दर पर आरएमआरएस द्वारा वसूलनीय राशि
1	2	3	4	5	6
2009-10	956	190	63	127	25.80
2010-11	1125	225	112	113	21.92
2011-12	1474	295	179	116	24.73
2012-13	1902	381	312	69	17.85
कुल	**5457**	**1091**	**666**	**425**	**90.30**

लेखापरीक्षा द्वारा एसएमएस अस्पताल, जयपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक (मई 2011) में यह निर्णय लिया था कि यदि अनुज्ञप्तिधारी बकाया राशि जमा नहीं कराता है तो उसे निर्देशित किया जाये कि वह सभी की गई जांचों/प्रक्रियाओं की राशि आरएमआरएस को जमा कराए तथा आरएमआरएस अपना हिस्सा काटकर बाकी राशि अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान करें। तीन वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी इस निर्णय पर कोई कार्यवाही नहीं की गई परिणामस्वरूप ₹ 90.30 लाख की वसूली नहीं हुई।

53 (i) बिना जटिल योजना के साधारण उप शामक जाँच; (ii) जटिल उपशामक जाँच; (iii) रोगनिवारण इरादे से साधारण गैर-उपशामक रेडियोथेरेपी का पूर्ण कोर्स; (iv) रोगनिवारक इरादे से जटिल गैर-उपशामक रेडियोथेरेपी का पूर्ण कोर्स; (v) रोगनिवारण इलेक्ट्रान थेरेपी (vi) 3 DTPS पर पूर्ण जाँच आयोजन; (vii) 3 D सदृश्य रेडियोथेरेपी तथा (viii) तीव्रता अधिमिश्रित विकरण थेरेपी (आईएमआरटी)।

54 (i) बिना जटिल योजना के साधारण उपशामक जाँच: ₹ 5,000/- (ii) जटिल उपशामक जाँच: ₹ 7,500/- (iii) रोगनिवारण इरादे से साधारण गैर-उपशामक रेडियोथेरेपी का पूर्ण कोर्स: ₹ 15,000/- (iv) रोगनिवारक इरादे से जटिल गैर-उपशामक रेडियोथेरेपी का पूर्ण कोर्स: ₹ 22,500/- (v) रोगनिवारक इलेक्ट्रान थेरेपी: ₹ 15,000/- (vi) 3 DTPS पर पूर्ण जाँच आयोजन: ₹ 5,000/- (vii) 3 D सदृश्य रेडियोथेरेपी: ₹ 25,000/- तथा (viii) आईएमआरटी: ₹ 1,00,000/-

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2014) कि अनुज्ञप्तिधारी ने केवल ₹ 19.15 लाख (₹ 90.30 लाख का 21.21 प्रतिशत) की राशि को वसूलनीय माना है तथा ₹ 5 लाख आपत्ति के साथ जमा करवाये (अप्रैल 2014) हैं। जवाब सही नहीं है क्योंकि अनुबंध के वाक्यांश 8 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि अस्पताल द्वारा निर्दिष्ट नि:शुल्क प्रकरणों के 20 प्रतिशत से कम रहने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी कम रहे प्रकरणों की राशि प्रत्येक छह माह में आरएमआरएस को भुगतान करेगा। तथ्य यह रहा कि अनुज्ञप्तिधारी से शेष राशि ₹ 85.30 लाख आज तक अप्राप्त रहे (अगस्त 2014)।

इस प्रकार, अस्पताल प्राधिकारी एक से चार वर्ष व्यतीत होने पर भी निर्धारित नि:शुल्क प्रकरणों से कम जाँच के लिए अनुज्ञप्तिधारी से ₹ 85.30 लाख वसूलने में असफल रहे फलस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी को अदेय मौद्रिक लाभ पहुँचाया गया। इसके अतिरिक्त, अनुबंध में ब्याज वसूलने के प्रावधान के अभाव में सरकार विलम्बित भुगतान पर ब्याज नहीं लगा सकी।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

3.4.5 निधियों के अवरोधन से ब्याज की हानि

33 केवी डेडीकेटेड पावर फीडर लाईन के निष्पादन नहीं होने से ₹ 17.57 करोड़ की निधियां लगभग तीन वर्षो के लिए अवरूद्ध रही तथा उस पर ₹ 1.99 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल की नीति निर्धारण समिति ने 5 कस्बों एवं 502 गांवों की जनता को लाभ पहुँचाने हेतु नागौर लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (₹ 761.01 करोड़) जारी की (अगस्त 2006)। तकनीकी स्वीकृति ₹ 630.72 करोड़ की जारी की गई थी (अगस्त 2006)। परियोजना को सात पैकेजो[55] में विभाजित किया गया। प्रत्येक को बजट की उपलब्धता के अनुसार लिया जाना था।

55 पैकेज 1: इनलेट सम्प, पंप हाऊस फिल्टर प्लाण्ट, हेडवर्क आदि (₹ 272 करोड़); पैकेज 2: 171 गांव एवं 2 कस्बे नागौर तथा बासनी गांव के आवरक समूह विस्तार (₹ 81.56 करोड़); पैकेज 3: समूह वितरण तंत्र, पम्प हाऊसेज, स्वच्छ जलाशय, उच्च जलाशय, 33 केवी स्वीच यार्ड एवं गांव में वितरण तंत्र का निर्माण, पूर्ण प्रणाली का संचालन तथा संधारण आदि (₹ 122.13 करोड़), पैकेज 4: मेड़ता सिटी कस्बा एवं 188 गांवों का आवरक समूह विस्तार (₹ 105.76 करोड़); पैकेज 5: नागौर, मुण्डवा, कुचेरा, बासनी एवं मेड़ता सिटी में मौजूदा वितरण प्रणाली का उन्नयन एवं मजबूतीकरण का प्रावधान (₹ 5 करोड़); पैकेज 6: 502 गांवो के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का प्रावधान (₹ 5.02 करोड़); पैकेज 7: विविध मदों के लिए प्रावधान जैसे: निक्षेप निर्माण, सिंचाई विभाग द्वारा नहरों का निर्माण, रेलवे क्रासिंग, भूमि अधिग्रहण आदि (₹ 39.25 करोड़)।

अधिशाषी अभियन्ता (अअ), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नागौर लिफ्ट परियोजना खण्ड-I, नागौर के अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी 2013) एवं एकत्रित की गई अतिरिक्त सूचनाओं (दिसम्बर 2013) से प्रकट हुआ कि जबकि पैकेज-I के अन्तर्गत सिविल कार्य[56] पूर्ण किये जा चुके थे (जनवरी 2012), पैकेज 2,3 एवं 4 के अंतर्गत कार्य प्रगति पर थे, पैकेज 5 और 6 के अंतर्गत कार्य अभी किए जाने थे, पैकेज 7 के कार्य निक्षेप निर्माण[57] के रूप में कराए जाने प्रस्तावित थे। परियोजना की स्वीकृति में 132 केवी/33 केवी पावर फीडर सिस्टम एवं पैकेज 1,2,3 एवं 4 के अंतर्गत 33 केवी पॉवर फीडर लाईन का निर्माण शामिल था। ये कार्य पैकेज 1 के लिए पूर्ण कर लिये गये थे, पैकेज 2 तथा 3 के लिये प्रगति पर थे एवं पैकेज 4 के लिए अभी आवंटित नहीं किये थे।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि:

- पैकेज 3 के अंतर्गत, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नागौर ने 33 केवी डेडीकेटेड पॉवर फीडर लाईनो के बिछाने के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निवेदन किया (जून 2011)। निवेदन स्वीकार करते हुऐ अधिशाषी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने ₹ 27.95 करोड़ (पैकेज 02: ₹ 10.38 करोड़ तथा पैकेज 3: ₹ 17.57 करोड़) का समेकित मांग पत्र जारी किया (जून 2011) । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नागौर लिफ्ट परियोजना खण्ड-प्रथम द्वारा संधारित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम[58] के बचत खाते से राशि का भुगतान किया गया था (जून 2011) ।

- इस पैकेज का सिविल कार्य, पूर्ण करने की तिथि 14 जुलाई 2015 निर्धारित करते हुये, जुलाई 2012 में मै. एसपीएमएल इन्फ्रा. लिमिटेड़, गुड़गांव को आवंटित किया गया, यद्यपि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अग्रिम भुगतान जून 2011 में अर्थात उपर्युक्त कार्य आवंटन के एक वर्ष पूर्व ही कर लिया गया था।

- अधिशाषी अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने पुष्टि की (मई 2014) कि बिजली फीडर लाईन बिछाने का कार्य अप्रैल 2014 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था।

56 सिविल कार्यो (विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य) में समूह वितरण तंत्र, पंप हाऊस, स्वच्छ जलाशय, उच्च जलाशय, पाईप लाईन बिछाना एवं जोड़ने आदि का निर्माण शामिल था।

57 निक्षेप निर्माण वे कार्य हैं जो अग्रिम लागत जमा करवाने पर अन्य अभिकरणों द्वारा निष्पादन कराए जाते हैं।

58 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्मुक्त निधियां क्रियान्वयन अभिकरण के बचत बैंक खाते में रखी जाती हैं तथा बचत पर अर्जित ब्याज दिशा-निर्देशों में अनुमत्य मदों पर खर्च किया जाता है।

इस प्रकार विभाग द्वारा, संबंधित सिविल कार्य आवंटन से पूर्व ही अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 17.57 करोड़ के प्रेषण का, अविवेकपूर्ण निर्णय एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 33 केवी डेडीकेटेड पॉवर फीडर लाईन का निष्पादन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 17.57 करोड़ लगभग तीन वर्षो के लिए अवरूद्ध रही तथा इस पेटे ₹ 1.99 करोड़[59] के अनुवर्ती ब्याज की हानि हुई। देरी के परिणामस्वरूप जल के समूह वितरण तंत्र, पम्प हाऊसों, स्वच्छ जलाशयों, उच्च जलाशयों एवं गांव का वितरण तन्त्र का निर्माण भी पूर्ण नहीं किया गया जिससे दो कस्बों (मुण्डवा एवं कुचेरा) के साथ-साथ 143 गांवों की जनसंख्या पैकेज 3 के लाभ से वंचित रही।

राज्य सरकार ने पुष्टि की (अक्टूबर 2014) कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अनेक स्मरण पत्रों के बाबजूद भी कार्य पूर्ण नहीं किये गये, इसलिए प्रकरण उच्चतर स्तर पर उठाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा संगणित हानि काल्पनिक है जैसाकि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अग्रिम माँग प्रासंगिक समय (जून 2011) की प्रचलित दरों पर आधारित थी। वर्तमान दरों पर यह माँग काफी अधिक होती। इसलिए हानि का निर्धारण सही प्रतीत नहीं होता।

प्रत्युत्तर स्वीकार योग्य नहीं हैं क्योंकि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ ने अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया है एवं निगम को भुगतान की गई अग्रिम राशि बिना किसी उपयोग के अवरूद्ध रहने के कारण ब्याज की हानि हुई। साथ ही यह तर्क कि अग्रिम राशि प्रासंगिक समय पर प्रचलित दरों पर आधारित थी मायने नहीं रखती क्योंकि कार्यो के निष्पादन में देरी का अन्तिम परिणाम लागत में वृद्धि होगी और सरकार द्वारा अन्तर राशि का भुगतान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को करना पड़ेगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

3.4.6 गैर-परिचालित छात्रावासों से अनुदान की वसूली का अभाव

छात्रावासों का परिचालन नहीं करवाने वाली संस्थानों से ₹ 6.97 करोड़ के अनुदान की वसूली का अभाव

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एसजेईडी), राजस्थान सरकार ने सरकारी/गैर-सरकारी महाविद्यालयों, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों (शिक्षण संस्थाओं) के अनुदानित छात्रावासों के लिए केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित

59 ₹ 17.57 करोड़ X 4 प्रतिशत (ब्याज) X 34 महीने।

जनजाति, सफाइकर्मी और विमुक्त जातियों के छात्रों हेतु 'सरकारी तथा गैर-सरकारी महाविद्यालयों, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अनुदानित छात्रावासों के परिचालन नियम 2007' बनाये (अप्रैल 2007)। एसजेईडी ने नियम 15 में उप-नियम 11 सम्मिलित करते हुए नियमों में संशोधन किया (सितम्बर 2007), जिसमें ऐसे शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों के निर्माण करने का प्रावधान किया गया। प्रत्येक छात्रावास के निर्माण के लिए अधिकतम राशि ₹ 40 लाख तक निर्धारित[60] की गई। जिन संस्थानों में एसजेईडी ने जिलाधिकारी की अनुशंषा पर, छात्रावास भवन का निर्माण कार्य अनुमोदित किया, उनके संस्थान प्रमुखों को स्वीकृति जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाना था। अनुदान की राशि निर्माण के विभिन्न चरणों में तीन किश्तों[61] में दी जानी थी।

परिचालन नियमों के नियम 5(3) के अनुसार यदि कोई शिक्षण संस्थान छात्रावास परिचालन करने में असफल रहती है तो अनुदान की वसूली की जायेगी। नियम 10(1) के अनुसार भोजन तथा अन्य सुविधाओं के लिए ₹ 400/- प्रति छात्र प्रतिमाह देय होंगे। यदि किसी संस्थान द्वारा यह राशि अपर्याप्त पाई जाती है तो वह अतिरिक्त राशि की व्यवस्था दानदाताओं अथवा छात्रों से कर सकते हैं।

आयुक्त, एसजेईडी, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2013) में प्रकट हुआ कि एसजेईडी ने दिसम्बर 2007 और अप्रैल 2008 के मध्य 50 शैक्षणिक संस्थानों के लिए, प्रत्येक में एक छात्रावास भवन निर्माण हेतु, ₹ 9.13 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की। इनमें से, 2012-14 के दौरान 10 छात्रावास भवन निर्माण पूर्ण कर संचालित किये गए जबकि दो संस्थानों (पीलीबंगा व झाड़ोल) ने निधि (₹ 0.26 करोड़) विभाग को वापस लौटा दी।

शेष 38 छात्रावासों में से 35 संस्थानों द्वारा ₹ 6.76 करोड़ का व्यय कर भवन निर्माण का कार्य जून 2008 और मार्च 2011 के मध्य पूर्ण कर लिया गया परन्तु वे संचालित नहीं किये गये। इनमें से छह संस्थानों ने छात्रावास संचालन के लिए मान्यता प्रमाणपत्र[62] प्राप्त नहीं किये जबकि 29 ने ₹ 400/- प्रति छात्र प्रतिमाह में छात्रावास संचालन में अपनी असमर्थता व्यक्त की। तीन संस्थानों ने मार्च 2014 तक ₹ 0.21 करोड़ व्यय करने के बावजूद भवन निर्माण पूर्ण नहीं करवाया।

यह पाया गया कि 80 प्रतिशत छात्रावास (50 में से 40) राशि स्वीकृत होने के छह वर्ष बाद भी संचालित नहीं किये जा सके। चूँकि लक्षित समूह समाज के वंचित वर्ग से सम्बन्धित हैं, यह इंगित करता है कि प्रति छात्र प्रतिमाह ₹ 400/- निर्धारण करते समय पूर्ण व्यवहार्यता का अध्ययन नहीं किया गया। क्योंकि ये

60 25 छात्रों की क्षमता वाली एक इकाई (छात्रावास) के लिए ₹ 10 लाख; 50 छात्रों के लिए ₹ 20 लाख; 75 छात्रों के लिए ₹ 30 लाख; एवं 100 छात्रों के लिए ₹ 40 लाख।

61 प्लिंथ स्तर तक कार्य पूर्ण होने पर 30 प्रतिशत, छत स्तर पूर्ण होने पर 50 प्रतिशत तथा तकनीकी अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् 20 प्रतिशत

62 नियम 15(3) के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारियों से अनुशंसा प्राप्त होने पर एसजेईडी तीन वर्षों के लिए मान्यता प्रदान करेगा।

नियम सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को रिहायशी छात्रावास उपलब्ध कराने हेतु ध्यान में रखकर बनाए गए थे, अत: सरकार को ऐसे छात्रों की सीमित सामर्थ्य को देखते हुये, ₹ 400/- प्रतिमाह से अधिक की अतिरिक्त राशि प्रतिपूरित करनी चाहिए थी। चूँकि सरकार का इरादा विकासात्मक अथवा कल्याणात्मक था इसलिए केवल छात्रावासों को बंद करने या आवंटित निधि की वसूली करने से न तो समस्या का समाधान मिलता है और न ही इससे प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए सरकार को ₹ 400/- प्रतिमाह के अनुदान में संशोधन करने पर विचार करना चाहिए ताकि यह कुछ हद तक वर्तमान व्यय की दर से मेल खा सके।

इस प्रकार ₹ 6.97 करोड़ की लागत से निर्मित/अपूर्ण 38 छात्रावास असंचालित रहे जिससे, किया गया व्यय निष्फल रहा। व्यय से अधिक महत्वपूर्ण यह रहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य छात्रों को आवासीय स्थान उपलब्ध करवाने का सामाजिक उद्देश्य विफल हुआ। क्योंकि अधिकतर संस्थान प्रमुखों ने निधियों की व्यवस्था के लिए दानदाताओं और छात्रों से प्रयास नहीं किये तथा उन्होंने छात्रावास संचालित करने की इच्छा भी नहीं दिखायी, इसलिए नियम 5(3) के तहत इन संस्थानों से अनुदान की राशि वसूल की जानी थी। यद्यपि, विभाग ने अब तक (जून 2014) राशि वसूल नहीं की।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकारते हुए (अक्टूबर 2014) कहा कि संस्थानों द्वारा विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा जिलाधिकारियों की अनुशंषा के अभाव के कारण छह छात्रावासों को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकी। इन संस्थानों को, छात्रावास संचालन हेतु अथवा आवंटित राशि जमा कराने के लिए निर्देशित कर दिया है तथा इसकी वसूली के प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।

इस प्रकार सरकार छात्रावासों को स्वीकृति के छह वर्ष के बाद भी संचालित करने में असफल रही तथा प्रति छात्र स्वीकृत राशि अपर्याप्त होने के कारण योजना असफल रही।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

3.4.7 विशेष केन्द्रीय सहायता का अनुपयोगी रहना

क्रियान्वयन एजेंसी के चयन में सही प्रक्रिया का पालन न होने से विशेष केन्द्रीय सहायता ₹ 9.36 करोड़ के उपयोग का अभाव तथा जनजातीय छात्रों का रोजगार के अवसरों से वंचित रहना।

जनजाति उप-योजना (टीएसपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) राज्य की टीएसपी के लिए एक योज्य है तथा इसका मन्तव्य विकट अंतरों को भरकर

अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने और रोजगार एवं आय के अवसर उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को आवृत करना है।

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (टीएडी), राजस्थान सरकार, उदयपुर के अभिलेखों की नमूना-जाँच (अक्टूबर 2013) में यह प्रकट हुआ कि 'एसटेल टेक्नोलॉजीज'(एसटेल), जो कि दूर संचार में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक संस्था है, ने 'जनजातीय छात्रों के दक्षता वर्धन प्रशिक्षण एवं परिनियोजन' कार्यक्रम का प्रस्ताव सीधे ही राज्य सरकार को प्रस्तुत (फरवरी 2011) किया जिसे फरवरी 2011 में ही आयुक्त, टीएडी को परीक्षण के लिए अग्रेषित किया गया। अतिरिक्त आयुक्त, टीएडी ने इस प्रस्ताव में कई कमियाँ[63] पायीं (4 मार्च 2011) और राज्य सरकार को, इसमें आवश्यक संशोधनों के पश्चात् ही, भारत सरकार को अग्रेषित करने की सलाह दी। अतिरिक्त आयुक्त द्वारा इंगित की गई कमियों को ठीक करने तथा चयन की सही प्रक्रिया की पालना किये बिना ही, राज्य सरकार ने ₹ 19,500/- प्रति छात्र की दर से 8,000 जनजातीय छात्रों को टीएसपी के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के लिए एसटेल के ₹ 15.60 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित (मार्च 2011) कर दिया। भारत सरकार ने 4,800 जनजातीय छात्रों के लिए राशि ₹ 9.36 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त पर जारी की (मार्च 2011) कि राज्य सरकार प्रशिक्षणार्थियों को 100 प्रतिशत प्लेसमेंट सुनिश्चित करेगी तथा क्रियान्वयन एजेंसी का चयन पारदर्शी प्रक्रिया व सम्बन्धित वित्तीय नियमों[64] की पालना करते हुए किया जायेगा। तथापि, भारत सरकार द्वारा 9 जून 2011 को, राज्य सरकार के प्रस्तावानुसार, क्रियान्वयन एजेंसी (एसटेल) की सहमति प्रदान की गई। भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (₹ 9.36 करोड़) को विभाग द्वारा आयुक्त, टीएडी, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित (जनवरी 2012) किया गया।

एसटेल टेक्नोलॉजीज द्वारा विभाग के समक्ष प्रेजेंटेशन (जुलाई 2011) में आयुक्त ने इसमें कुछ और कमियाँ[65] पाई (अगस्त 2011) तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के

63 प्रति छात्र लागत ₹ 19,500/- से अधिक थी; अग्रिम भुगतान की शर्त; केवल 10प्रतिशत छात्रों को प्लेसमेंट; जिला-वार लक्ष्यों का अभाव; प्रशिक्षण की अवधि निर्दिष्ट नहीं थी इत्यादि।

64 लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 306A के परिशिष्ट VII A के आइटम संख्या 9 के अनुसार, परामर्श सेवाओं के चयन प्रक्रिया में शामिल हैं (i) वित्त विभाग का अनुमोदन (ii) अधिकार सीमा की शर्तों (iii) लागत अनुमान तैयार करना (iv) विज्ञापन (v) परामर्शदाताओं का लघुसूचियन (vi) मूल्यांकन इत्यादि।

65 दसवीं कक्षा एवं अधिक के छात्रों के लिए प्रशिक्षण प्रस्तावित था जबकि उनका अनुभव इंजीनियरिंग छात्रों को ही प्रशिक्षित करने का था; दसवीं कक्षा के छात्रों के ड्राप दर की आशंका अधिक थी; प्रशिक्षित छात्रों को नौकरी मिलने की संभावना कम थी क्योंकि उनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती; एजेंसी ने प्रशिक्षण हेतु आश्रम छात्रावासों या आवासीय स्कूलों की मांग की जो कि उपलब्ध नहीं थे; प्रेजेंटेशन में प्रशिक्षण के तरीके व आवश्यक राशि का अभाव था; केवल 10 प्रतिशत छात्रों को प्लेसमेंट।

लिए एजेंसी का चयन खुली निविदा द्वारा किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया। राज्य सरकार ने भी (फरवरी 2012) क्रियान्वयन एजेंसी (एसटेल) के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट व पारदर्शी नहीं पायी। अत: राज्य सरकार द्वारा सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ रद्द करते हुए एसटेल के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित कराने के आदेश निरस्त कर दिए गये। अव्ययित अनुदान राशि प्रारम्भ में राजकोष में जमा की गई जिसे अन्त में भारत सरकार द्वारा एससीए के अन्तर्गत टीएसपी में राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली आगामी अनुदानों में समायोजित कर दिया गया।

अत: बिना उचित प्रक्रिया अपनाये एजेंसी के चयन के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम निरस्त हुआ और राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता ₹ 9.36 करोड़ अनुपयोजित रही।

बिना पारदर्शी प्रक्रिया की पालना किये एसटेल के चयन के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम के निरस्त होने वाले तथ्यों को स्वीकारते हुए (मार्च 2014) विभाग ने तर्क दिया कि चूँकि निधि का दुरूपयोग नहीं किया गया अत: किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द और निरस्त होने से ₹ 9.36 करोड़ का उपयोग नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्र रोजगार के अवसरों से वंचित रहे।

प्रकरण राज्य सरकार को फरवरी 2014 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2014)।

सामान्य

3.4.8 लेखापरीक्षा प्रेषणों का उत्तर

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के प्रत्युत्तर देने में धीमी गति।

सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के नियम 327 (1) के अनुसार, विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि, लेखापरीक्षा के पश्चात, एक से तीन वर्ष तक होती है। निरीक्षण प्रतिवेदनों (निप्र) के अनुच्छेदों की अनुपालना निर्धारित प्रतिधारण अवधि में नहीं करने से अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण उनके निपटारे की संभावना क्षीण हो जाती है।

31 मार्च 2014 को बकाया एवं वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान जारी और निस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुच्छेदों की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गयी है:

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वृद्धि		निस्तारण		बकाया	
	निप्र	अनुच्छेद	निप्र	अनुच्छेद	निप्र	अनुच्छेद	निप्र	अनुच्छेद
2007-08 तक	1,128	3,458	-	-	23	170	1,105	3,288
2008-09	377	1,144	-	-	4	16	373	1,128
2009-10	777	2,542	-	-	5	55	772	2,487
2010-11	876	3,076	-	-	8	83	868	2,993
2011-12	921	3,698	-	-	23	133	898	3,565
2012-13	981	5,485	-	-	32	217	949	5,268
2013-14 (सितम्बर 2013 तक)	598	3,130	136	940	7	74	727	3,996
योग	**5,658**	**22,533**	**136**	**940**	**102**	**748**	**5,692**	**22,725**

स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 1992-93 से 2013-14 (सितम्बर 2013 तक) की अवधि के दौरान जारी 5692 निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित 22,725 अनुच्छेद निस्तारण हेतु बकाया थे, जो विभागों द्वारा नि.प्र./अनुच्छेदों के उत्तर देने की धीमी गति को इंगित करता है।

चिकित्सा विभाग (665 निप्र) एवं श्रम विभाग (94 निप्र) की विभिन्न ईकाइयों को जारी 759 निप्र के विश्लेषण में प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2014 को 2,945 अनुच्छेद बकाया थे। निरीक्षण प्रतिवेदन में आक्षेपित अनियमितताओं का श्रेणीवार ब्यौरा **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को बकाया निप्र तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे हेतु निप्र की प्रथम अनुपालना एक माह के अन्दर तथा आगे के लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर एक पखवाड़े के अन्दर भेजने के अनुदेश जारी किये थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में, लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, परिकल्पित थी। नवीनतम अनुदेश जनवरी 2010 में जारी किये गये।

वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा समितियों की प्रत्येक वर्ष में चार बैठकें आयोजित करने के अनुदेश जारी(नवम्बर 2004) किए। वर्ष 2013-14 के दौरान 21 विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समितियों की केवल 36 बैठकें आयोजित की गई।

लेखापरीक्षा, सुशासन के लिए प्रबन्धन की सहायक है। सरकार को मामले पर गौर करना चाहिए एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखापरीक्षा प्रेषणों पर शीघ्र एवं उचित प्रतिक्रिया देने, चूककर्ता कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूलियों को समयबद्ध तरीके से करने हेतु, प्रक्रिया मौजूद हों।

प्रकरण सरकार को सितम्बर 2014 में प्रेषित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित रहा (नवम्बर 2014)।

दिव्या मल्होत्रा

जयपुर, **(दिव्या मल्होत्रा)**
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली, **(शशि कान्त शर्मा)**
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक